लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

...vation Unit
8-5-92
...nigated
On 15/11/83
6
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

	पृष्ठ
अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . .	२—९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	९—१०
संसदीय समितियां—कार्य सारांश	१०
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१०—१२,१४
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—	
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१३
(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	१३
लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—	
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१३
(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	१३
विशेषाधिकार समिति—	
प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . .	१३—१४
भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . .	१४
दैनिक संक्षेपिका	१५—१८
अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . .	१९—४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	४२—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . .	४५—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२	५९—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८०-८१

स्थगन प्रस्ताव—

रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी . ८१—८२

विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . . ८२—९५

सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . . ९५—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खाद्यान्नों के मूल्य . . . . ९६—९९

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक— १००—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १००—३१

खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र १३१—३७

पारित करने का प्रस्ताव . १३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . १३८

दैनिक संक्षेपिका . १३९—४५

अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ . १४७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८ १६९—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ . १९७—२३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौंतीसवां प्रतिवेदन . २३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल २३९—४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चौंतीसवा प्रतिवेदन . २४०

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक २४०—७५

विचार करने का प्रस्ताव . . २४०—७३

खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १ २७३—७५

	पृष्ठ
पारित करने का प्रस्ताव	२७५
फार्मेसी (संशोधन) विधेयक	२७५—८४
विचार करने का प्रस्ताव	२७५—८२
खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १	२८३—८४
पारित करने का प्रस्ताव	२८४
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	२८४—८६
दैनिक संक्षेपिका	२८७—९३
अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७	२९५—३१९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १६१	३१९—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८	३३९—७५
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	
चीनी मिलों में तालाबन्दी	३७५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३७५—७८
विधेयक पर राय	३७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु	३७८—८०
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	३८०—४२८
विचार करने का प्रस्ताव	३८०—४१८
खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र	४१८—२३
पारित करने का प्रस्ताव	४२३—२८
दैनिक संक्षेपिका	४२९—३६
अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४	४३७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२	४५९—७९
अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६	४७९—९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९
फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . . ५००
चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००
सभा का कार्य . . . ५००–०१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४–३५
देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२–५३
दैनिक संक्षेपिका . . ५५४—५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८—६०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५—४५
रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५—४८
भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८–४९
तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९
नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९
रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०–५१
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६५१—८२
दैनिक संक्षेपिका . . ६८३—९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३—७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१६, ३२०, ३२५, ३२६ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१६—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १६५८-५६ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १६५६/२६ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७६, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६६, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८६ से ३६१ और ३६३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७६ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १६५६-६० . . ८८५—६१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ६०२—३६

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ६३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ६४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य . . . . ११४९—५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित . . . . . . ११६८—६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ईराक से व्यापार करार

\+

†*३६५. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ईराक से एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह करार किन-किन वस्तुओं के कितने-कितने परिमाण के बारे में हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) ईराक से एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर २९ दिसम्बर, १९५८ को ही हो गये थे लेकिन यह दोनों सरकारों का अनुसमर्थन प्राप्त होने पर ही लागू होगा।

(ख) करार से संलग्न दोनों अनुसूचियों में केवल दोनों देशों से निर्यात के लिये उपलब्ध वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, उनको परिमण नहीं बताये गये हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** भारत और ईराक के बीच इस संबंध में जो पिछला करार हुआ था उसकी अपेक्षा यह मौजूदा करार किस सीमा तक बेहतर है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यह करार आमतौर पर एक निर्दिष्ट नमूने का ही है। इसमें प्रचलित अग्रीयताओं के अलावा परमनुगृहीत राष्ट्र व्यवहार[1] का उपबन्ध किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Most-favoured-nation-treatment.

344 (Ai) LSD—1.

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि इस देश के साथ हुए पिछले करार में और इसमें क्या अन्तर है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं बता चुका हूं कि इस करार में अब एक ऐसा खण्ड है जो दोनों देशों के नौवहन सीमा-शुल्क आदि के संबंध में परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार का उपबन्ध करता है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** इससे हमें कितना लाभ होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इन सब बातों का निर्णय तो वास्तव में इसके कार्यरूप में परिणत होने के बाद हो सकेगा। समय समय पर कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है। इन करारों का पुनर्नवीकरन करते समय इस बात का अवसर मिलता है कि दोनों देशों को जो कठिनाइयां महसूस हुई हों उनके बारे में चर्चा कर ली जाये और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाये। सामान्यतया ये करार में शामिल नहीं होती। अन्तर केवल इतना है कि जो अनुसूचियां करार से संलग्न हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है और इनसे दोनों देशों से और भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निर्यात का संकेत मिलता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** भुगतान किस रूप में किया जायेगा, रुपयों में या स्टर्लिंग में ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इन सौदों का हिसाब स्टर्लिंग के रूप में रखा जाता है। लेकिन क्योंकि परिमाण लगभग बराबर-बराबर ही है इसलिये जितना अन्तर रहेगा केवल उसका ही हिसाब स्टर्लिंग के रूप में रखा जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण :** इस करार की अवधि कितनी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** दो वर्ष। इसे एक वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकता है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि मोस्ट फेवर्ड ट्रीटमेंट और आर्डिनरी ट्रीटमेंट में क्या फर्क है ?

श्री सतीश चन्द्र : कस्टम्स ड्यूटीज, शिप्स पोर्ट चार्जिस, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इन सब में फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट दिया जाता है वही इन्हें दिया जाता है। इस एग्रीमेंट में यह अवश्य है कि अरब कंट्रीस के साथ ईराक कुछ फेवर्ड ट्रीटमेंट करता आ रहा है वह जारी रहेगा और हमारी कुछ पुरानी प्रेफ्रेंशल ड्यूटीस हैं, वे जारी रहेंगी। इसके अलावा और कोई डिफ्रेंस नहीं किया जाएगा।

श्री रघुनाथ सिंह : स्टर्लिंग में पेमेंट का जो सवाल आपने रखा है, वह क्यों रखा है ? क्यों नहीं आपने इसको रुपी में रखा या ईराक का जो कायन है, उसमें रखा ?

श्री सतीश चन्द्र : यह अपनी खुशी की बात नहीं होती है। दोनों मुल्क अगर राज़ी हों तभी यह हो सकता है। इस समय ईराक से जो ट्रेड चल रही है उसमें रुपी पेमेंट का ज़िक्र नहीं है और अगर आप पुराने सालों के फिगर्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि कभी हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, कभी उनका होता है। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

†**श्री गोरे :** इस करार का अनुसमर्थन कब तक हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** मंत्रीमंडल इस करार पर विचार कर रहा है और आशा है कि अनुसमर्थन शीघ्र ही हो जायेगा।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** माननीय मंत्री ने अभी कहा कि दोनों देशों ने कठिनाइयां महसूस की थीं। क्या मौजूदा करार में उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** बातचीत हुई है और मोटे तौर पर यह अन्दाज़ हो गया है कि हम किस वस्तु का निर्यात और किसका आयात कर सकते हैं। पहले यह हुआ था कि हम ईराक से कुछ वस्तुओं का अधिकतर खजूरों का---आयात करते थे लेकिन निर्यात केवल परम्परागत वस्तुओं का ही होता था। अब छोटे पैमाने के उद्योगों और इंजीनियरिंग फैक्टरियों में बनी वस्तुओं पर ज्यादा जोर दिया गया है।

दुर्गापुर से रांची तक पाइपलाइन

\+

†*३६६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला-गैस के लिये दुर्गापुर से रांची तक पाइपलाइन डालने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित कर दिया जायेगा ; और

(ग) क्या इसके नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). फाउन्ड्री फोर्ज कारखाने में उपयोग के लिये दुर्गापुर से रांची तक कोयला-गैस की पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव तो था लेकिन इसका विचार त्यागा दिया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** यह विचार कितने दिनों के लिये त्याग दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** दुर्गादुर से रांची तक गैस को १५० मील की दूरी पर ले जाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझा गया और रूसी तथा चेकोस्लोवाक विशेषज्ञों का यह विचार था वहीं एक कारखाने का निर्माण कर लेना ज्यादा अच्छा होगा।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस कारखाने के मूल प्राक्कलन कितने के थे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोई प्राक्कलन नहीं था। केवल यह विचार प्रविधिक विशेषज्ञों के समक्ष रखा गया था और उचित जांच-विचार करने के पश्चात् वह इस नतीजे पर पहुंचे कि रांची में एक बड़े कारखाने के लिये यह बेहतर होगा कि एक बना हुआ उपकरण ही लगा दिया जाय।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस कोयला-गैस को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां। कई बातें विचाराधीन हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव है कि सामान्य घरेलू उपयोग के लिये इस गैस को कलकत्ते ले जाया जाये। इस गैस का उपयोग उर्वरक के कारखाने के लिये भी करने का प्रस्ताव है। इन सभी बातों पर विचार विमर्श हो रहा है।

†**श्री प्र० चं० बोस:** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दुर्गापुर की अपेक्षा झरिया की कोयला खानें रांची के अधिक निकट हैं, क्या झरिया के कोक-प्लांटों से गैस लेना, जो अभी बेकार चली जाती है, अधिक लाभप्रद नहीं होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं बता चुका हूं कि विशेषज्ञों का अन्तिम निर्णय यह था कि उसी स्थान पर एक संयंत्र की स्थापना कर दी जाये।

†**श्री विमल घोष :** मंत्री महोदय ने कहा है कि इसे रांची न ले जाने के कारणों में एक कारण दूरी भी थी। मेरे ख्याल से इस गैस को कलकत्ता ले जाने के सम्बन्ध में भी यह बाधा नहीं आयेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात नहीं है। पहले मामले में इस गैस संयंत्र का उपयोग दैनिक उत्पादन के सम्बन्ध में होना था। जहां तक इसे कलकत्ता ले जाने न ले जाने का प्रश्न है, इस पर स्वयं इसके गुणावगुण और आर्थिक पहलुओं से विचार किया जायेगा।

भारत-जापानी ढलाई घर और इंजीनियरिंग संबंधी हलकी वस्तुएं बनाने का केन्द्र

+

†*३६७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में भारत जापानी ढलाई घर और इंजीनियरिंग सम्बन्धी हलकी वस्तुयें बनाने के केन्द्र के लिये ठेके के बारे म बातचीत पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह ढलाईघर कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

+

†*३६८. { **श्री केशव :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री खादी वाला :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) क्रमश: १९५७ और १९५८ में कितनी-कितनी कपड़ा मिलों ने मिल बन्द करने के लिये नोटिस दिये ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसी अवधि में कौन-कौन सी कपड़ा मिलें बन्द रहीं ;

(ग) १९५७ और १९५८ में कपड़ा मिलों के बन्द रहने की वजह से कुल कितने कार्य-दिन बेकार गये और उत्पादन की कितनी क्षति हुई ;

(घ) उपर्युक्त अवधि में कौन-कौन सी कपड़ा मिलें सरकारी हस्तक्षेप के बाद फिर खुल गयीं ;

(ङ) कौन-कौन सी कपड़ा मिलों का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया या ले लिया जाने वाला है ; और

(च) जो मिलें अब भी बन्द हैं उन्हें खुलवाने के लिये क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) से (च). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०४]**

†**श्री केशव :** इन मिलों के इस बड़े पैमाने पर बन्द हो जाने के मुख्य कारण क्या थे ?

†**श्री कानूनगो :** कारण सभा को भली भांति ज्ञात हैं । आमतौर पर ४७० में से २०-२५ मिलें विभिन्न कारणों से बन्द रहती हैं । पिछले दो वर्षों में इस व्यवसाय में मन्दी होने के कारण मिलें कुछ अधिक संख्या में बन्द रही हैं ।

†**श्री केशव :** क्या यह सच है कि मैसूर में चिन्नपटनम की स्पन सिल्क मिल्स के मजदूरों ने इस मंत्रालय से यह प्रस्ताव किया था कि मजदूरों का जो २ लाख रुपया भविष्य निधि का जमा है यदि उसका विनियोजन भी करना पड़े तो भी मिल को फिर से खुलवाया जाये; यदि हां, तो अभ्यावेदन का क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्री कानूनगो :** जहां तक मुझे पता है, इस मिल की समापन कार्यवाही चल रही है । सरकार को इस आशय का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या समय-समय पर इन मिलों का बन्द होना रोकने और जहां भी संभव हो इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा विवरण से स्पष्ट है, राज्य सरकारों ने कुछ मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है । लेकिन कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्हें चलाने से कोई लाभ नहीं है । मशीनों और कम्पनी की हालत इतनी बुरी होती है कि उन्हें चलाना संभव नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण से पता चलता है कि १९५७ में कानपुर की कानपुर काटन मिल्स बन्द हो गयी और १९५८ में कानपुर में एक और मिल, दि एथर्टन वेस्ट मिल्स लिमिटेड भी बन्द हो गयी । इन मिलों के बारे में क्या हो रहा है ? क्या एथर्टन वेस्ट मिल्स के कार्य के संबंध में जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप प्रदान कर लिया है और क्या सरकार इस मिल और साथ ही कानपुर काटन मिल्स के बारे में अंतिम कार्यवाही कर रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** अभी जांच चल रही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है । एथर्टन वेस्ट मिल्स के बारे में जांच चल रही थी और यह कह रहे हैं कि वह अभी पूरी नहीं हुई है । कानपुर काटन मिल्स बन्द कर दी गयी है और ४,००० मजदूरों को उनकी छंटनी का मुआवजा तक नहीं मिला है । इस मिल का क्या हो रहा है, क्या उतर प्रदेश सरकार इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** एथर्टन मिल्स की जांच पूरी हो गयी है । हमें प्रतिवेदन अब तक तो नहीं मिला है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, आम धारणा यह है कि इस मिल को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद ढंग से चलाया जा सकता है लेकिन यदि उतर प्रदेश सरकार की इच्छा हो तो इसका प्रबन्ध उसे अपने हाथ में लेना होगा और मुझे भी सरकारी नहीं, गैर-सरकारी तौर पर सूचना दी गयी है कि उतर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन पर अंतिम रूप से गौर करने के बाद इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** कानपुर काटन मिल्स के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** कानपुर काटन मिल्स की दशा बड़ी ही खराब है यह शायद उन मिलों में से है जिन्हें निश्चित रूप से रद्दी कर दिया जाना चाहिये ।

श्री र० का० वर्मा : टेबल पर रखे गये स्टेटमेंट में उज्जैन की नजरअली मिल जो बन्द हो गई है उस का नाम शरीक नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : सारे देश में कितनी ही मिलें हैं, हर एक के नाम कहां तक दिये जा सकते हैं ?

श्री र० क० वर्मा : जो प्रश्न पूछा गया है उस के जवाब में जो स्टेटमेंट दिया गया है कि सन् १९५७-५८ में कौन सी मिलें बन्द हुई हैं, उनमें इस का नाम नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर इस स्टेटमेंट में वह नाम नहीं है तो दूसरा प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री कानूनगो : एन्क्वायरी कर ली जायगी कि क्यों नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** चार मिलों के बारे में यह कहा गया है कि उनका प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है——दो का बम्बई सरकार ने दो का केरल सरकार ने । क्या इन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने में सरकार का इरादा जरूरतमंदों को सहायता देने का है या अच्छी तरह चल निकलने पर प्रबन्ध फिर मालिकों को सौंप दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** सभी राज्य सरकारें इन मिलों को बेरोजगारों की सहायता की योजना के रूप में चला रही हैं और सभी मिलें न्यायालयों की कार्यवाही के अधीन हैं । इसलिये न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने के बाद इस संबंध में विचार करने का समय आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघनाथ सिंह : ऐसा प्रतीत होता है कि दो मिलों का प्रबन्ध बम्बई सरकार ने अपने हाथ में लिया है दो का केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने । केरल सरकार ने जिन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है वह घाटे पर चल रही हैं या मुनाफे पर ?

†श्री कानूनगो : मैं कह चुका हूं कि ये मिलें बेरोजगारों को लाभ पहुंचाने के रूप में चल रही हैं और मैं केवल यह कह सकता हूं कि इन्हें भारी नुकसान नहीं हो रहा है ।

†श्री बासप्पा : इन मिलों के बन्द हो जाने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ?

†श्री कानूनगो : यह विवरण में दिया हुआ है ।

†श्री सोनावने : मंत्री महोदय ने कहा है कि व्यापार में मन्दी के कारण मिलें बन्द हो गयी हैं । कुछ मिलें बन्द हो गयी हैं जब कि अन्य मिलें चालू हैं । जो मिलें बन्द हो गयी हैं यदि उन की मांग ठीक और न्यायोचित हों तो उन्हें चलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों के बारे में यह मान लिया जाता है कि यह ठीक हैं । स्पष्ट प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरे सहयोगी अभी बता चुके हैं कि ४७० में से लगभग ३४ मिलें विभिन्न कारणों से बन्द हैं । पहली बात तो यह है कि उनमें से कुछ बेहद पुरानी हो चुकी हैं और अपनी मशीनें बदलने के लिये रुपया नहीं है । यदि वे अपनी मिलों को आधुनिक मशीनें लगाकर फिर से चालू करने योग्य बनाना चाहें तो सरकार उन्हें ऋण देने को तैयार है और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम इस प्रयोजन के लिये ऋण देता रहा है, लेकिन हम कार्यपूंजी के लिये रुपया नहीं देते । हम आधुनिक मशीनें लगाकर कारखाने को फिर से चलाने योग्य बनाने के लिये अवश्य रुपया देते हैं।

दूसरी बात यह है कि उनमें से कई आपस में लड़-झगड़ रही हैं । आन्तरिक झगड़े चल रहे हैं, कचहरियों में मुकदमे हो रहे हैं और उनमें से कइयों का समापन हो रहा है । इसलिये प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना हमारे लिये संभव नहीं है, लेकिन मैं यह बता दूं कि वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से, जहां हमारा सर्वेक्षण दल मौजूद है, हम कई मिलों के बारे में जांच कर रहे हैं और जहां भी यह पता चला है कि किसी मिल को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रूप से चलाया जा सकता है, हम यथासंभव सहायता देने का प्रयास करते हैं ।

†श्री गोरे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिलें बड़ी संख्या में बन्द हो गयी हैं, क्या सरकार यह नहीं सोचती कि अब इन बातों के बारे में एक सामान्य-नीति निर्धारित कर देने का समय आ गया है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : सामान्य नीति किसके बारे में ?

†श्री गोरे : इन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने या उन्हें मजदूरों को सौंप देने के बारे में ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह संभव नहीं है । मैं बता चुका हूं कि हम हरएक मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं । जहां तक उन मिलों का संबंध है

---

† मूल अंग्रेजी में

जिन्हें रद्दी किया जाना है, श्री गौरे ही बाद में यह सवाल पूछेंगे कि फलां मिल, जिसे सरकार चला रही है, घाटे में क्यों चल रही है। कुछ भी हो, ये निजी मिलें हैं। हम इनमें से प्रत्येक का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ले सकते लेकिन हमने वस्त्र-आयुक्त को प्रत्येक मामले की जांच करने की सलाह दी है। हमें अपने सर्वेक्षण संगठन को थोड़ा और सुदृढ बनाना है। अभी तक यह संगठन छोटा सा ही रहा है, लेकिन यदि हम सभी मिलों का, जिनकी संख्या ३४ है, सर्वेक्षण कराना चाहें, तो इसके कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। इसलिये प्रत्येक मामले में जांच की जायेगी और यदि हमें पता चला कि मान लीजिये ३४ में से २० मिलों को चलाया जा सकता है तो हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि या तो राज्य सरकारें उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें या उनके लिये हम दूसरा कुछ उपाय सोचेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हाल ही में १८ मिलें फिर से चालू हो गयी हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : हमारी समाजवादी प्रकार की सरकार को इस बात से बड़ा खुश होना चाहिये कि मिलों में तालाबन्दी हो रही है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में वह मिल को मजदूरों के सुपुर्द कर यह आजमा कर देख सकती है कि वह मिल चला सकते हैं या नहीं। क्या हम दस मिलें मजदूरों को सौंप कर यह नहीं आजमा सकते कि वे इन मिलों का प्रबन्ध कर सकते हैं या नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : बिना पूंजी के ?

माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि जहां भी संबंधित व्यक्तियों में तालाबन्दियां, हड़तालें या आन्तरिक झगड़े हों, समाज के समाजवादी नमूने को ध्यान में रखते हुए, एक एक करके इस उद्योग क्षेत्र को अपने हाथ में कर लेना चाहिये। उनका सुझाव यही है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकेगा लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि दो मिलों का एक वाकया ऐसा था जिसमें मिलों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद ढंग से चलाने के लिये मजदूर अपनी मजूरी घटाना चाहते थे लेकिन मजदूरों के केन्द्रीय और राज्य यूनियनों ने इस बात का कड़ा विरोध किया और कहा कि किसी भी हालत में मजदूरों को अपनी मजूरी नहीं घटानी होगी। इसलिये माननीय सदस्य यह बात समझ सकेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि संगठित संस्थायें इस बात को पसन्द नहीं करतीं कि मजदूर अपनी मजूरी घटा कर या ऐसे कार्य द्वारा मिल चलायें जिससे उनकी आय में कुछ कमी होती हो।

अखबारों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य-सूची

+

†*३७०. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री द० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तब से अखबारों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य-सूची लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय हो गया है ;

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). पृष्ठानुसार मूल्य-सूची लागू करने के संबंध में निर्णय शीघ्र ही हो जाने की आशा है ।

†**श्री राम कृष्ण** : इसी प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि वह श्रमजीवी पत्रकार मजूरी समिति के पंचाट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । क्या सरकार को वह पंचाट मिल गया है ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य को पता है कि मजूरी समिति के पंचाट के प्रश्न के उत्तर में श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है । मुझे यह भी आशा है कि इस पंचाट को अंतिम रूप प्रदान होने और इसके प्रकाशित होने के बाद हम इसे भी जल्दी ही अंतिम रूप प्रदान कर देंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस निर्णय को अंतिम रूप प्रदान करने के लिये श्रमजीवी पत्रकारों, अखबारों के मालिकों और सरकार की बैठकें हुई हैं ?

†**डा० केसकर** : इस प्रश्न से श्रमजीवी पत्रकारों का कोई संबंध नहीं है । जहां तक समाचार पत्रों के हितों का संबंध है, उनसे परामर्श कर लिया गया है लेकिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि अंतिम निर्णय करने से पहले तैयार किये गये मसविदे को सभी अखबारों के पास भेजा जायेगा, और यदि वे चाहें तो उनकी राय ली जायेगी और तभी कुछ किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में कानून को बने हुए दो वर्ष से अधिक का समय हो गया और माननीय मंत्री जी अब कह रहे हैं कि इसके बारे में शीघ्र (सून) निर्णय किया जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस "सून" शब्द की क्या परिभाषा है ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य इस बारे में यही बात पहले भी कह चुके हैं । मैंने उस समय भी यही कहा था कि कानून पास होने के माने यह नहीं है कि उसी वक्त उसी क्षण उस पर अमल किया जाए । सब हालात को और बातों को देखना पड़ता है और यह भी मैं बता चुका हूं कि क्यों वेज कमेटी का इंतजार करना मुनासिब है ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि समाचारपत्रों के मालिकों के मुख्य समूहों की ओर से ही इसका विरोध किया जाता है और इस मुख्य समूह में से, दो, कम से कम एक ऐसा है जिसके भूतपूर्व मालिक एक फौजदारी के मामले में फंसे हुए हैं और कल पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर से पता चला है कि एक के मालिक का लड़का सीमा-शुल्क सम्बन्धी एक मामले में फंस गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि पृष्ठानुसार मूल्य-सूची किसके हित में रुकी हुई है ? इन दो बड़े समाचारपत्रों के मालिकों के हित में, जिनके बारे में यह ज्ञात है कि वे अखबारी कागज चोर बाजार में भेज देते हैं, या छोटे अखबारों के मालिकों के हित में ?

†**डा० केसकर** : यह किसी के हित में नहीं रुका हुआ है लेकिन हम सामान्य लोक-हित का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि इसे किस समय से लागू किया जाये । मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वैधानिक और विधि सम्बन्धी

---

† मूल अंग्रेजी में

दृष्टियों से यह प्रश्न बड़े महत्व का है और हमें इस बात का निश्चय कर लेना है कि हम जो भी निर्णय करें वह सही, उचित और न्यायपूर्वक हो ताकि यदि यह मामला न्यायालय में जाये, जैसी की संभावना है, तो हमारा निर्णय ठीक सिद्ध हो सके।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को पता है कि सरकार ने अभी निर्णय किया भी नहीं है और 'अमृत बाजार पत्रिका' और 'बाम्बे क्रानिकल' के प्रबन्धकों ने अपने अपने अखबार बन्द कर दिये हैं, और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

†**डा० केसकर :** मुझे इन दोनों अखबारों के बन्द होने की खबर है लेकिन इनका प्रश्न अधिकतर मजूरी समिति के पंचाट से सम्बन्धित है, उस प्रश्न से नहीं जिस पर हम यहां चर्चा कर हे हैं।

†**श्री विमल घोष :** 'अमृत बाजार पत्रिका' तो बन्द नहीं हुई है।

†**कुछ माननीय सदस्य :** वह 'अमृत पत्रिका' है;

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में भ्रम में नहीं रहना चाहिये। वह 'अमृत बाजार पत्रिका' नहीं, 'अमृत पत्रिका' है।

†**श्री अन्सार हरवानी :** यह इलाहाबाद वाली 'अमृत बाजार पत्रिका' है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इलाहाबाद वाला संस्करण बन्द हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि वे जो बात कह रहे हों वह बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि यदि कोई बात एक बार अखबारों में छप जाये तो उससे होने वाली क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। मूलत: माननीय सदस्य ने 'अमृत बाजार पत्रिका' के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था वह चाहे जहां से प्रकाशित होती हो। अब वह सिर्फ इलाहाबाद संस्करण की बात करते हैं। यह बात उन्हें बहुत पहले कहनी चाहिये थी क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछने से देशभर में गड़बड़ी फैल सकती है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वह इलाहाबाद से भी प्रकाशित होती है। 'अमृत बाजार पत्रिका' का एक संस्करण इलाहाबाद से प्रकाशित होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक है। लेकिन क्या वह बन्द हो गया है?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वह बन्द हो गया है।

†**डा० केसकर :** इलाहाबाद संस्करण बन्द हो गया है।

†**श्री विमल घोष :** इलाहाबाद में 'अमृत बाजार पत्रिका' बन्द नहीं हुई है वरन् उसका प्रकाशन नहीं होने दिया जा रहा है। इन दोनों बातों में अन्तर है।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम बुला लिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दे चुका हूं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि यह मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची का जो प्रश्न है यह तब तय किया जायेगा जब कि श्रमजीवी पत्रकारों की वेतन समिति की रिपोर्ट आ जायेगी। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि जो

---

†मूल अंग्रेजी में

अनेक बड़े अखबार वाले लोग हैं वे श्रमजीवी पत्रकारों की जो वेतन समिति है उसकी सिफारिश के पहले ही इस सम्बन्ध में ऐसे कदम उठा रहे हैं ताकि उनको लागू न किया जा सके और उनके रास्ते में अड़ंगे लगाये जायें। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या तेज कदम उठाये जायेंगे ताकि इस तरह की अड़चनें न पड़ने पायें ?

डा० केसकर : जो कदम कुछ अखबार उठा रहे हैं वेज कमेटी की रिपोर्ट के आने के पहले वह गवर्नमेंट के ध्यान में है लेकिन इस बारे में क्या किया जा रहा है यह सवाल अगर लेबर मिनिस्ट्री को दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रघुनाथ सिंह : आप के बगल में बैठे हैं।

डा० केसकर : उनको मालूम है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई अन्य मंत्री इस प्रकार के मिले जले प्रश्न के बारे में जानकारी देना चाहें तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं है । मेरा ख्याल है कि इस सभा में जो बातें हो रही हैं सभी मंत्री उन्हें सुन रहे हैं।

श्रमिकों के परिवारों के लिये चिकित्सा संबंधी लाभ

†*३७३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, पश्चिमी बंगाल और मद्रास की राज्य सरकारें इस सुझाव से सहमत हो गई हैं कि १९५९ में जिन श्रमिकों का बीमा हो चुका है, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उनके परिवार वालों को भी मिलनी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे सुविधायें एक साथ ही बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में लागू हो जायेंगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) बम्बई की सरकार बीमा किये गये श्रमिकों के परिवार वालों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के बारे में सहमत हो गई है। इस मामले पर पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत हो रही है । जिसने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास १९५९ में चिकित्सा सुविधायें न लागू करने के बारे में क्या कारण भेजे गये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** उसका कहना यह है कि परिवार वालों को शामिल करने से पूर्व अस्पताल में भर्ती करने का प्रबन्ध करना आवश्यक है। चूंकि फिलहाल यह संभव नहीं होगा, इस कारण वहां की सरकार यह महसूस करती है कि परिवारों को इस समय नहीं शामिल करना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या निगम मद्रास और कलकत्ता दोनों जगहों में अस्पताल बनवाने का विचार करती है, और यदि हां, तो अस्पतालों का निर्माण कब से आरम्भ होगा ?

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** परिवार के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** निगम के पास १३ करोड़ रुपये बाकी हैं। सामाजिक सुरक्षा की जांच करने के लिये जिस अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी उसने भी इस बात की जोरदार सिफारिश की है कि योजना परिवार वालों के लिये भी लागू की जानी चाहिये। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अब क्या कठिनाई है?

†**श्री आबिद अली :** १३ करोड़ रुपये की राशि में से, ११ करोड़ रुपये बीमा कराये व्यक्तियों के लिये अस्पताल का प्रबन्ध करने के लिये नियत कर दिये गये हैं, परिवार वालों के लिये नहीं। कुछ राज्यों में परिवार के लोग भी इस योजना में शामिल कर लिये गये हैं। अन्य राज्यों में भी चालू वर्ष में परिवार के लोग शामिल कर लिये जायेंगे। अधिकांश राज्यों चालू वर्ष में बीमा किये गये व्यक्तियों के परिवार के लोग इसमें आ जायेंगे। पश्चिमी बंगाल सरकार के बारे में मैं बता चुका हूं कि हम इस मामले में उससे बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि वह भी परिवार के व्यक्तियों को शामिल कर लेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी :** कर्मचारी राज्य बीमा योजना कानपुर में भी कार्यान्वित की गई थी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस योजना में परिवार वालों को शामिल करने के लिये सहमत हो गई है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

†**श्री आबिद अली :** उन्होंने यह सुझाव मान लिया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ राज्यों में इस योजना में परिवार के लोग शामिल कर दिये गये हैं। केवल एक राज्य ऐसा है, और वह भी एक नगर अर्थात् बंगलौर में परिवार के लोग भी इसमें शामिल कर लिये गये हैं। वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने यह योजना परिवार वालों के लिये भी लागू कर दी है?

†**श्री आबिद अली :** वे राज्य मैसूर, आसाम, बिहार, पंजाब तथा मध्य प्रदेश हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, किन्तु इस सूची में उत्तर प्रदेश का नाम शामिल नहीं किया गया है।

†**श्री सोनावने :** डाक्टर इन श्रमिकों का इलाज करते हैं क्या उनसे यह कहा गया है कि वे महंगी दवाइयां आदि न दे कर सस्ती दवाइयां और इंजेक्शन दिया करें?

†**श्री आबिद अली :** जी हां, महंगी दवाइयां विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित की जा सकती हैं?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कर्मचारी राज्य बीमा योजना में केवल १३ लाख लोग शामिल किये गये हैं जबकि इसके अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या २२ लाख है। शेष कर्मचारी इस योजना में कब तक शामिल किये जायेंगे?

†**श्री आदिब अली :** चालू वर्ष में।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी उद्योग के लिये मशीनों का निर्माण

+

†*३७४. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के लिये मशीनें बनाने में कितनी विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(ग) चीनी उद्योग के लिये मशीनें बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) चीनी मिलों के लिये मशीनें बनाने का काम करने वाली फर्मों के लिये विदेशी मुद्रा आवंटित करने के साथ ही, सम्पूर्ण चीनी मिलें बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त फर्मों को मशीनें आदि का आयात करने के लिये लगभग ७० लाख रुपये की मुद्रा की आवश्यकता है । इसके अलावा १०००—१२५० टन के हिसाब से गन्ना पेरने की क्षमता रखने वाले संयंत्र के लिये पुर्जे और कच्चे माल के लिये २०—२२ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) सम्पूर्ण संयंत्र बनाने वालों द्वारा आयात की गई मशीनों की आवश्यकता पूरी करने एवं लाइसेंस प्राप्त चीनी कारखानों के पास से १२ सम्पूर्ण चीनी संयंत्रों की इस समय की आवश्यकता पूरी करने के लिये, निम्न प्रकार विदेशी मुद्रा जारी करने का विचार है :—

१९५९–६०	७० लाख रुपये
१९६०–६१ . .	५० लाख रुपये
१९६१–६२	१५० लाख रुपये
१९६२–६३ . . .	अवशिष्ट

(ग) सम्पूर्ण चीनी संयंत्र बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त फर्मों के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि वे अपने कारखानों का उत्पादन बढ़ा कर १ जनवरी, १९६१ से पहले ४ सम्पूर्ण चीनी संयंत्रों का संभरण कर दें । और शेष ८ संयंत्र १९६१–६२ में गन्ना पेरने के सीजन से पहले काम करने योग्य बना दें । अतः इन फर्मों से आशा की जाती है कि वे प्रतिवर्ष ८ सम्पूर्ण चीनी संयंत्र तैयार कर उनका संभरण कर सकने योग्य हो सकेंगी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** किन-किन फर्मों को विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है और क्या यह सच है कि इन सारी फर्मों ने अपने संसाधन एक में मिला लिये हैं और उन कार्यों के लिये जिसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, एक मिली जुली सिंडीकेट अथवा न्यास बना लिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** छः फर्में हैं जिनके नाम ये हैं :—मेसर्स बालचन्द नागर इण्डस्ट्रीज़, बम्बई, मेसर्स न्यू इण्डिया डेवलपमेण्ट कारपोरेशन, पिम्परी, मेसर्स के० सी० पी० लिमिटेड, मद्रास, मेसर्स टेक्समाको, बेलघड़िया, मेसर्स इण्डियन शुगर ऐण्ड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यमुनानगर तथा मेसर्स बिन्नी इंजीनियरिंग वर्क्स, मद्रास। इन १२ संयंत्रों में से ११ सहकारिता को और एक ईस्ट इण्डियन कारपोरेशन को देने के लिये उन्होंने अपना एक अस्थाई संगठन बनाया है और वे सभी अपने संसाधन एक साथ मिला लेंगे।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सम्पूर्ण चीनी मिलें बनाने के लिये जो संयंत्र स्थापित किये जायेंगे वे एक ही स्थान में स्थापित होंगे, अथवा भिन्न-भिन्न स्थानों में ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जिन संयंत्रों का संभरण किया जायेगा उनकी संख्या इस प्रकार होगी—आन्ध्र प्रदेश में, दो मद्रास में, एक मैसूर में, एक उड़ीसा में, दो पंजाब में और दो उत्तर प्रदेश में। ये संयंत्र उन छः कारखानों का निर्माण करेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह :** इन दो संगठनों द्वारा जो चीनी बनाने की मशीनें तैयार की जायेंगी उनमें भारत का कितना अंश होगा और यहां उनका शत-प्रतिशत निर्माण कब तक संभव हो सकेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस संगठनकारी तरीके से भारत में ८०—८५ प्रतिशत निर्माण होता है और अगले दो वर्षों में जब कि ये १२ संयंत्र दिये जायेंगे तब तक देश में ९० प्रतिशत चीनी बनाने की मशीनरी भारत में बनने लगेगी, ऐसी आशा है।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या अब तक इन फर्मों को कुछ विदेशी मुद्रा दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां, इसके लिये प्रत्येक कारखाने को २० लाख रुपया आवंटित किया जा रहा है।

†**श्री गोरे :** क्या यह सच है कि मद्रास में तैयार की गई मशीनरी जिसका संभरण महाराष्ट्र के सहकारी चीनी कारखानों को किया गया था खराब सिद्ध हुई और यदि ऐसा है, तो स्टैंडर्ड मशीनें बनें इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सामान्यतः मशीनें सन्तोषजनक बनी हैं। हो सकता है कि विदेशों से आयात किया गया कुछ सामान ठीक हमारे विशिष्ट आकार-प्रकार के अनुसार न रहा हो। ऐसे सारे मामलों में हम वहीं इसे ठीक कर लेते हैं। संविदा में उसके चलने की पूरी गारंटी दी रहती है।

†**श्री नागी रेड्डी :** यह संगठन सम्पूर्ण मशीनरी नहीं बना रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुये ये ११ कारखाने जिनकी स्थापना अभी होनी है अवशिष्ट विदेशी पूंजी उन्हें आवंटित कर दी गई है जिससे उस समय तक जब तक कि भारत में यह मशीन तैयार की जा सके, उस समय तक आवश्यक मशीनरी विदेशों से मिलती रहे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य रूप से इसका उत्तरदायित्व इसी संगठन को सौंप दिया गया है। अतः इस सभा को आश्वासन दिया जा सकता है कि प्रत्येक चीज़ समय के भीतर दे दी जायगी और संगठन तथा प्रत्येक कारखाने को मशीनें भेज दी जायेंगी और समय के अनुसार लगा दी जायेंगी

†**श्री तिरुमल राव** : क्या संगठन अथवा प्रत्येक कारखाने के पास आवश्यक टेक्निकल कर्मचारी सेवा नियोजित हैं और क्या उन्हें पहले से इसका अनुभव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, उनके पास आवश्यकता से अधिक टेक्निकल कर्मचारी मौजूद हैं। पहले भी वे चीनी बनाने की बहुत सी मशीन देते रहे हैं।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमने देश में मशीन बनाने का निश्चय कर लिया है, सहकारिता क्षेत्र में इस वर्ष कितने कारखाने खोले जायेंगे इसका निर्णय कर लिया गया है और क्या इन कारखानों के लिये कोई प्राथमिकता रखी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आगामी वर्ष में गन्ना पेरने के सीज़न से पहले चार कारखाने दिये जायेंगे। जिनमें से दो आन्ध्र में होंगे, एक मैसूर में और एक महाराष्ट्र में। अन्य आठ १९६१ के गन्ना पेरने के सीजन से पहले दे दिये जायेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछले सत्र में आध घंटे की चर्चा में यह कहा गया था कि सहकारी चीनी फैक्टरी स्थापित करने के लिये किसी भी सहकारी चीनी फैक्टरी को विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। किन्तु उत्तर प्रदेश में एक सहकारी चीनी कारखाना खोला गया है। क्या नीति में कुछ परिवर्तन किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं, वह अभी प्रधान मंत्री द्वारा खोला गया है। जैसा कि सभा को विदित है, सहकारी और निजी कारखानों दोनों प्रकार के कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस और सुविधा देने की नीति है। यह उन २७ कारखानों में से है जिनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है।

†**श्री जाधव** : इन फर्मों को कब लाइसेंस दिया गया था और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पिछले दो वर्षों में नियमित रूप से निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है। किन्तु इस संगठन के बारे में तीन मास पहले अन्तिम निर्णय किया गया है। प्रगति सन्तोषजनक है और इससे आगामी दो वर्षों में देश में ८० प्रतिशत चीनी संयंत्र तैयार किये गये हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : टेक्निकल संस्थाओं के बारे में मुझे जो अनुभव है उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि वह इन संस्थाओं से मशीनों के निर्माण के लिये कहे। यह बिल्कुल संभव है। यदि सरकार की यही नीति है तो मेरा टेक्निकल कालेज है जिसमें हम कुछ मशीनें बना सकते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : चूंकि माननीय सदस्य ने बड़ा चाव दिखाया है, अतः मैं सभा को बताना चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन में, जो दो वर्ष पहले हुआ था, और हवाई द्वीप समूह का प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के चीनी बनाने की मशीनरी और चीनी बनाने के उद्योग

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को देखने गया था, यह राय दी है :— "अभी तक हम यह समझते थे कि हवाई द्वीप समूह चीनी बनाने और चीनी बनाने की मशीनों के लिये अनेक देशों को शिक्षा दे सकता है। किन्तु महाराष्ट्र की इस फैक्टरी को देखने के पश्चात् हमने अपनी धारणा बदल दी है। हवाई द्वीप समूह को भारत से बहुत कुछ सीखना है।" अतः इस देश के टेक्निकल लोगों के लिय यह बड़े श्रेय की वस्तु है कि सम्पूर्ण चीनी संयंत्र बड़ी कुशलता और गारंटी के साथ बनाये जा रहे हैं जो विश्व के बहुत से देशों के मकाबले अधिक अच्छा काम कर रहे हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार इन कारखानों से कितने प्रतिशत ब्याज वसूल करती है?

†**श्री मनुभाई शाह** : सहकारी कारखानों को सामान्य नियमों और उपनियमों के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम से धन मिलता है।

टैगोर के जीवन संबंधी प्रलेखीय चलचित्र

+

†*३७५. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के शताब्दी समारोह के अवसर पर उनके जीवन पर एक प्रलेखीय चलचित्र तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये समिति नियुक्त की गई है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री ग्रा० चं० जोशी)** : (क) फिल्म्स डिवीज़न शीघ्र ही चलचित्र तैयार करने के लिये एक प्रसिद्ध निर्माण से करार कर रहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं?

†**श्री ग्रा० चं० जोशी** : श्री अमल होम, दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के भूतपूर्व जन-सम्पर्क निदेशक; श्री विमल चन्द्र सिन्हा; और डा० सत्येन्द्र नाथ बोस।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इस बारे में शान्तिनिकेतन से परामर्श लिया गया है? इसका निर्माता कौन है?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : यह कार्यकारी समिति निर्माता की सहायता करने के लिये बनाई गई है। एक इससे बहुत बड़ी समिति भी है जिसमें शान्तिनिकेतन के महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल किये गये हैं। इसके निर्माता श्री सत्यजीत राय हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस चलचित्र पर संभावित व्यय क्या होगा और वह कब उपलब्ध हो सकेगी?

†**डा० केसकर** : लागत के बारे में अभी कुछ बता सकना संभव नहीं है। व्योरा तैयार किया जा रहा है और उसके बाद ही हम उसकी अनुमानित लागत बता सकेंगे। हम आशा करते हैं कि १९६१ में जो समारोह होगा उस समय तक यह चलचित्र दिखाने के लिये तैयार हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वृत्त चित्र केवल बंगाली में बनाया जायेगा या हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में भी बनाया जायेगा ?

डा० केसकर : यह चित्र अंग्रेजी में बनाया जायेगा और हम आशा करते हैं कि और सब भाषाओं में भी उसकी कमेंटरी बनेगी ।

रोजगार दफ्तर

+

*३७७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २६ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार दफ्तरों की सेवा के सुधार का जो चतुसूंत्री कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसके प्रत्येक अंग के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : विवरण इस प्रकार है :—

विवरण

(१) नियोजन सेवाओं का विस्तार

देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में १३५ नियोजन कार्यालय थे। इस योजना के अन्त तक १४५ अतिरिक्त नियोजन कार्यालय खोलने की योजना है। अब तक ९९ नियोजन कार्यालयों को खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से ८० नियोजन कार्यालयों का काम आरम्भ हो गया है। इस प्रकार आजकल देश में कुल २१५ नियोजन कार्यालय काम कर रहे हैं।

(२) नियोजन क्षेत्र की जामकारी इकट्ठा करने का काम

निजी उद्योगों में प्राप्त नौकरी के मौकों की जानकारी हासिल करने का काम १८ नियोजन क्षेत्रों में जारी कर दिया गया है जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, गोहाटी, पटना, धनवाद, जमशेदपुर, नागपुर, इर्नाकुलम, इन्दौर, कोइम्बटूर, बैंगलौर, कटक, अम्बाला, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और आसनसोल शामिल हैं। निजी क्षेत्रों में नौकरी के मौके जानने का काम, जम्मू काश्मीर को छोड़ कर, सभी राज्यों में आरम्भ हो गया है।

(३) युवा नियोजन और व्यावसायिक सलाह का काम

५३ (यूनिट) एकांशों के लक्ष्य में से १६ एकांश की मंजूरी दी जा चुकी है जब कि पिछली नवम्बर तक केवल ८ एकांश काम कर रहे थे। इन एकांशों में काम करने के लिये अफसर और कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। हर महीने सैकड़ों प्राथियों और स्कूल के बच्चों को अपना व्यवसाय चुनने में सलाह देने का काम हो रहा है। यह काम योजना के अनुसार चलाया जा रहा है।

(४) व्यावसायिक अनुसंधान और वर्गीकरण

योजना के पहले २ वर्षों में १० एकांश चालू करने की मंजूरी दी जा चुकी है और बाकी ३ की मंजूरी चालू साल में दी गई है। परिणामस्वरूप व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण सम्बन्धी जानकारी हर सम्भव स्थान से हासिल की जा रही है और यह काम तरक्की कर रहा है।

+मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि हमारे देश के प्रत्येक जिले में जो रोजगार दफ्तर खोलने का लक्ष्य रखा गया था उसमें से केवल ८० रोजगार दफ्तर ही अब तक खुल पाये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दफ्तरों को खोलने की गति में तीव्रता लायी जायेगी ?

श्री आबिद अली : १ अप्रैल, १९५६ को १३५ ऐसे दफ्तर थे । उसके बाद ९९ और मंजर किये गये जिनमें से ८० खोल दिये गये हैं और १५ फरवरी, १९५९ को कुल २१५ ऐसे दफ्तर हो गये ।

श्री भक्त दर्शन : शिवराव कमेटी ने सिफारिश की थी कि हमारे देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक एक रोजगार दफ्तर अवश्य खोला जाना चाहिए मैं जानना चाहता हूं कि इतने रोजगार दफ्तर खोलने में कितने वर्ष लगेंगे और उनके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री आबिद अली : जैसा कि मैं ने अर्ज किया १५–२–५९ को २१५ दफ्तर हो गये । बाकी के लिए तीसरी प्लान में व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गांवों में बेरोजगारी की ओर ध्यान दिया जा रहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या उन क्षेत्रों में काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : गांवों के लोगों ने भी इन काम दिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम लिखाया है । जिला मुख्यालय से आगे जाने का कोई विचार नहीं है । निस्सन्देह कुछ ऐसे स्थानों पर हमने काम दिलाऊ दफ्तर खोले हैं जहां रोजगार की तलाश करने वाले बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं अथवा जहां कोई उद्योग स्थापित होता है । किन्तु फिलहाल गांवों में काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री पाणिग्रही** : देश के विभिन्न भागों में युवक काम दिलाऊ सेवा आरम्भ करने का कार्यक्रम था । ऐसी कितनी सेवाएं आरम्भ की गई हैं और किन-किन राज्यों में तथा उन्होंने अब तक कितना काम किया है ?

†**श्री आबिद अली** : इसके बारे में हम समय-समय पर परिपत्र जारी करते हैं । लगभग ५० इश्तहार छापे गये हैं और २४ छप रहे हैं । यदि माननीय सदस्य चाव रखते हों, तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या के साथ ही युवक काम दिलाऊ सेवाओं की संख्या जानना चाहता था, इश्तहारों की संख्या नहीं ।

†**श्री आबिद अली** : इस विभाग ने लगभग ५०,००० युवक काम दिलाऊ सेवायें और काम दिलाऊ सलाहें देने का काम किया है जिससे ५०,००० लोगों को सामूहिक रूप से एवं १,३०० व्यक्तियों को अलग-अलग लाभ पहुंचा है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमणार्थी

+

*†३७६. { रघुनाथ सिंह :
श्री झूलन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित होने के पश्चात् अब तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने हिन्दू भारत में आ चुके हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : ७ अक्टूबर १९५८ को पाकिस्तान में शासन-परिवर्तन होने के बाद से, जनवरी, १९५९ के पहले पखवारे तक, पूर्वी पाकिस्तान से १,१११ हिन्दू भारत आए हैं ।

†**एक माननीय सदस्य :** उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाये ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस समय रुख कैसा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अब बहुत कम लोग आ रहे हैं । आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि अब कम लोग आ रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसी वक्त में हिन्दुस्तान से कितने आदमी ईस्ट पाकिस्तान में गये, यह मैं जानना चाहता हूं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** आप जरूर जान सकते हैं लेकिन बबल इसके कि यह चीज बताई जाय, दरियाफ्त किया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस काल में कितने लोगों ने प्रव्रजन प्रमाणपत्र के लिये आवेदन किया है; उन लोगों के नहीं जो वास्तव में चले गये हैं । क्या प्रतीक्षा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** संभवतः माननीय सदस्य पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं मैं इस समय आंकड़े नहीं बता सकता किन्तु भविष्य में भी शायद मैं आंकड़े न बता सकूं क्योंकि उन से बहुत कम ही जानकारी मिल पाती है । बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं किन्तु जब उसे रोक दिया जाता है तो बहुत से लोग निश्चित नियमों के कारण उसके उपयुक्त नहीं सिद्ध हो पाते, इस कारण अन्त में कुछ रह जाते हैं । उनमें से कुल प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह मैं नहीं कह सकता । संभवतः मेरे साथी यह बता सकें ।

†**श्री सादत अली खां :** १–१०–५८ से ३१–१२–५८ तक हमारे ढाका स्थित मिशन को पूर्वी पाकिस्तान से जाने के इच्छुक व्यक्तियों के पास से १,०८८ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जो पिछले चार महीनों में जून से सितम्बर, १९५८ में ९५७ थी । इस संख्या में जो वृद्धि दिखा देती है वह नगण्य है ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हो जाने के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग जाना चाहते थे तथा अस्थायी पारपत्रों पर

---

†मूल अंग्रेजी में

जो लोग आ गये हैं उन्हें दैनिक उपयोग के जेवर, कलाई की घड़ियां तथा फाउन्टेन पेन जैसी बहुमूल्य चीजें भी ले जाने की अनुमति नहीं है ? यदि ऐसा है तो क्या इसकी जांच की जा रही है ?

श्री सादत अली खां : मैं उसके लिये पूर्व सूचना चाहूंगा । मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या ले जान अथवा न ले जाने की अनुमति दी गई है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि वहां जो लोग वीसा के लिये आवेदन करते हैं उन्हें उसे प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । क्या पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बात की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पूर्वी पाकिस्तान सरकार वीसा नहीं देती । यदि वह भारत आना चाहते हैं तो उन्हें वीसा हमारी सरकार के प्रतिनिधि देते हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : सभा-सचिव ने जो कुछ कहा है कि उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये कि लोगों को जेवर, कलाई घड़ियां तथा फाउन्टेन पेन आदि ले जाने की अनुमति नहीं है, क्या मैं प्रधान मंत्री से यह निवेदन कर सकता हूं कि वह इसका पता लगाने पर अथवा उसके बाद सभा में वक्तव्य दें ? यह महत्वपूर्ण मामला है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे लिये यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं कि सभा में वक्तव्य देने की आवश्यकता हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उन पर विचार करेंगे ।

दो सीट वाले स्कूटर

†*३८२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो सीट वाले स्कूटर दिल्ली में निर्धारित यातायात दर पर नहीं मिलते ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ कठिनाई महसूस की जा रही है और सरकार इस उद्योग के लिये इस स्थिति में जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, आवंटित करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि इसके निराकरण के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने भाग (बी) में बताया है कि सरकार की कोशिश है कि इस इंडस्ट्री को जितनी ज्यादा फारेन एक्सचेंज दी जा सके, उतनी ज्यादा देने की कोशिश की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : मैं जानना चाहता हूं कि नियंत्रित मूल्य पर जो स्कूटर नहीं मिलते हैं, इसके लिये सरकार क्या कर रही है ताकि निर्धारित मूल्य पर ये प्राप्त हो सकें ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे पास तो कोई ऐसी शिकात नहीं ग्राई है । मैंने मेम्बर साहब के सवाल के भाग (ए) के उत्तर में कहा है कि निर्धारित दाम से ये नहीं मिलते हैं, उसके बारे में कोई कम्पलेंट नहीं ग्राई है । माननीय मेम्बर साहब के पास ग्रगर कोई ग्राई है तो वह उसे हमें भेज दें ग्रौर हम उस पर गौर करेंगे ग्रौर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है ।

श्री नवल प्रभाकर : १९५८ ग्रौर १९५९ के साल के ग्रन्दर कितने दो सीटों वाले स्कूटर बाहर से मंगवाये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं ?

श्री मनुभाई शाह : बाहर से मंगाने पर टोटल बैन है क्योंकि फारेन एक्सचेंज नहीं है । लेकिन पिछले साल चार सौ के करीब स्कूटर देश में ही बने हैं ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*३८३. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के उत्पादन में वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या इस समय का उत्पादन देश की मांग से ग्रधिक है ; ग्रौर

(ग) क्या इन मशीनी ग्रौजारों के निर्यात करने का प्रयत्न किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा सभी प्रकार के मशीनी ग्रौजारों का कुल जितना उत्पादन किया जाता है वह देश की मशीनों की मांग के लिये पूरा नहीं होता यद्यपि इस कारखाने द्वारा तैयार किये गये निश्चित ग्राकार के लेथों की मांग उतनी नहीं है जितना उसका उत्पादन होता है ।

(ग) निर्यात को प्रोत्साहन देना सरकार की सामान्य नीति है ग्रौर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० को इस दिशा में प्रयत्न जारी रखने का परामर्श दिया गया है ।

†**श्री मुरारका** : विवरण में बताया गया है कि इस कारखाने द्वारा तैयार किये गये निश्चित ग्राकार के लेथों (खराद) की मांग उतनी नहीं है जितना उनका उत्पादन होता है । यह उत्पादन ग्रौर मांग कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिये भिन्न-भिन्न मांग है । किन्तु एच-२२ लेथों का जिसका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, जितना उत्पादन होता है, उतनी मांग नहीं है । इस कारण हम छिद्रण मशीनें, पीसने वाली मशीनों का उत्पादन भी कर रहे हैं ।

†**श्री मुरारका** : मैंने यह पूछा था कि उत्पादन ग्रौर मांग कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय उत्पादन लगभग ४०२ होता है ग्रौर मांग ग्रनिश्चित रहती है क्योंकि इतने विस्तृत देश की मांग का पता लगाने के लिये कोई नियमित व्यवस्था नहीं है ।

†मूल ग्रंग्रेजी में

चूंकि एच-२२ की उतनी बिक्री नहीं होती है, इससे पता लगता है कि उसकी मांग अधिक नहीं है ।

†**श्री मुरारका** : अब तक कुल कितने लेथों का उत्पादन किया जा चुका है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अब तक लगभग ५४६ ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा जब इस कारखाने को देखने गये थे तो कारखाने ने १००० वें लेथ को देने का समारोह मनाया था जब कि हमारा उत्पादन केवल ५०० का है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : उन्होंने १०००वीं मशीन तैयार की थी । इस बारे में कुछ गलतफहमी हो गयी है । यह एच-२२ लेथ नहीं है क्योंकि एक कैपिटल लेथ होती है, एक ८ $^1/_2$ इंच की लेथ होती है । स्थिति यह है । जनवरी, १९५९ में कारखाने में पहले से कहीं अधिक उत्पादन हुआ है । प्रतिमास ३१ मशीनें तैयार की गईं क्योंकि १९६०–६१ मे जितनी उत्पादन क्षमता होनी चाहिये उसका तीन गुना उत्पादन हुआ और जनवरी में उसने १०१ मशीनें बनाईं ।

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री को विदित है कि अमरीकी मशीनी औजार निर्माणकर्ता इस कारखाने को देखने गये थे । यह बताया जाता है कि उन्होंने एक और कारखाना स्थापित करने अथवा पुराने लेथों को खरीदने के लिये ७ करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया था । मैं जानना यह चाहता हूं कि इस कारखाने को बन्द करने के बजाय इस प्रस्ताव का किसी और प्रकार से उपयोग करने की बात क्यों नहीं सोची गई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कारखाने का काम बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस कारखाने का उत्पादन बढ़ाने के लिये और अधिक बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक सावधानी बरती जा रही है । संभवतः माननीय सदस्य के मस्तिष्क में निपटान योजना के अधीन अमरीका से किसी विशेष प्रयोजन हेतु रेलवे मंत्रालय द्वारा मशीनी औजार आयात करने की बात है । ये मशीनें दूसरी किस्म की हैं और इनसे कारखाने को कोई हानि नहीं होगी । इस उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिये दूरगामी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाना आवश्यक अंग है ।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने राजकीय उद्योग की महान सफलता का निर्देश किया है । क्या यह सच नहीं है कि यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें श्रमिकों को भी हिस्सा मिल सकेगा । यदि ऐसा है तो क्या सरकार अन्य राजकीय उद्योगों में इसे लागू करने तथा गैर सरकारी क्षेत्र को भी इस चीज को लागू करने के लिये तैयार करने का विचार रखती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि प्रबन्ध परिषद की स्थापना से अब काम बड़ी अच्छी प्रकार से चल रहा है और इसके लिये हम परिषद को बधाई देते हैं । इस सम्बन्ध में मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि नेपा के अतिरिक्त अन्य सभी सरकारी फैक्टरियों और परियोजनाओं का काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है । इसका कारण केवल मात्र प्रबन्ध परिषद की स्थापना ही नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद द्वारा किये गये महान कार्यों के अतिरिक्त, कर्मचारियों ने भी पूरा-पूरा सहयोग दिया है और भारत सरकार ने भी पथप्रदर्शन किया है । इसके कई और कारण भी हैं । हम धीरे-धीरे अन्य सभी सरकारी परियोजनाओं में भी प्रबन्ध परिषदें नियुक्त करने की इच्छा रखते हैं । हम गैर-सरकारी क्षेत्र से भी यह कहेंगे कि वे भी ऐसा ही करें । परन्तु यह काम धीरे-धीरे विभिन्न अवस्थाओं में ही किया जायेगा, एक दम नहीं किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा** : क्या यह सच नहीं है कि अन्य मंत्रालयों को जब विदेशों से मशीनें आदि मंगवानी होती हैं तो वे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड को आर्डर नहीं देते, और उसके पास ऐसे आर्डर भेजते हैं जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकती ? क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड क विक्रय के सम्बन्ध में नीति कुछ शिथिल है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड की विक्रय नीति पर्याप्त ज़ोरदार है। परन्तु बात यह है कि इस फैक्टरी में केवल कुछ विशेष प्रकार के ही औज़ार तथा मशीनें बनती हैं। इसमें सभी प्रकार की मशीनें नहीं बनायी जातीं। देश में और विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये छोटी किस्म की मशीनों की आवश्यकता है और उस मांग को गैर सरकारी क्षेत्र की प्राग टूल्स फैक्टरी तथा अन्य कई फैक्टरियां पूरी कर रही हैं। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की विक्रय नीति पूर्णरूपेण सक्रिय तथा ज़ोरदार है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि रेलवे को अमरीका से डिस्पोजल की मशीनें और औज़ार आयात करने की अनुमति है, क्या भविष्य में आयात करने से पहले प्रत्येक मशीन और औज़ार के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जाया करेगा ताकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में जो औज़ार तैयार किये जाते हैं, वे अमरीका से न मंगवाये जायें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी प्रकार की मशीन अथवा औज़ार मंगवाते समय उनके सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जाता है। परन्तु हमें सदा यह याद रखना चाहिये कि जब देश में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी है, देश में ही बड़ी-बड़ी औद्योगिक मशीनों और औज़ारों के निर्माण की ओर ध्यान न देना बुद्धिमत्ता नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह डिस्पोज़ल का सामान भेजा जा रहा है ताकि यहां पर हम अपने श्रमिकों को काम से अलग कर दें ?

†**श्री च० द० पांडे** : वह सामान तो उपहार के रूप में दिया जा रहा है। उपहार के रूप में लेने में क्या बुराई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को बीच बीच में नहीं बोलना चाहिये। यदि इस प्रकार की बातें चलती रहीं तो माननीय मंत्री प्रश्नों का उचित प्रकार से उत्तर न दे सकेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : अब जब कारखाने का वास्तविक उत्पादन बढ़ गया है तो क्या पहले प्राक्कलन ग़लत बनाये गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बात यह है कि मनुष्य अनुभव से ही सीखता है। इतनी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को चलाना कोई आसान काम नहीं है। इस फैक्टरी का काम अब ज़ोर से चल रहा है। सिवाय नेपा के अन्य सभी फैक्टरियों का काम अब सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

†**श्री नाथ पाई** : यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में उपहार के रूप में कुछ मशीनें लगाई गई थीं, उनका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस मामले को पहले मैं समझा चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण

†*३८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों ने नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षणों को स्थगित करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संकल्प प्रस्तुत किया था, इस समय उसकी क्या स्थिति है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जब से ४ नवम्बर, १९५८ को जनरल एसेम्बली द्वारा संकल्प स्वीकार किया गया है, तब से लेकर केवल जनेवा सम्मेलन ही हुये हैं, हमारी तो यही जानकारी है । इस सम्बन्ध में दो सम्मेलन हुये थे । एक तो नाभिकीय परीक्षणों के स्थान के सम्बन्ध में और दूसरा अचानक हमलों की रोक थाम के सम्बन्ध में । दूसरा सम्मेलन क्रिस्मस, १९५८ से पहले स्थगित कर दिया गया था, और अभी तक पुनः प्रारम्भ नहीं हुआ है । हमारी जानकारी के अनुसार नाभिकीय परीक्षणों के सम्बन्ध में सम्मेलन अभी तक चल रहा है और उसमें कुछ प्रगति भी हुई है । हमें आशा है कि यह सम्मेलन शीघ्र ही किसी समझौते पर पहुंच जायेगा ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि ने इस संकल्प पर होने वाले मतदान में भाग नहीं लिया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार की इस प्रकार के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति है तो फिर इस संकल्प पर हुये मतदान में हमारे प्रतिनिधिमंडल ने भाग क्यों नहीं लिया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वयं पहले इसी प्रकार का एक संकल्प प्रस्तुत किया था । परन्तु वह अस्वीकृत कर दिया गया । उसके उपरान्त यह संकल्प आया । यह उससे कुछ भिन्न था, इसीलिये हमने उसमें भाग नहीं लिया । हमने जो संकल्प स्वयं प्रस्तुत किया था उस में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी । इस संकल्प पर हमने यह बताया कि ऐसे किसी भी प्रबन्ध को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं जो सम्बन्धित पक्षों द्वारा सहमति से स्वीकार किया जाये । परन्तु यदि सम्बन्धित पक्षों में कोई समझौता नहीं होता तो हमारा मतदान में भाग लेना निरर्थक था ।

†**श्री हेम बरूआ** : जो संकल्प हमने रखा था और जो संकल्प स्वीकार किया गया उन दोनों में क्या बुनियादी अन्तर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस अन्तर को केवल एक दो वाक्यों में बता देना संभव नहीं है । वह जानकारी इस समय मेरे पास है तो परन्तु उसे पढ़ कर सुनाने में बहुत देर लग जायेगी । यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं यह जानकारी उन्हें भिजवा दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय उच्चायोग का कार्यालय, लन्दन

+

†*३८५. { **श्री सूपकार :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** लन्दन में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की समस्या पर विचार करने वाले अध्ययन दल के बारे में ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने लन्दन के उच्चायोग के खर्चों में कमी करने के सम्बन्ध में कोई ठोस उपाय करने का सुझाव दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) अध्ययन दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है, आशा है कि रिपोर्ट अप्रैल मास में आ जायेगी। दल ने कई अन्तरिम रिपोर्टें भेजी हैं जिनमें लगभग ५ लाख रुपये प्रति वर्ष की बचत करने के लिये कई सुझाव दिये हैं। उन अन्तरिम रिपोर्टों पर उच्चायुक्त, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

†**श्री सूपकार** : उन मितव्ययता सम्बन्धी अन्तरिम सुझावों में से क्या सरकार ने किसी सुझाव को अभी तक लागू भी किया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : कुछ एक सिफारिशें तो उच्चायुक्त तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। शेष मंत्रालयों द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री सूपकार** : उन सिफारिशों के द्वारा कितनी बचत की जा सकेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : प्रति वर्ष ५ लाख रुपयों की बचत की जा सकेगी। मैं कह नहीं सकता कि इसमें से कितने प्रतिशत बचत की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त वहां कितना खर्च हो रहा है और रिपोर्ट की खास खास बातें क्या हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वे खत्म कर दी जायें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक खास खास बातों का सम्बन्ध है, यह एक बहुत लम्बी रिपोर्ट है, और खर्च जो हो रहा है वह बार बार आपके सामने पेश हो चुका है। पूरी फ़ेहरिस्त है। वहां कितना खर्च होता है यह इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है।

†**श्री जाधव** : यदि कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी करनी पड़ी तो क्या भारतीय राष्ट्र-जनों की अपेक्षा वहीं के लोगों को काम से अलग किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बात की पूर्णरूपेण संभावना है कि कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़े। किस प्रकार के कर्मचारियों को काम से अलग करना पड़ेगा यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का काम बन्द करना पड़ेगा। कई बार वहीं के लोग हमें सस्ते पड़ जाते हैं।

कलकत्ता को गैस का संभरण

†*३८८. { **श्री पाणिग्रही** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर से कलकत्ता को गैस संभरित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने दुर्गापुर से गैस ले जाने की मंजूरी दे दी है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है कि इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). दुर्गापुर से कलकत्ता तक एक गैस ग्रिड बनाने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार की एक प्रस्थापना है, परन्तु इसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। उस परियोजना पर लगभग ३१५ लाख रुपयों का खर्च आयेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस राशि को कहां कैसे पूरा किया जायेगा ? क्या इस खर्च को भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, या राज्य सरकार द्वारा या किसी प्राइवेट उपक्रम द्वारा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : परियोजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है, इसलिये यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। परियोजना के सभी पक्षों पर, इसके गुणावगुणों पर विचार करने के बाद ही, इस बारे में विचार किया जायेगा कि खर्च कहां से पूरा किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†*३९९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ से १९५८ तक पटसन की वस्तुओं के निर्यात से कुल कितनी आय हुई थी ;

(ख) क्या पश्चिमी जर्मन को पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कुछ कमी हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति के सुधार में लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५४–५५ से १९५८–५९ (अक्तूबर, १९५८) तक कुल ५३४.३ करोड़ रुपये ।

(ख) १९५५ की तुलना में १९५६ और १९५७ में इस सम्बन्ध में कुछ कमी हुई थी, परन्तु इस वर्ष निर्यात १९५५ की अपेक्षा बढ़ जायेगा ।

(ग) इस वर्ष निर्यात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये कोई और कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्द-चीन

†*३७१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द-चीन के गतिरोध को समाप्त करने के लिये भारत सरकार की ओर से कोई और प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य वियतनाम के पुनः एकीकरण के सम्बन्ध में उत्पन्न गतिरोध की ओर निर्देश कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई लाभदायक प्रगति नहीं हुई है । जनेवा करार को कार्यान्वित करने की वास्तविक जिम्मेदारी करार करने वाली पार्टियों पर है । वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण आयोग, जिसका चेयरमैन एक भारतीय है, उस क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने का प्रयत्न जारी रख रहा है ।

टायरों की कमी

†*३७२. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायरों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी कमी है ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). जहां तक सरकार को ज्ञात है, कुछ हद तक अस्थायी प्रकार की कमी है और वह भी एक विशेष साइज़, अर्थात्, 'जायन्ट साइज़' के टायरों की कुछ किस्मों में ।

(ग) तीन नये यूनिटों की स्थापना के लिये और दो नये यूनिटों के विस्तार के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। अक्तूबर में डनलप फैक्टरी द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने और मैसर्स फायर स्टोन की विस्तार योजना के पूरा हो जाने पर यह अस्थायी कमी भी दूर हो जायेगी ।

भारतीय चाय मिशन

†*३७६. **श्री वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५८ में आयरलैंड का दौरा करने वाले भारतीय चाय मिशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख) प्रतिवेदन चाय बोर्ड को दिया जा चुका है। बोर्ड की सम्मति के साथ उसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

इंडियन ऑक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कम्पनी

†*३७८. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५७ से इण्डियन आक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कम्पनी द्वारा कुल कितने और कितनी कीमत के अंश भारतीय अंशधारियों को आवंटित किये गये हैं ; और

(ख) इस कम्पनी को १९५७–५८ में कुल कितना लाभ हुआ था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अगस्त, १९५७ से भारतीय जनता को ३.५ रुपये प्रति अंश के प्रीमियम पर दस दस रुपयों के ६,००,००० साधारण अंश दिये गये हैं।

(ख) कम्पनी ने १९५७–५८ के वर्ष का सन्तुलन पत्र अभी नहीं भेजा है।

गृह-निर्माण

†*३८१. **श्री वें० ईयाचरण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गृह निर्माण के लिये निश्चित की गयी राशि में कमी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) योजना पर पुनर्विचार करने के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में निर्धारित १२० करोड़ रुपये की राशि को घटा कर ८४ करोड़ रुपये करना पड़ा है। तथापि यह निर्णय किया गया है कि १२० करोड़ रुपये तक के लिये वचन तो दे दिया जाये, परन्तु शर्त यह है कि वास्तविक खर्च ८४ करोड़ रुपयों से अधिक न हो।

(ख) कटौती के कारण ये थे—बढ़ती हुई लागत की सामान्य प्रवृत्ति, देश के सीमित संसाधन और योजना के 'कोर' में सम्मिलित अन्य अधिक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को अधिक खर्च कर के भी पूरा करने की आवश्यकता।

बंगलोर में सरकारी उपक्रम

†*३८६. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में केन्द्रीय सरकार के अधीन चलने वाले उद्योगों, अर्थात हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़, हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ तथा भारत एलेक्ट्रानिक्स में छुट्टी सम्बन्धी सुविधायें तथा अन्य सेवा की शर्तें एक समान हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनमें एक समान शर्तें लागू करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). सभी फैक्टरियों में एक समान शर्तें लागू नहीं की जा सकतीं क्योंकि परिस्थितियां भिन्न भिन्न कारखानों में भिन्न भिन्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वस्त्र उद्योग

†*३८७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन की समिति ने सरकार से प्रार्थना की है कि वस्त्र उद्योग का शीघ्रता से वैज्ञानिकन तथा आधुनिकीकरण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। परन्तु इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने वस्त्र जांच समिति (१६५८) को भेजे गये ज्ञापन में इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं।

(ख) वस्त्र जांच समिति ने इन सुझावों के सम्बन्ध में भारत सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। सरकार ने इन सिफारिशों के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे दिया है जो कि ३१ अक्तूबर, १६५८ के भारत के असाधारण गजट में प्रकाशित एक संकल्प में निहित है।

हथकरघा उद्योग

†*३८६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें हथकरघा उद्योग को उपकर निधि आवंटनों में से अभी भी कार्यवहन पूंजी ऋण दिया जाता है ;

(ख) ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें हथकरघा उद्योग को इस प्रकार की पूंजी के लिये रिजर्व बैंक से प्रार्थना करनी पड़ती है ;

(ग) उद्योगों को उपकर निधि में से राशि देना बन्द कर देने की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(घ) क्या इस नीति को बदल देने का कोई विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी राज्य को अभी तक उपकर निधि में से कुछ भी कार्यवहन पूंजी ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) सभी राज्यों को ये ऋण रिजर्व बैंक से ही प्राप्त करने पड़ते हैं।

(ग) किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सूचना नहीं मिली है।

(घ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एक्स-रे की फिल्मों का आयात

†*३९०. **श्री म० र० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्स-रे की फिल्मों के आयात में कुछ कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई है ;

(ग) कमी करने के पहले कुल कितनी कीमत की फिल्में आयात करने की अनुमति थी ; और

(घ) क्या चिकित्सा विभागों की ओर से इस कमी को दूर करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) जी, नहीं । चालू अनुज्ञापन अवधि में भी वही पुरानी नीति लागू की गयी है--अर्थात् ७५ प्रतिशत सामान्य (जनरल) और ७५ प्रतिशत सुलभ (सॉफ्ट)--जो कि पिछली अनुज्ञापन अवधि में लागू थी । यह और उपबन्ध किया गया है कि क्रम संख्या ७८/बी (एलैक्ट्रो मैडिकल अपेरेटस) के कोटा लाइसेन्स के अंकित मूल्य के २० प्रति शत का उपयोग एक्सरे फिल्मों के आयात के लिये किया जा सकता है ।

(ग) जुलाई, १९५७ से एक्स-रे फिल्में निर्बाध सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन थी । १ जुलाई, १९५७ से मार्च, १९५८ तक २२,२८,००० रुपयों की एक्स-रे फिल्में मंगवाने के लिये लाइसेन्स जारी किये गये थे ।

(घ) जी, हां ।

उत्तर कोरिया से उर्वरक

†*३९१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया से उर्वरक मंगवाने के सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही थी उसे अब कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स कोरियन कैमिकल्स एक्स-इमपोर्ट कार्पोरेशन, प्योंगयांग (उत्तर कोरिया) से ५००० मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट के संभरण का एक ठेका हुआ है । इस सम्बन्ध में और अधिक ब्योरा बताना राज्य व्यापार निगम के हित में नहीं है ।

कच्ची फिल्मों का आवंटन

†*३९३. **श्री अन्सार हरवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि शिक्षा सम्बन्धी फिल्मों को तैयार करने वालों को कच्ची फिल्मों का विशेष कोटा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हथकरघा वस्तुओं के लिये कच्ची सामग्री

†*३६४. **श्री सम्पत** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य हथकरघा वस्तुओं के निर्यातकर्ताओं को भी कच्ची सामग्री, अर्थात्, सूती धागे, रेयन धागे, रसायनों तथा रंगों आदि, के आयात की अनुमति देने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमरीका और बगदाद समझौते के सदस्य देशों में उभयपक्षीय करार

†*३६५. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अ० का० गोपालन :
श्री वोडयार :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने बगदाद समझौते के तीनों देशों, अर्थात्, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से सुरक्षा सम्बन्धी उभयपक्षीय करार किया है ; और ?

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-चिवस (श्री सादत अली खां)** : (क) अमरीका तथा बगदाद समझौते के सदस्यों के बीच उभयपक्षीय प्रतिरक्षा प्रबन्ध करने के बारे में बातचीत करने का समाचार मिला है, किन्तु अभी तक किसी समझौते की घोषणा नहीं की गई है ।

(ख) समझौते के प्रति भारत सरकार का रुख सर्वविदित है और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

बोगस कम्पनियां

†*३६६. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी बोगस कम्पनियां काम कर रही हैं और उनके क्या नाम हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी वित्तीय स्थिति का पता लगाने और अंशधारियों को अपने रुपये से लूटा जाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का बोगस कम्पनियों से क्या अभिप्राय है। समवाय अधिनियम की धारा ११ के अनुसार कोई भी संस्था या भागीदार जिसमें विशिष्ट संख्या से अधिक व्यक्ति हों अपने को कम्पनी के रूप में रजिस्टर करायें बगैर लाभकारी व्यापार नहीं कर सकती। यदि पंजीकृत समवायों के सम्बन्ध में, प्राप्त हुई किसी शिकायत अथवा समवायों के रजिस्ट्रार को भेजे गये कागजात से यह पता चलता है कि वे ऋणदाता व अन्य व्यक्तियों को धोखा दे रही हैं या किसी कपटपूर्ण अथवा गैर-कानूनी प्रयोजनों के लिये काम कर रही हैं तो उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही समवाय अधिनियम के अन्तर्गत उचित है, हमेशा की जाती है।

मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों के लिये बजट में व्यवस्था

*३९७. { **श्री खादीवाला :**
श्री क० भ० मालवीय : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्गठित मध्य प्रदेश के निर्माण से पहले मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश और महाकौशल राज्यों के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अलग-अलग बजट बनाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्य उक्त बजटों के अनुसार किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अभ्रक का निर्यात

†*३९८. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) पिछले दस वर्षों में कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया गया ; और

(ख) अभ्रक के निर्यात में और वृद्धि करने के क्या सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली

†*३९९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है जो या तो पाकिस्तान चले गये हैं या ज़मीन के नीचे चले गये हैं ;

(ख) ऐसे ऋणों की कुल राशि कितनी है ;

(ग) क्या अन्य विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली में कोई प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उनसे अद्यतन कितना धन वसूल हुआ है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों से वाजिब ऋण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो संभवतः लापता हैं या पूर्वी पाकिस्तान वापिस चले गये हैं। विभिन्न राज्यों को १९५६—५७ के अन्त तक (इन में त्रिपुरा और मनीपुर प्रशासन भी सम्मिलित हैं) ६३.३८ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है, ताकि वे विस्थापित व्यक्तियों को, उनके पुनर्वास के लिये, ऋण दे सकें। इसमें से २१.९३ करोड़ रुपया पुनर्भुगतान के लिये देय हो गये हैं। इसमें से उन्होंने २.२९ करोड़ का पुनर्भुगतान कर दिया है।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*४००. **श्री केशव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम ने अपनी स्थापना से अब तक कितना विदेशी विनिमय अर्जित किया है ; और

(ख) इसने अब तक कितने देशों से व्यापार किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) दिसम्बर, १९५८ तक २८.५० करोड़ रु० ।

(ख) एक विवरण निम्न है :

विवरण

१. अदन	८. चैकोस्लाविकिया
२. बाहरीन	९. चिली
३. बेलजियम	१०. डेनमार्क
४. बुलगेरिया	११. पूर्वी जर्मनी
५. श्री लंका	१२. मिस्र
६. कम्बोडिया	१३. फ्रांस
७. चीन	१४. हालैंड

†मूल अंग्रेजी में

१५. हंगरी
१६. जर्मनी
१७. इन्डोनेशिया
१८. इटली
१९. जापान
२०. नार्वे
२१. उत्तर वियत नाम
२२. पोलैंड
२३. पाकिस्तान
२४. रूमानिया
२५. रूस
२६. स्वीटज़रलैंड
२७. दक्षिण वियत नाम
२८. ब्रिटेन
२९. अमरीका
३०. योगोस्लेविया
३१. स्वीडन
३२. कनाडा

जूट-उत्पाद

†*४०१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे जूट-उत्पादों की गिरी किस्म के बारे में विदेशों से कोई शिकायत आई है ; और

(ख) यदि हां, तो जूट-वस्तुओं के निर्यात का भाव निश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) पहिले कुछ शिकायतें आई थीं परन्तु अब ये कम हो रही हैं।

(ख) जूट-मिलों के आधुनिकीकरण से, जिसके हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के द्वारा ऋण-सहायता दी जा रही है, भारतीय जूट-उत्पादों की किस्म में निरन्तर सुधार हो रहा है। भारतीय जूट मिल्स एशोसियेशन अपने सदस्यों से बराबर इस बात पर जोर देती रही है कि वे हमारी वस्तुओं के आशातीत मानक बनाये रहें। यह वास्तविक शिकायतों की जांच करने के लिए भी सदैव तत्पर रही है ।

अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार आय-व्ययक सर्वेक्षण

†*४०२. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १७ नवम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार आय-व्ययक सर्वेक्षण के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सर्वेक्षण इस कार्य के लिये चुने गये ५० केन्द्रों में होता रहा। सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित लगभग २३,००० परिवारों में से लगभग १०,००० परिवारों का जनवरी १९५९ तक सर्वेक्षण हो गया था। आशा है चालू वर्ष के अन्त तक सर्वेक्षण समाप्त हो जावेगा।

पाकिस्तान में भारतीय

*४०३. { **श्री वाजपेयी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन लगभग २०० भारतीय राष्ट्रजनों को सुलना (पूर्वी पाकिस्तान) से निकाल दिया गया था उनके पुनः पाकिस्तान में जाने के सम्बन्ध में क्या कोई पत्र-व्यवहार पाकिस्तान के साथ हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान में भारतीयों का फिर प्रवेश कराने की दृष्टि से, हमारे ढाका-स्थित कार्यवाहक डिप्टी हाई कमिश्नर और कराची-स्थित हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान सरकार के साथ अलग-अलग लिखा पढ़ी की। भारत सरकार ने दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिये एक विरोध-पत्र भी भेजा। पाकिस्तान सरकार ने जबाब दिया कि ये भारतीय राष्ट्रीक पाकिस्तान में ग़ैर-कानूनी तरीके से घुस गए थे और उन्हें इसलिये निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं थे। पूछताछ करने पर पता चला कि यह बात ठीक नहीं थी बल्कि उनमें से ज्यादा-तर लोगों के पास अपने-अपने पासपोर्ट थे और उन्होंने वीज़ा बदलवाने के लिए उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों के पास जमा करा दिया था। बहरहाल, पाकिस्तान सरकार ने अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं किया है ।

जूट का निर्यात

†*४०४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीनांग और हांगकांग में जूट की अधिक मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो इन बाजारों को भारतीय जूट का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) मेरा पूर्वानुमान है कि जूट से बनी वस्तुओं के बारे में बात कही गई है। मलाया और हांगकांग दोनों में इसकी मांग है ।

(ख) भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन ने हाल में ही इन बाज़ारों का अध्ययन किया है तथा इन बाजारों के निर्यात में वृद्धि करने की उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोह-अयस्क संसाधनों का विकास

†*४०५. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री सरजू पांडे :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में लोह-अयस्क के संसाधनों, परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं के विकास की संयुक्त परियोजनाओं के लिए योरोप के पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** कुछ संबंधित पक्षों के साथ अभी वार्ता हो रही है ।

चपड़ा तथा दरदरी लाख

†*४०६. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण के साथ चपड़े और दरदरी लाख का न्यूनतम क्रय-मूल्य निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार सम्भरण यह आशा करती है कि व्यापारियों द्वारा निर्यात-मूल्य के नियमन से चपड़ा और दरदरी लाख के क्रय-मूल्य स्थिर हो जायेंगे ।

हज के यात्री

†*४०७. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने व्यक्ति हज यात्रा करने के लिये गये ;

(ख) उन्हें क्या सुविधायें दी गईं; और

(ग) अप्रैल, १९५९ के महीने में हज यात्रा पर जाने के लिये अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) १५,१८६ ।

(ख) तीर्थयात्रियों को जो सुविधाएें दी गईं उनका विवरण इस प्रकार है :

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(१) ज़िला अधिकारियों अथवा बम्बई की फोर्ट हज समिति ने तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा-पास जारी किए ।

(२) सरकारी और म्युनिसिपल दवाखानों में तीर्थ यात्रियों को चेचक के टीके लगाए गए, हैज़े के इंजेक्शन दिए गए और उन्हें इसके लिए निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिए गए ।

(३) उन्हें खाद्य-सामग्री, कपड़ा और चीनी जैसी कुछ आवश्यक वस्तुएं ले जाने की अनुमति दी गई ।

(४) तीर्थ यात्रियों को निम्नलिखित रूप में भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति दी गई ।

प्रति वयस्क { ३,४०० रू० (केबिन)
२,४०० रू० (डेक)

(५) तीर्थ यात्रा-पास पर सफ़र करने वाले सभी डेक दर्जे के तीर्थ यात्रियों को आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र (इन्कम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट) दिखाने की छूट दी गई ।

(६) तीन डाक्टरों और दो कंपाउंडरों का एक चिकित्सा मिशन तीर्थ यात्रियों को डाक्टरी सहायता देने के लिये जेद्दा भेजा गया ; यह मिशन दवाइयों से लैस था ।

(ग) १८,४७६ ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*४०८. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई परियोजनायें आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइवेट) लि० ने अब तक कुल कितनी योजनायें अनुमोदित की हैं ;

(ख) क्या इन में से किसी परियोजना के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नई परियोजनायें आरम्भ करने की योजनाओं का अनुमोदन करना सरकार का कार्य है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइवेट) लि० का नहीं । निगम केवल प्रारम्भिक कार्य, आर्थिक तथा प्रविधिक अध्ययन तथा परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करने के लिये उत्तरदायी है । निगम ने अब तक चुने हुए इंजिनियरिंग व धातुशोधन उद्योगों तथा कुछ औद्योगिक सामान के निर्माण के लिए अठारह प्रारम्भिक अध्ययन किये हैं । ठीक है कि निम्न परियोजनायें राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने निश्चित की थीं और सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है :

भारी ढलाई परियोजना,

भारी मशीन निर्माण संयन्त्र,

---

†मूल अंग्रेजी में

खनन मशीन संयन्त्र, और

ऐनकों और दर्शन यन्त्रों के शीशे ;

एवं आशा है कि निम्न परियोजनाओं की कार्यान्विति, जिसका प्रगत्यात्मक-कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने किया था, सरकार शीघ्र करेगी ।

(इंटरमिडेट्स) एलाय एण्ड टूल स्टील्स ।

भारी ढांचा कार्य एवं प्लेट एंड वेसल कार्य के विस्तृत प्रतिवेदन तैयार हो रहे हैं ।

(ख) तथा (ग). कार्यान्वित हो रही तीन परियोजनाओं में से भारी ढलाई परियोजना के लिए चैकोस्लोवाकिया से तथा अन्य दो के लिये रूस से सहयोग प्राप्त हुआ है। रूस तथा चैकोस्लोवाकिया के मैसर्स 'टेक्नोएक्सपर्ट' के साथ हुए करारों की समितियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

छपाई की मशीनें

†*४०९. **श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई की मशीनों का कारखाना खोलने के फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक कारखाना कोइम्बटूर में खुल रहा है। टीटाघर की अन्य पार्टी को अभी जिसकी योजना पर विचार हो चुका है, विदेशी सहयोगी के साथ वार्ता निश्चित करनी है।

जिरकोनियम कारखाना

†*४१०. **श्री वें० पे० नायर : क्या प्रधान मंत्री** १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे में जिरकोनियम कारखाना खोलने का सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये कारखाने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा तथा उस पर कितना रुपया लगेगा ?

†**वदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी में भर्ती संबंधी विशेषज्ञ समिति

†*४११. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी में निदेशकों, उपनिदेशकों तथा अन्य पदों के लिए भर्ती के आधार की एवं ठेके पर प्रोग्राम प्रोड्यूसरों की नियुक्ति के औचित्य या अन्यथा की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो सदस्य कौन हैं ;

(ग) समिति का प्रतिवेदन कब तैयार होगा ; और

(घ) क्या उक्त प्रतिवेदन प्राप्ति पर पटल पर रखा जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजौरी में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

†*४१२. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री वाजपेयी :
श्री हेम राज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ जनवरी १९५९ को पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी क्षेत्र में दो भारतीय टुकड़ियों पर गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ; और

(ग) अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). ३१ जनवरी, १९५९ को पूंच-मंढार क्षेत्र में दो घटनायें हुईं । पहली घटना में हमारी टुकड़ी पर, जो पूंच से लगभग आठ मील दूर दक्षिण-पश्चिम में तथा युद्धविराम रेखा से हमारी ओर १४०० गज़ पर स्थित थी, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सशस्त्र सैनिकों ने युद्धविराम रेखा पार करके गोली चलाई । हमारे सैनिकों ने आत्म रक्षा में गोली चलाई ।

दूसरी घटना में, हमारे सैनिकों पर, जो मंढार से छः मील पश्चिम में और युद्ध विराम रेखा से १००० गज़ हमारी ओर थे, पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सशस्त्र सैनिकों ने गोली चलाई । हमारे सैनिकों ने गोली का उत्तर गोली से दिया ।

इन घटनाओं के कारण किसी मृत्यु की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) युद्ध विराम करार के इन खंडनों की शिकायतें संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सना प्रेक्षक से की गई है । २ फरवरी को प्रारम्भिक संयुक्त राष्ट्र जांच पड़ताल हुई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अयस्कों का क्रय

†*४१३. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री वीरेन्द्र सिंह जी :
श्री वाडीवा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज-पदार्थ परामर्शदाता बोर्ड की इस सिफ़ारिश पर अपना विचार करना पूरा कर लिया है कि राज्य व्यापार निगम से यह प्रार्थना की जाये कि वह रेल-तक-मुफ्त आधार पर अयस्क-धातुओं का क्रय करते समय छोटे खान मालिकों का विशेष ध्यान रखे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). खनिज पदार्थ परामर्शदाता बोर्ड ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य व्यापार निगम को सभी छोट खान मालिकों से रेल-तक-मुफ्त के आधार पर क्रय करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर भी, बोर्ड की सिफ़ारिशें यथासंभव कार्यान्विति के लिए राज्य व्यापार निगम को भेज दी गई हैं।

अणुशक्ति केन्द्र

†*४१४. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :
श्री मुरारका :
श्री प्र० के० देव :
श्री पांगरकर : }

क्या **प्रधान मंत्री** १६ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों में अणु शक्ति केन्द्र के निर्माताओं से खोजात्मक बातचीत समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ कोई करार हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या शक्ति केन्द्र के स्थान के बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निश्चय हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). युनाइटेड किंगडम अटामिक इनर्जी अथारटी तथा आज कल ब्रिटेन में अणु शक्ति केन्द्रों की स्थापना में लगे हुए चार मुख्य औद्योगिक दलों के साथ अक्टूबर १९५८ में प्रारम्भिक विचार विमर्श हुआ था। टेन्डर बनाने के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। बात चीत सम्भावनाओं का पता लगाने के बारे में थी एवं अभी तक किसी पार्टी से कोई औपचारिक या अनौपचारिक करार नहीं हुआ है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कॉटन मिल, किशनगढ़ (राजस्थान)

†*४१५. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशनगढ़ (राजस्थान) में एक कॉटन मिल पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ा है ;

(ख) क्या इस से उस नगर की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या इसे फिर चालू करने की कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). हां, श्रीमान् । १७-८-१९५७ से । कारखाना परिसमापन है इसलिए इसे पुनः चालू करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†*४१६. **श्री वाजपेयी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में शिवरों से कुल कितने परिवार पुनर्वास के लिए ३१ दिसम्बर १९५८ तक राज्य के बाहर भेजे गये ; और

(ख) उन राज्यों के नाम जहां पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी परिवार पुनर्वासित नहीं हुआ है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) तथा (ख). ३१ दिसम्बर, १९५८ तक पुनर्वास के लिए १९,३२२ परिवार बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्डमान भेजे गये । भारत के अन्य राज्यों को कोई परिवार पुनर्वास के लिए नहीं भेजे गये ।

पैट्रोलियम उद्योग के लिये राष्ट्रीय अधिकरण

†*४१७. { **श्री तंगामणि :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ जनवरी, १९५९ को नई दिल्ली में पैट्रोलियम संबंधी व्यक्तियों की त्रिदलीय कान्फ्रेंस हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किये गये ;

(ग) क्या कर्मचारियों की मांगों का न्याय निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय अधिकरण स्थापित किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो कब; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकारों से अनुशासन संहिता के आधार पर झगड़ों को निपटाने के लिए कहा गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) यह स्वीकार किया गया था कि जहां कहीं उद्योग में मालिकों और मजदूरों के बीच समझौता न हुआ हो, वहां समझौते की बात चीत तुरन्त आरम्भ होनी चाहिये।

यदि क्षेत्र में राज्य के बारे में समझौता हुआ हो तो करार द्वारा यह समझौता क्षेत्र के अन्य राज्यों में लागू किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ, दिल्ली क्षेत्र में जिस में छः राज्य हैं, दिल्ली के बारे में हुआ कोई भी करार अन्य राज्यों पर भी लागू होगा।

यह भी स्वीकार किया गया था कि यदि बात चीत से या पारस्परिक समझौते से आपस में फैसला न हो सके, तो झगड़ा क्षेत्र के एक राज्य के न्यायाधिकरण में भेजा जायेगा तथा न्यायाधिकरण का पंचाट सहमति से क्षेत्र के अन्य राज्यों में लागू होगा।

बम्बई के मामले में, यह निश्चय किया गया था कि विद्यमान प्रबन्ध के अन्तर्गत न आने वाले मजदूरों के मामले में पारस्परिक समझौते की कार्यवाही तत्काल आरम्भ की जायेगी।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) राज्य सरकारें हुए निश्चयों की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

काम दिलाऊ दफ्तर

†४३१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक (राज्यवार) देश में काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने कुशल मजदूरों ने नाम लिखाये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कुशल व अर्ध-कुशल मज़दूरों की संख्या निम्न है। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन में से कितने कुशल हैं।

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	३१-१२-१९५८ को काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में अंकित कुशल व अर्ध-कुशल प्रार्थियों की संख्या
१	२
आन्ध्र प्रदेश	२,९८६
आसाम	१,२३९
बिहार	७,०२४
बम्बई	९,४५३
दिल्ली	४,६०२

†मूल अंग्रेजी में

१	२
हिमाचल प्रदेश	१५०
केरल .	८,६०४
मध्य प्रदेश	५,४१०
मद्रास	६,००६
मनीपुर	३१६
मैसूर	२,८२६
उड़ीसा	३,५५६
पांडचैरी	१४४
पंजाब	२,७८०
राजस्थान .	८४६
त्रिपुरा .	२००
उत्तर प्रदेश	१३,०५१
पश्चिमी बंगाल	१६,४६६
अखिल भारतीय योग	८८,६६५

बाइसिकल के कारखाने

†४३२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८-५६ में सरकार ने बाइसिकल कारखाने (राज्यवार) खोलने के लिए कितने लाइसेन्स दिये?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :**

(क) बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में उद्योगों को दिये गये लाइसेन्सों का विवरण निम्न है :

विवरण

उद्योग का नाम	लाइसेन्स प्राप्त वार्षिक क्षमता	लाइसेन्स की संख्या और तारीख
नये उद्योग		
मैंसर्स एव्रेस्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कमर पट्टी, गोहाटी (आसाम) .	६०,०००	एल/७(६)/एन–६/५८. ता० २६–७–५८
विस्तार	शून्य	

† मूल अंग्रेजी में

(ख) छोटे पैमाने के उद्योग

१९५८–५९ में सरकार ने ८४,५०० बाइसिकलों की वार्षिक क्षमता के लिए १९ उद्योगों को अनुमोदन किया है । इन उद्योगों का विभिन्न राज्यों में वितरण निम्नानुकुल है :

राज्य	वार्षिक इकाई	संख्या क्षमता
		(संख्या)
उत्तर प्रदेश	२	७,०००
राजस्थान .	१	२,५००
मद्रास	४	२०,०००
उड़ीसा .	१	५,०००
आन्ध्र प्रदेश	४	२०,०००
मैसूर	३	१०,०००
बिहार	३	१५,०००
केरल	१	५,०००
	१९	८४,५००

नमक का कोटा

†४३३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को १९५८–५९ में कितना नमक आवंटित किया गया है ; और

(ख) पंजाब सरकार कितना नमक अभी तक उठा चुकी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) विभिन्न राज्यों को नकम के वितरण के लिए क्षेत्रीय योजना कलैंडर वर्ष के लिये बनाई जाती है । पंजाब राज्य को १९५८ में २७,१०,००० मन नमक आवंटित किया गया था ।

(ख) २५,७५,६०० मन ।

उद्योगों के लिये विकास परिषदें

†४३४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से उद्योग हैं जिनके लिए १९५९–६० और दूसरी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में विकास परिषदों का निर्माण किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६]**

†मल अंग्रेजी में

निर्यात संवर्धन परिषदें

†४३५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और दूसरी पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में किन वस्तुओं के लिए नर्यात संवर्धन परिषदें स्थापित की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : निर्यात संवर्धन के उपायों के प्रश्नों के संबंध में, जिसमें आवश्यकता के समय और वस्तुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषदों का निर्माण भी सम्मिलित है, निरन्तर विचार हो रहा है। किसी नई वस्तु के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बम्बई में समवाय

† ४३६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में १९५८–५९ में अभी तक कितने समवाय पंजीयित हुए ;

(ख) प्रत्येक समवाय की अधिकृत पूंजी कितनी है ; और

(ग) इस काल में बम्बई राज्य में कितने और कौन से समवायों का परिसमापन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क), (ख) और (ग). बम्बई राज्य में १९५८–५९ के पहले नौ महीनों में कुल ७६.०४ करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी के १७५ समवाय पंजीयित किये गये। इसी काल में ५० समवायों के परिसमापित होने की सूचना अभी तक मिली है ।

टिप्पणी :—'भारत में संयुक्त स्कंध समवायों सम्बन्धी सरकारी मासिक पुस्तिकाओं' में नियमित रूप से नये पंजीयित और परिसमापित समवायों के नाम और उनका अन्य विवरण, जैसे कि उनका औद्योगिक वर्गीकरण ; प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों, निदेशकों, इत्यादि के नाम ; पंजीयित कार्यालय, उद्देश्यों और प्राधिकृत, अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी, इत्यादि का विवरण प्रकाशित किया जाता है। उसकी प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में देखी जा सकती हैं।

सोडा-एश कारखाने

†४३७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभी तक सोडा-एश के कितने कारखाने स्थापित हुए हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) दो।

(ख) तीन नयी इकाइयों की स्थापना और एक मौजूदा कारखाने का विस्तार।

निर्यात व्यापार में पश्चिमी जर्मनी के साथ प्रतियोगिता

†४३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार निर्यात को पश्चिमी जर्मनी के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ रही है ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन विदेशी बाज़ारों में भेजी जाने वाली किन वस्तुओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस से हमारे निर्यात व्यापार पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). पश्चिमी जर्मनी और भारत दोनों ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजारों को सूती वस्त्रों, नकली रेशमी वस्त्रों और हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसी कुछ निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं। भारतीय उत्पादों को इन बाजारों में पश्चिमी जर्मनी के अलावा कई अन्य देशों के साथ भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है ।

वियत नाम

†४३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने अगस्त से दिसम्बर, १९५८ तक के काल में (१) वियत-मिन्ह प्राधिकारियों और (२) वियत-नाम प्राधिकारियों का ध्यान शिकायतों या अधिनियमितताओं के कितने मामलों की ओर आकर्षित किया था; और

(ख) उनमें से कितनों के सम्बन्ध में संतोषजनक कार्यवाही हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का इस काल का प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है। उसके प्रकाशित होते ही इसका उत्तर मिल जायेगा ।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

†४४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में १ सितम्बर से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक के काल में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ख) कितने हताहत हुए; और

(ग) इस काल में कितना प्रतिकर अदा किया गया?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ९७० ।

(ख) ७४ मरे और ९३३ को गम्भीर चोटें लगीं ।

(ग) यह सूचना अभी आसानी से सुलभ नहीं है ।

दिल्ली में मकान बनाने के ऋण

†४४१. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में १९५७-५८ और १९५८-५९ में 'अल्प आय वर्ग आवास योजना' के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को मकान बनाने लिये ऋण दिये गये;

(ख) क्या उनमें से कुछ व्यक्तियों के अपने मकान हो गये हैं;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ऋण के रूप में दी जाने वाली राशियां वास्तव में मकान बनवाने पर ही खर्च हुई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) 'अल्प आय वर्ग आवास योजना' के अन्तर्गत १९५७–५८ में २१९ और अप्रैल दिसम्बर, १९५८ के काल में १४६ व्यक्तियों को ऋण मंजूर किये गये।

(ख), (ग) और (घ). सरकार को अभी तक किसी भी ऐसे मामले का पता नहीं चला है जिसमें कि ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास पहले ही अपना मकान मौजूद हो, या जिसने इस योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण को मकान बनवाने के अलावा और किसी काम पर खर्च किया हो।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में कुटीर उद्योग

†४४२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्दमान तथा निकोबार और लक्कदीव द्वीप-समूह में कुटीर उद्योग विकसित करने के लिये अभी तक क्या किया गया है; और

(ख) उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०७**]

मध्य-पूर्वी देशों के साथ व्यापार

†४४३. { **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य-पूर्वी देशों के साथ होने वाले हमारे व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इन देशों को १९५५, १९५६, १९५७ और १९५८ में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात किया गया और किन महत्वपूर्ण का आयात किया गया था; और

(ग) इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०८**]

(ग) मध्य-पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये ये कदम उठाये गये हैं :—

(१) मिस्र, ईराक, ईरान और सीरिया के साथ व्यापार करार और वाणिज्य तथा मैत्री की संधियां की जा चुकी हैं।

(२) सूडान, मिस्र, ईराक, सऊदी अरब और ईरान से व्यापार तथा व्यापार-व-सद-भावना प्रतिनिधि-मंडल भारत में आमंत्रित किये गये कि वे स्वयं इस देश में आकर देख लें

† मूल अंग्रेजी में

कि यहाँ कितने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रेशमी तथा रेयन वस्त्रों, प्लास्टिक वस्तुओं तथा लिनोलियम, तम्बाखू और रासायनिकों तथा उससे सम्बन्धित उत्पादों की निर्यात संवर्धन परिषदों ने मध्यपूर्वी देश में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे थे कि वे उन देशों में भारतीय वस्तुओं की खपत की सम्भावनाओं का पता लगायें।

(३) भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन तथा प्रचार के लिये काहिरा, तेहरान जद्दा तथा दमिश्क हमारे व्यापार केन्द्र, प्रदर्शन-कक्ष और प्रदर्शन-अलमारियां हैं। काहिरा में एक चाय-केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया है। बगदाद और अदिस अबाबा में प्रदर्शन-कक्ष रखने की बात पर भी विचार किया जा रहा है।

(४) भारत ने दमिश्क के अन्तर्राष्ट्रीय मेले और काबुल की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया था। मार्च १९५९ में बगदाद में एक भारतीय पदर्शनी करने का निर्णय किया जा चुका है। मध्य पूर्व के अन्य कुछ देशों में भी प्रदर्शनियां करने की बात सोची जा रही है।

चाय उत्पादन

†४४४. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चाय के उत्पादन और उस की मांग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) भारत में चाय की वार्षिक मांग कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) १९५८ में, भारत में चाय का का अनुमित उत्पादन ७० करोड़ ७० लाख पौंड था, जबकि उससे पिछले वर्ष का अनुमित उत्पादन ६८ करोड़ ४० लाख पौंड था। भारत में चाय की अनुमित वार्षिक खपत २३ करोड़ ३० लाख पौंड है।

(ख) भारत में प्रति वर्ष बिकने वाली चाय के मूल्य के आंकड़े सुलभ नहीं हैं, क्योंकि यहां विभिन्न किस्मों और विभिन्न श्रेणियों की चाय विभिन्न मूल्यों पर बेची जाती है।

काम दिलाऊ दफ्तर

†४४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ सितम्बर, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक के काल में देश के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीयित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) १ सितम्बर से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक के काल में ५४,५५८। जनवरी १९५९ से सम्बन्धित सूचना अभी सुलभ नहीं है।

तिकर की अदायगी

†४४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने व्यक्तियों को प्रतिकर अदा किया गया; और

(ख) अभी तक कितना पुनर्वास अनुदान अदा किया गया ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) १,४४,३०६ (इसमें २२,४०६ दावेदार, जिनको लेखों के विवरण दिये गये हैं, १८,१३१ व्यक्ति, जिनको अन्तरिम प्रतिकर दिया गया था और जिन्हें अब उसकी अन्तिम किश्त मिल चुकी है, और ७५ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनको नियमों ६५ तथा ६६ के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान दिया गया था)।

(ख) प्रतिकर में पुनर्वास अनुदान का भाग भी शामिल रहता है, जैसा कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, १९५५ के नियम ६४ में दिया गया है। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कुल ६७.८६ करोड़ प्रतिकर अदा किया गया था। नियमों ६५ और ६६ के अन्तर्गत, ३१ जनवरी, १९५९ तक १२,२३,२५८ रुपयों का पुनर्वास अनुदान अदा किया गया है।

बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†४४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार और बेरोजगारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षण का प्रतिवेदन अब प्रकाशित हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोआ की जेलों में भारतीय

†४४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के पुर्तगाली अधिकारियों ने अपनी जेलों से और भी भारतीयों को रिहा किया है,

(ख) यदि हां, तो कितनों और किन-किन को; और

(ग) गोआ की जेलों में अब कितने और कौन-कौन व्यक्ति बन्दी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में पहले १९ दिसम्बर, १९५८ को सूचना दी गई थी, उसके बाद से अब तक, हमारी सूचना के अनुसार, दो व्यक्ति और रिहा किये गये हैं। उनके नाम हैं श्री मधुसूदन गुन्तक और श्री गंगाधर आर० मंजरेकर।

(ग) गोआ की जेलों में दो भारतीय राष्ट्रजन और बन्दी हैं। उनके नाम हैं; श्रीमती सुधा जोशी और श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे। सूचना के अनुसार, श्रीमती सुधा जोशी बीमार हैं। आशा है कि उन्हें शीघ्र ही छोड़ दिया जायेगा।

नागा पर्यटक दल

†४४९. **श्रीमती मफ़ीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हाल में देश का दौरा करने वाले नागा पर्यटकों के शैक्षणिक दौरे पर कुल कितना व्यय किया ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** ४६ व्यक्तियों के नागा दल ने जनवरी, १९५९ में भारत का शैक्षणिक दौरा किया था और दिल्ली में गणतंत्र समारोह देखा था। अभी इस समय पूरे व्यय का पता नहीं है क्योंकि वह दौरा हाल में १० फरवरी, १९५९ को ही समाप्त हुआ है। अभी उसका पूरा लेखा नहीं मिला है। अनुमान है कि लगभग १८,००० रुपये व्यय हुए हैं।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†४५०. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के दिल्ली दूकानों तथा संस्थापनों अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत पंजीयित कराने के प्रश्न पर जो विचार किया जा रहा था, उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** दिल्ली दूकानों तथा संस्थापनों अधिनियम, १९५४ का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

सिलाई की मशीनें

†४५१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलाई मशीनों का उत्पादन बढ़ने से उनके विक्रय मूल्य में गिरावट आई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां, १९५७ के मुकाबले अब प्रति सिलाई मशीन १५ रुपये मूल्य कम हो गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काम दिलाउ दफ्तर

†४५२. **श्री पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में इस समय कितने बेरोजगार ग्रेजुएट, इंटरमीडियेट और मैट्रिक पास व्यक्तियों के नाम काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** सूचना इस प्रकार है :—

श्रेणी	३१ दिसम्बर तक चालू रजिस्टर में संख्या
१	२
ग्रेजुएट	५४१
इन्टरमीजिएट	२७४
मैट्रिक पास	३,१२०
कुल	३,९३५

† मूल अंग्रेज़ी में

बिहार में औद्योगिक बस्ती

†४५३. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार की औद्योगिक बस्तियों में कौन से उद्योग खड़े किये जायेंगे;

(ख) निजी तौर पर कौन से उद्योग खड़े किये जायेंगे;

(ग) इन उद्योगों से कितनों को रोजगार मिल सकेगा; और

(घ) क्या सरकार इन औद्योगिक बस्तियों में उद्योग खड़े करने के लिये निजी उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा–पटल पर रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०६]**

भारतीय सूती वस्त्र व्यापार प्रतिनिधि मंडल

†४५४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन अब मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

व्यथा निवारण प्रक्रिया[1]

†४५५. **श्री राम कृष्ण : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री १६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक उपक्रम में व्यथा निवारण प्रक्रिया चलाने के लिये व्यथा निवारण व्यवस्था (मशीनरी) स्थापित करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** त्रिदलीय बैठक में जिस आदर्श व्यथा निवारण प्रक्रिया को अपनाने के बारे में सहमति हुई थी, उसे मालिकों के सभी संगठनों के पास मालिकों को दिये जाने के लिये भेज दिया गया है, और उनसे अनुरोध किया गया है कि जिन औद्योगिक उपक्रमों में व्यथा निवारण की मौजूदा व्यवस्था त्रिदलीय बैठक द्वारा सुझाई गई आदर्श व्यवस्था से मेल खाती हुई न हो, उन सभी उपक्रमों में उपयुक्त व्यवस्था अपनाई जाये।

फ्रांस को निर्यात

†४५६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस को किये जाने वाले भारतीय वस्तुओं के निर्यात में, १६५७–५८ की अपेक्षा १६५८–५६ में कुछ सुधार हुआ है; और

(ख) क्या भारत में फ्रांस से किया जाने वाला आयात १६५७-५८ की अपेक्षा १६५८-५६ में कम हुआ है ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

[1]Grievance Procedure

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). अभी तक भारत से फ्रांस को और भारत में फ्रांस से किये जाने वाले निर्यात तथा आयात सम्बन्धी आंकड़े सिर्फ नवम्बर १९५८ तक ही सुलभ हैं। १९५८–५९ के पहले आठ महीनों (अप्रैल नवम्बर १९५८) में और १९५७–५८ के इन्हीं महीनों (अप्रैल—नवम्बर १९५७) में निर्यात और आयात के मूल्य के आंकड़े इस प्रकार हैं:

	लाख रुपयों में मूल्य	
	अप्रैल– नवम्बर १९५७	अप्रैल—नवम्बर १९५८
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	६६८	४६२
आयात	१३३३	८०६

राउरकेला में औद्योगिक बस्ती

†४५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १००७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राउरकेला में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : राउरकेला में औद्योगिक बस्ती की अनुमित लागत १५ लाख रुपये है। २०,००० रुपये के लागत की २५ एकड़ भूमि ली जा चुकी है। राज्य सरकार ने बस्ती के प्राक्कलनों और ब्यौरेवार योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बस्ती में कारखाने की इमारतें बनाने, विद्युत संस्थानों की व्यवस्था करने, इत्यादि के लिये चालू वर्ष में ६,१०,००० रुपये आवंटित किये हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग ने इमारतों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है।

साइकिल की बत्तियां

†४५८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक साईकिलों की बत्तियों का कोई प्रमाप (स्टैंडर्ड) पेश करने की कोशिश नहीं की गई है; और

(ख) क्या साइकिलों की ऐसी बत्तियां निर्मित करने का कोई प्रयास किया गया है जिनकी चोरी न हो सके और जिनमें कोई मशीनी खराबी भी न हो ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) भारत मानक संस्था ने बाइसिकिल की तेल बत्तियों के प्रमापिकरण का विषय स्वीकार कर लिया है और उसके लिये प्रारम्भिक जानकारी एकत्र कर ली है।

(ख) साइकिलों की बत्तियों का निर्माण मुख्यतया छोटे पैमाने की इकाइयां ही करती हैं। उत्पादन के आंकड़े सुलभ नहीं हैं। इन इकाइयों द्वारा तैयार की गई बत्तियों में कोई मशीनी खराबी होने की सूचना भी नहीं है।

†मूल अंग्रेज़ी में

२. बाइसिकिलों के लिये डायनेमा से जलने वाली बत्तियों का निर्माण बड़े पैमाने की इकाइयां करती हैं। उनको अलीपुर परीक्षण गृह में जांचा गया था और वे संतोषजनक सिद्ध हुई थीं। बड़े पैमाने की इकाइयों के उत्पादों के बारे में भी मशीनी खराबी की कोई शिकायत नहीं है।

३. चोरी न की जा सकने वाली बत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं है।

आवास योजनाओं की क्रियान्विति

†४५६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न आवास योजनायों के लिये राज्यों को आवंटित की गई राशियों में से अभी कितनी राशियां खर्च नहीं की गई है और आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही में विलम्ब को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : योजनावार पांच विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं जिन में बताया गया है कि योजना के पहले दो वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई, उन्होंने कितनी राशि वसूल की, चालू वर्ष के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है। और शेष दो वर्ष में खर्च करने के लिये कितनी राशि उपलब्ध है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११०]**

२. आवास योजना की क्रियान्विति सम्बन्धी कार्यवाही में जो विलम्ब हुआ उससे आगे के लिये बचने के लिये निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये गये हैं:—

(क) राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि आवंटित निधि की सेवा के भीतर रहते हुए वे उन योजनाओं को स्वयं स्वीकृत कर सकते हैं जो उन्होंने (अथवा राज्य की स्थानीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/औद्योगिक नियोजनों ने) ६ राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास और गंदी बस्तियां हटाने की योजनाओं के अन्तर्गत तैयार की हों। (पहले भी उन्हें शेष तीन योजनाओं अर्थात् अल्प अन्य वर्ग आवास योजना, बागान श्रमिक आवास योजना और ग्राम आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत परियोजनायें बनाने तथा उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था) अब उन्हें अलग अलग परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की टैक्नीकल अथवा वित्तीय अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

(ख) मई, १९५८ में केन्द्रीय सहायता देने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा होता है कि राज्य को आवास योजना के लिये आवंटित की गई राशि का तीन चौथाई भाग अर्थोपाय पेशगियों के तौर पर नौ मासिक किश्तों में दे दिया जाता है और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर असल खर्च में उसका समायोजन कर दिया जाता है। इस प्रकार अनुमति लेने और निधि वसूल करने से आवास परियोजनाओं में विलम्ब नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारी राज्य सरकार के पदाधिकारियों को गाहे बगाहे मिलते रहते हैं, आवास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं, निर्माण कार्य की गति को बढ़ाने के उपाय सोचते हैं और समस्याओं को मौके पर ही हल करने का प्रयत्न करते हैं।

सेकसरिया कॉटन मिल्ज, बम्बई

†४६०. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेकसरिया कॉटन मिल्ज, बम्बई को, जिसे राज्य सरकार स्वयं चला रही है, विदेशी कपास के आयात के लिये विशेष अभ्यंश आवंटित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मात्रा कितनी है और अभ्यंश आवंटित करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) २४२ गट्ठे। १९५८ के प्रारम्भ में मिल बन्द रही। अब उसे बेरोजगारी सहायता योजना के अधीन राज्य सरकार चला रही है। बन्द होने से पूर्व यह मिल महीन और बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार करती थी जिसके लिये उसे उसकी खपत के अनुसार अभ्यंश दिया जाता था। उक्त विशेष अभ्यंश मिल को काम अविरत्त जारी रखने के लिये और इस वायदे पर दिया गया था कि वह मिल साधारण मांग से अधिक अपनी खपत नहीं बढ़ायेगी।

आकाशवाणी में सरल संगीत[1]

†४६१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरल संगीत के लिये एक बोर्ड की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लागत आदि का ब्योरा तैयार कर लिया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है। इस बोर्ड पर अधिक लागत नहीं आयेगी क्योंकि इसके सदस्य अवैतनिक होते हैं।

खली बनाने का कारखाना

†४६२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मैसर्स डी० सी० एम० कैमिकल्ज लिमिटेड अथवा इनके किन्ही सहयोगियों अथवा सहायकों को २०० टन खली तैयार करने वाले कारखाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** जी, नहीं। बिनौलों से तेल और बिनौलों की खली तैयार करने के लिये उन्होंने जो लाइसेंस मांगा है उस पर विचार किया जा रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Light Music

अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन

†४६३. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) विदेशी मुद्रा स्थिति और योजना की आवश्यकताओं के बारे में हाल ही में लखनऊ में अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन में जो चर्चा हुई क्या उसकी और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) क्या चर्चा का प्रतिवेदन संसद् सदस्यों को दिया जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन का आयोजन व्यवसायिक अर्थशास्त्रियों की एक गैर सरकारी संस्था, इंडियन इकोनौमिक ऐसोसिएशन, ने दिया था। वह ऐसोसिएशन सम्मेलन में हुई चर्चा का सारांश, पहले की तरह, अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेगी।

राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अधीन अस्पताल

†४६४. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के **तारांकित प्रश्न** संख्या ६९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अधीन कानपुर में एक अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अस्पताल १९५९ में तैयार हो जायेगा;

(ग) इसमें कितने रोगियों के रहने की व्यवस्था होगी ; और

(घ) क्या अस्पताल में तपेदिक के रोगियों के लिये अलग प्रबन्ध होगा?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) भूमि अर्जित कर ली गई है और आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) २०२ बिस्तर (१११ सामान्य जिसमें प्रसूति बिस्तर और ९० तपेदिक के रोगियों के लिये होंगे)।

(घ) जी, हां।

विदेशी परामर्शदाता

†४६५. **श्री वाजपेयी :** क्या **प्रधान मंत्री** २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् विदेशी विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह सभा-पटल पर रखी जायेगी?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट१ अनुबंध संख्या १११]**

---

† मूल अंग्रेजी में

सिंचाई परियोजनाओं के लिये फाटक

†४६६. { श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन कारखानों की संख्या का पता लगाया गया है जो भारत में सिंचाई परियोजनाओं के लिये आवश्यक फाटक (गेट्स) बना सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में ऐसे कितने कारखाने हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). सिंचाई परियोजनाओं के लिये फाटक बनाने की क्षमता के आधार पर कोई विशेष निर्धारण नहीं किया गया है। फाटक सामान्य ढांचे तैयार करने के काम में ही शामिल हैं जिनके लिये लगभग ७८ फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता १७७,३०० टन प्रतिवर्ष है । सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में सात-सात कारखाने विशेषकर फाटक बनाने के लिये प्रसिद्ध हैं। इन कारखानों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११२**] सरकारी क्षेत्र के कारखाने पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस्पात और मिश्रित धातु वर्कशाप के उपकरण आदि उपलब्ध नहीं हैं।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

†४६७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय पंजाब में ले जाये जा रहे हैं जहां भूतपूर्व रियासतों की बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन कार्यालयों का स्थानान्तरण किया जा रहा है और कहां ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) और (ख). पंजाब सरकार से जो जानकारी मिली है उस से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये नाभा, कपूरथला, फरीदकोट और पटियाला में उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार से और पूछ-ताछ की जा रही है और यदि पंजाब की भूतपूर्व रियासतों में कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध हुआ तो केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों का स्थानान्तरण करन के बारे में विचार किया जायेगा ?

अफ्रीका में भारतीय

४६८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८ तक कितने भारतीयों का स्थानान्तरण पुनर्वास के लिये दक्षिणी अफ्रीका की एशियाई बस्तियों में किया गया तथा इससे भारतीयों की कितनी क्षति हुई ?

---

† मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जहां तक हमें पता है, कोई नहीं। बहरहाल, जैसा कि इस सभा में पहले भी कहा गया है, दक्षिणी अफ्रीका में जब ग्रुप एरियाज एक्ट पर अमल किया जायेगा तो इसके प्रभाव में आने वाले भारतमूलक लोगों की संख्या लाखों तक पहुंचेगी और उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना होगा।

कागज और अखबारी कागज का आयात अभ्यंश

†४६९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं ने १९५८-५९ में अधिक बिक्री दिखा कर कागज और अखबारी कागज के अधिक आयात अभ्यंश की मांग की है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : जनवरी-जून, १९५८ में बिक्री बढ़ने के आधार पर लगभग ३० अखबारों ने अखबारी कागज का अभ्यंश बढ़ाने की मांग की है।

श्रीलंका से प्रव्रजन

४७०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ फरवरी, १९५९ तक कितने भारती श्रीलंका से भारत में आये हैं?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सितम्बर १९५४ से लेकर १८ जनवरी १९५९ तक ५४,२१७ भारतीय राष्ट्रिक श्रीलंका छोड़कर आए। इनमें से, १८,८९६ लोग श्रीलंका सरकार की 'देश छोड़ो' नोटिस मिलने पर भारत आए थे, और ३५,३२१ लोग अपनी मर्जी से भारत को लौटे थे। उसके बाद के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

आकाशवाणी गवेषणा विभाग

४७१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, नई दिल्ली के गवेषणा विभाग में किन-किन विषयों पर प्रयोग किये जा रहे हैं;

(ख) इन प्रयोगों में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) क्या सफल प्रयोगों अथवा आविष्कारों की व्यापारिक संभावनाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम के साथ चर्चा की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) प्रसारण-काम को ठीक तरह से चलाने की समस्याओं के बारे में कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं जिनका सम्बन्ध अकाउसटिक्स, आडियो इन्जीनियरिंग रेडियो तरंगों का प्रसारण तथा ग्रहण, हाई फ्रिक्वैंसी इन्जीनियरिंग, वीडियो इन्जीनियरिंग, और रीडिफ्युजन बाई वायर से है।

(ख) इन प्रयोगों के कारण आकाशवाणी के स्टूडियो की अकाउसटिक्स और आडियो इक्विपमेंट के प्रयोग में सुधार हुआ है। इन सुधारों की वजह से शार्ट वेव ब्राडकास्टिंग में उन्नति हुई है। वीडियो इन्जीनियरिंग तथा तारों के पुनर्वितरण के क्षेत्र में भी अनुभव प्राप्त किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने प्रोटोटाइप थर्मो एलैक्ट्रिक जैनेरेटर को बनाने का काम शुरू किया है।

प्रबन्धकों की संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्

†४७२. { **श्री वाजपेयी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों और कर्मचारियों की एक संयुक्त परामर्शदात्री परिषद स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो परिषद के मुख्य कृत्य क्या हैं; और

(ग) परिषद के कुल कितने सदस्य हैं और उनमें कर्मचारियों के कितने प्रतिनिधि हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां।

(ख) परिषद के कृत्य ये हैं:—

(१) प्रबन्धकों को उद्योग के संचालन सम्बन्धी मामलों और कल्याण कार्य के बारे में मंत्रणा देना।

(२) प्रबन्धकों द्वारा परिषद के सामने पेश किये गये आर्थिक मामलों पर इस प्रकार के आर्थिक मामलों पर विचार कर के प्रबन्धकों को मंत्रणा देना जो सामान्य रूप से कम्पनी से सम्बन्ध रखते हैं परन्तु उन का उन प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं जो कम्पनी और अंशधारियों अथवा प्रबन्धक कर्मचारियों अथवा करों से अथवा अन्य गोपनीय मामलों से सम्बन्ध पर प्रभाव डालते हों।

(३) संयुक्त निर्माण परिषद अथवा संयुक्त 'टाउन' परिषद द्वारा सौंपे गये मामलों के बारे में मंत्रणा देना।

(४) इस के द्वारा की गई सिफारिशों को जो कम्पनी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हों संयुक्त निर्माण कार्य परिषद अथवा संयुक्त 'टाउन' परिषद द्वारा कार्यान्वित कराना।

(ग) प्रबन्धकों के आठ प्रतिनिधि और इतने ही कर्मचारियों के और एक सभापति जो कम्पनी द्वारा नामजद किया जाता है।

गोदी श्रमिक मंत्रणा समिति

†४७३. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान लादते और उतारते समय श्रमिकों के बचाव के बारे में चर्चा करने के लिये दिसम्बर, १९५८ में गोदी श्रमिक मंत्रणा समिति की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) अब तक सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, एक बैठक हुई थी परन्तु समिति ने विशेष रूप से इस बारे में विचार नहीं किया कि सामान लादते और उतारते समय श्रमिकों के बचाव के लिये क्या उपाय किये जायें ।

(ख) और (ग). जानकारी निम्नलिखित है :—

समिति की मुख्य सिफारिशें	की गई कार्यवाही
(१) लापरवाही से अथवा अधिक सामान लादने के कारण सामान की क्षति	
यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस समस्या का निरन्तर अवलोकन करने के लिये प्रत्येक पत्तन में एक त्रैपक्षीय समिति स्थापित की जाये ।	मामले पर विचार किया जा रहा है ।
(२) गोदी श्रमिकों की सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष निश्चित की जानी चाहिये	
यह निष्कर्ष निकाला गया कि विभिन्न गोदी श्रमिक बोर्ड तथा पत्तन प्राधिकारी इस पर विचार करें और उनके सुझावों पर अगली बैठक में विचार किया जाये ।	बोर्ड और पत्तन प्राधिकारी इस पर विचार करेंगे ।
(३) छुट्टियां	
इस पर सहमति प्रकट की गई कि तट पर काम करने वाल श्रमिकों की तरह, गोदी श्रमिकों को २१ आकस्मिक और वेतन सहित छुट्टियां दी जायें और इन छुट्टियों के वितरण का मामला बोर्डों को सौंप दिया जाये	बम्बई में गोदी श्रमिक बोर्ड ने अपने श्रमिकों को यह सुविधा पहले से दे रखी है । अन्य बोर्ड इस पर विचार कर रहे हैं ।
(४) अनुसूची में दर्ज श्रमिकों को नियमित रूप से काम देना	
इस पर सहमति प्रकट की गयी कि सूची बनाने की योजना के एक वर्ष तक चालू रहने के बाद गोदी श्रमिक बोर्ड स्थिति का पुनरावलोकन करें और कार्यवाही करने के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें भेजें ।	यह मामला बोर्डों के सामने पेश किया जायेगा ।
(५) गोदी श्रमिकों के लिय मकान बनाना	
समिति ने सिफारिश की कि गोदी श्रमिक बोर्ड के लिये राजसहायता प्राप्त आवास योजना बनाई जाये ।	गोदी श्रमिक बोर्डों को राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना की सुविधा देना सम्भव नहीं है । उनके लिये एक अलग योजना बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खनिज तेल उद्योग

†४७४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में खनिज तेल उद्योग के लिये मशीनें बनाने का कारखाना लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** इस विषय में पिछली बार प्रश्न का उत्तर देने के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है ।

साऊथ ब्लाक में 'लिफ्ट' दुर्घटना

†४७५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५८ में केन्द्रीय सचिवालय के साऊथ ब्लाक में 'विद्युत् लिफ्ट' की जो दुर्घटना हुई थी उसका ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या उसका शिकार हुए व्यक्ति के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) साऊथ ब्लाक में लिफ्ट नं० १२ को तोड़ कर नई लिफ्ट लगाने का काम ६-१२-१९५८ को शुरू किया गया था । साधारणतः लिफ्ट को तोड़ते समय कार को गर्डरों के साथ लटका दिया जाता है परन्तु यह सारा काम ठीक तरीके से नहीं किया गया था इस लिये १०-१२-५८ को कार फिसल कर नीचे गिर गई और टूट गई । इस में तीन व्यक्ति ज़ख्मी हुए ।

(ख) श्रमिकों को पाक्षिक प्रतिकर दिया जा रहा है । डाक्टरी रिपोर्ट मिलने पर प्रतिकर अन्तिम रूप में निर्धारित किया जायेगा ।

हथकरघा वस्तुओं का व्यापार

†४७६. **श्री थानुलिंगम नादर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ९ अमरीकी व्यापारियों के दल ने, जो हथकरघा वस्तुओं तथा हथकरघा वस्त्र का थोक तथा फुटकर व्यापार कर रहा है, भारत का दौरा पूरा कर लिया है;

(ख) क्या उस दल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन किस प्रकार का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दल ने अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात

४७७. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात से १९५८ में कुल कितनी आमदनी हुई;

(ख) किन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यात की गई वस्तुओं का विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११३**]

भिक्षावृत्ति का उन्मूलन[1]

†४७८. **श्री महन्ती :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति ने भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे सभा-पटल पर रखेगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुदान

†४७९. **श्री जीनचन्द्रन् :**
श्री वे० इयाचरण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने १९५७–५८ और १९५८–५९ में केरल सरकार को और केरल की अन्य संस्थाओं को कितनी आर्थिक सहायता दी और ये अनुदान किन-किन उद्योगों के लिये दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११४**]

त्रावनकोर मिनरलज़ (प्राइवेट) लिमिटेड

†४८१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रावनकोर मिनरलज़ (प्राइवेट) लिमिटेड का उत्पादन बढ़ाने अथवा नये उद्योग आरम्भ करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) इस योजना से कितने लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Eradication of beggary

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) त्रावनकोर मिनरलज़ (प्राइवेट) लिमिटेड का उत्पादन बढ़ाने अथवा नये सम्बद्ध उद्योग चालू करने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भटिंडा में औद्योगिक बस्ती

†४८२. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा में कोई औद्योगिक बस्ती बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि तक और वहां किन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों के लिये राशि

४८३. { **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और उसमें से कितनी धनराशि अब तक व्यय हुई ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि और क्यों व्यपगत हुई; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार व्यपगत राशि मध्य प्रदेश सरकार को देने का विचार कर रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). प्रश्न का आशय संभवत: मध्य प्रदेश की योजना के लिये केन्द्र से मिलने वाली सहायता से है । राज्य सरकारों को केन्द्र से मिलने वाली धनराशि उनकी वार्षिक योजना के अनुसार प्रति वर्ष तय की जाती है । मध्य प्रदेश ने १९५६–५७ और १९५७–५८ में केन्द्रीय सहायता के मद में क्रमश: १०.६ करोड़ और १९.७ करोड़ रुपये लिये थे और १९५८–५९ के लिये १८.५ करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदर्श ग्रामों के निर्माण की योजना

४८४. { **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श ग्राम निर्माण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन को अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने आदर्श ग्राम बस गये हैं अथवा बसाये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) १९५७–५८ में मध्य प्रदेश सरकार के लिये ३.७० लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई थी जिसका उस वर्ष वे उपयोग नहीं कर सके। १९५८–५९ में उस राज्य सरकार के लिये ५.२५ लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सहायता देने की नई विधि के अनुसार राज्य सरकार की वार्षिक निर्धारित सहायता का तीन चौथाई भाग उस राज्य को कार्य चालू रखने के साधन के रूप में नौ मासिक किश्तों में पेशगी दे दिया जाता है और इसका हिसाब वर्ष के अन्त में दी गई स्वीकृतियों के अनुसार किया जायेगा। ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत चुने गये गांवों की मकान परियोजनाओं के लिये ये धनराशियां निर्धारित की गई हैं। इन चुने हुए गावों में पर्याप्त मकान तथा दूसरी सुविधाएं मिल सकेंगी और इनसे आसपास के इलाकों को विकास के लिये प्रेरणा मिलेगी।

(ख) गत वर्ष राज्य सरकार को ३५ गांव अलाट किये गये थे और इस वर्ष ७० और गांव अलाट किये गये हैं। गांवों में मकान बनाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने इन १०५ गावों में से अभी तक ७८ गांव लिये हैं।

पेनशन पाने वाले शरणार्थी

†४८५. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उन सब व्यक्तियों को जो पाकिस्तान में पेनशन पाते थे और जिन्होंने ३१ दिसम्बर, १९५७ को अथवा उससे पूर्व अपने नाम दर्ज करा दिये थे भारत में पेनशन मिल सकेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** केन्द्रीय तथा प्रान्तीय पेनशनर और राज्यों और स्थानीय संस्थाओं के वे पेनशनर जो ३० जून, १९५५ से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ गये थे और जिन्होंने ३० सितम्बर, १९५६ तक केन्द्रीय क्लेम संघ के पास अपने क्लेम रजिस्टर करा दिये थे, भारत में अपनी पेनशन ले सकते हैं। यह बात पंजाब और बंगाल के विभाजित प्रान्तों और वहां की स्थानीय संस्थाओं के भूतपूर्व कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

२. प्रान्तीय पेनशनरों के लिये, जो पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आये हैं, एक अलग योजना है जिसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल और आसाम की सरकारें पेनशनों का अन्तर्कालीन भुगतान कर रही हैं। यह योजना इन पर लागू होती है :—

(१) अविभाजित बंगाल/आसाम के वे पेनशनर जिन्होंने ३१ दिसम्बर, १९५७ से पहले पूर्वी बंगाल से प्रव्रजन किया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) व पेनशनर जिन्होंने ३० जून, १९५५ तक पूर्वी बंगाल से सेवानिवृत्ति प्राप्त की और ३१ दिसम्बर, १९५७ तक प्रव्रजन करके भारत आये।

मंत्रालयों में स्थायी समितियां

†४८६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय में मंत्रालय के लिये योजनायें बनाने और उसे मंत्रणा देने के लिये स्थायी समितियां स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

काम दिलाऊ दफतर

†४८७. { **श्री दलजीत सिंह :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९५९ को **पंजाब** के काम दिलाऊ दफतरों के चालू रजिस्टरों में स्नातक और मैट्रिक पास बेरोजगारों की **संख्या** क्या थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** ३१ दिसम्बर, १९५८ के आंकड़े नीचे बताये **गये हैं**। ३१ जनवरी, १९५९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ग	३१ दिसम्बर, १९५८ को चालू रजिस्टरों में संख्या
(१)	(२)
स्नातक	१,७४२
मैट्रिक पास (इनमें इंटर पास भी शामिल हैं)	१४,८३१
कुल	१६,५७६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, **१९४७** की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में **कुछ और** संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० **१९५ की** एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० १२१७/५९]

†मूल अंग्रेजी में

काफी नियमों में संशोधन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं काफी अधिनियम १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० १२१८/५९]

वस्त्र (शक्ति चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश में संशोधन

†**श्री कानूनगो** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत वस्त्र (शक्ति चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० १२१९/५९]

दिल्ली किराया नियंत्रण नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ की धारा ५६ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९ में प्रकाशित दिल्ली किराया नियंत्रण नियम, १९५९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० १२२१/५९]

बाट तथा माप के प्रमाप नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४०३ में प्रकाशित बाट तथा माप के प्रमाप नियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० ११००/५८]

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६०

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने १९५९–६० में भारतीय रेलों की अनुमानित प्राप्तियों और उनके खर्च का विवरण पेश करने के लिए खड़ा हूं ।

१९५७-५८ के वित्तीय परिणाम

२. हमेशा की तरह पहले मैं पिछले वर्ष के सम्पूर्ण लेखों का उल्लेख करूंगा । यातायात से वास्तविक कुल प्राप्ति ३७९·७८ करोड़ रुपये रही जबकि संशोधित अनुमान ३८४·४० करोड़

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

रुपये था । इस तरह वास्तविक प्राप्ति में ४ ' ६२ करोड़ रुपये की कमी रही जो यात्री और माल दोनों यातायात में हुई । जनवरी, १६५८ के मध्य से यातायात में भारी गिरावट शुरू हुई । साधारण संचालन-व्यय का संशोधित अनुमान २५६ ' १६ करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक व्यय ५ ' ०२ करोड़ रुपये अधिक हुआ । संचालन-व्यय में यह बढ़ती अधिकतर मरम्मत और अनुरक्षण के मद में हुई। इस मद में अधिक खर्च का एक कारण यह है कि रेल-परिसम्पत्तियों के क्रमशः विस्तार हो रहा है । इसके अलावा रेल दुर्घटनाओं को यथा-सम्भव रोकने के लिए सुरक्षा के जो उपाय किये गये हैं, उनकी वजह से भी यह खर्च कुछ बढ़ गया है । कुछ छोटे-मोटे मदों में कमी बेशी का लेखा-जोखा करने के बाद वर्ष की शुद्ध बचत १३ ' ३८ करोड़ रुपये रही जबकि बचत का संशोधित अनुमान २१ ' ६६ करोड़ रुपये था । वर्ष की कुल बचत विकास निधि में डाल दी गयी ।

रेलवे की दूसरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

३. चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की चर्चा करने से पहले मैं सदन के सामने रेलवे की दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण रखूंगा क्यों कि ३१ मार्च १६५६ को योजना के तीन वर्ष पूरे हो जायेंगे ।

४. दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, अर्थात् १६५६-५७ में कुल १२४० लाख टन माल ढोया गया जबकि १६५५-५६ में ११४० लाख टन माल ढोया गया था, अर्थात् १६५६-५७ में लगभग ८ ' ८ प्रतिशत अधिक माल ढोया गया । १६५७-५८ में ढोये गये माल की टन-संख्या बढ़ कर १३२० लाख हो गयी, अर्थात् १६५६-५७ की तुलना में माल यातायात लगभग ६ ' ५ प्रतिशत और बढ़ा । १६५७-५८ की तुलना में चालू वर्ष में माल यातायात में बढ़ती ५० लाख टन से अधिक नहीं होगी जबकि बजट में १२० लाख टन बढ़ती का अनुमान था । कोयला यातायात की बढ़ती को छोड़कर बाकी बढ़ती अनुमान से बहुत कम रही । वास्तव में खेती की पैदावार कम रही ।

५. जहां तक रेलवे-योजना पर खर्च का सम्बन्ध है, १६५७-५८ में खर्च की यह रकम बढ़कर २५१ ' ४७ करोड़ रुपये हो गयी । योजना के पहले वर्ष में १७६ करोड़ रुपये खर्च हुए थे । चालू वर्ष में योजना पर २४५ ' २५ करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है । बजट में २३५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है । योजना में रेलवे मन्त्रालय को कुल ११२१ ' ५ करोड़ रुपये नियत हुए थे, इस तरह १६६०–६१ के लिए, जो योजना का अन्तिम वर्ष है, लगभग २११ करोड़ रुपये बाकी बचेंगे । माननीय सदस्य जानते हैं कि सामान और मजदूरी की लागत में बढ़ती और विदेशी विनिमय की कमी के कारण ११२१ ' ५ करोड़ की व्यवस्था के भीतर रेलवे की पंचवर्षीय योजना के क्रम में कुछ हेर-फेर करना पड़ा । यद्यपि चालू वर्ष में माल यातायात अनुमान से कम रहा है, फिर भी यह आशा करने के पर्याप्त कारण हैं कि १६५६-६० में अतिरिक्त रेल परिवहन की मांग लगभग १४० लाख टन बढ़ जायेगी । यह आशा इस आधार पर लगायी जा रही है कि खेती की फसलों के आसार अच्छे हैं और इसके अलावा इस्पात कारखानों में विभिन्न स्तर पर उत्पादन शुरू होने और मोकामा में गंगापुल चालू होने के कारण भी यातायात बढ़ेगा । इस तरह १६५६–६० के अन्त तक रेलों को लगभग १,५१० लाख टन माल यातायात ढोना होगा । यह इस बात का संकेत है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, अर्थात् १६६० -६१ के अन्त तक हम १,६२० लाख टन के अनुमान तक पहुंच जायेंगे । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस मांग को पूरा करने के लिए रेलवे की क्षमता बढ़ाने का हर सम्भव उपाय किया जायेगा ।

१९५८-१९५९ में परिचालन की समीक्षा

६. चालू वर्ष में दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक बड़ी लाइन में माल-डिब्बों का लदान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में केवल लगभग २ प्रतिशत बढ़ा है और मीटर लाइन में ७ प्रतिशत से कुछ अधिक कमी हुई है। उत्तर बिहार में सूखा से प्रभावित क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वहां अनाज पहुंचाया गया। नदियों की वजह से यातायात की कठिनाइयों के होते हुए भी अगस्त, १९५८ में विभिन्न स्टेशनों से उत्तर बिहार के स्टेशनों को बड़ी लाइन के ३६०० से अधिक माल-डिब्बे भेजे गये जिनमें लगभग ८०,००० टन अनाज लदा हुआ था। इसके अलावा कांडला और उत्तर, पश्चिम और पूर्वोत्तर रेलों के मीटर लाइन स्टेशनों से भी लगभग ३५,००० टन अनाज के करीब ३,००० माल-डिब्बे उत्तर बिहार में भेजे गये। पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे बन जाने से आसाम रेल-लिंक पर यातायात में सुधार हुआ और आमतौर पर आसाम में माल यातायात की मांग भी पूरी की गयी।

७. चालू वर्ष में नवम्बर, १९५८ तक देश में कोयले के समूचे लदान में एक रिकार्ड कायम हुआ। १९५७-५८ में प्रतिदिन ४,६६० माल डिब्बे लादे गये थे; चालू वर्ष में यह संख्या बढ़ कर ४,९९५ हो गयी। इस तरह माल डिब्बों का लदान ७·२ प्रतिशत बढ़ा। कोयले पर भाड़े की दर ऊंची नहीं है, इसलिए कोयले का जितना लदान बढ़ा, उसके अनुसार आमदनी नहीं बढ़ी। बंगाल और बिहार के कोयला-खानों से प्रतिदिन औसतन ३,९७१ माल डिब्बे लादे गये। पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन ३,७०० माल डिब्बे लादे गये थे। मुगलसराय से होकर जाने वाले यातायात में क्रमशः सुधार जारी रहा। मुगलसराय से पश्चिम की ओर प्रतिदिन औसतन २,१७६ माल डिब्बे भेजे गये, पिछले दो वर्षों में क्रमशः, २,०३७ और १,८८१ माल डिब्बे भेजे गये थे।

८. यातायात के रुप में गिरावट, जो १९५८ के शुरू में आरम्भ हुई, लगभग नवम्बर, १९५८ तक जारी रही। १९५७–५८ की तुलना में इस वर्ष बड़ी लाइन में अनाज और दाल और दोनों, बड़ी और मीटर लाइनों में तिलहन, रुई, पटसन और गन्ने के यातायात में भारी गिरावट हुई है। कुछ भीड़ वाली लाइनों को छोड़कर जहां यातायात का दबाव अभी भी अधिक है, प्रायः पूरे देश में माल भेजने के लिए डिब्बों की मांग आमतौर पर कम रही। व्यस्त काल में भी माल डिब्बे अधिक तादाद में उपलब्ध रहे जिसकी सूचना समाचार पत्रों द्वारा व्यापारियों को दी गयी और उनसे कहा गया कि इससे लाभ उठाये। यातायात में एक दूसरे ढंग का विकास नोटिस में आया है, वह यह कि रेलवे लाइनों के साथ-साथ चलने वाली सड़कों पर ऊंची दर का माल रेल से न जाकर ट्रकों में जा रहा है, यद्यपि इन रेल लाइनों पर अधिक माल ढोने की क्षमता है। इस पर विचार किया जा रहा है कि परिवहन के हमारे सीमित साधनों के अधिक से अधिक उपयोग के लिए किस तरह के समंजन जरूरी हैं।

९. इस वर्ष रेल परिचालन में एक महत्वपूर्ण विकास यह हुआ है कि कुछ चुनी लाइनों पर डीज़ल इंजन से गाड़ियां चलायी जा रही हैं। अधिक भारी माल गाड़ियों को खींचने के लिए सेन्टर बफर लगाना भी शुरू किया गया है।

१९५८–५९ का संशोधित अनुमान

१०. अब अनुमान है कि चालू वर्ष में माल यातायात से २४५·८३ करोड़ रुपये, अर्थात् २५०·५० करोड़ रुपये के बजट अनुमान से ४·६७ करोड़ कम आमदनी होगी। यात्री यातायात में अब ११६·३० करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है; इसका बजट अनुमान १२४·७३ करोड़ रुपये था। पार्सल और फुटकर यातायात की आमदनी कुछ बढ़ेगी। इस तरह चालू वर्ष में यातायात

[श्री जगजीवन राम]

से कुल प्राप्ति का संशोधित अनुमान ३९४·३८ करोड़ रुपये है, अर्थात् बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान १३·१० करोड़ रुपये कम है। इसके विपरीत राजस्व लेखे में २·६३ करोड़ रुपये भी आकस्मिक आमद हुई है जो उन रेल कर्मचारियों की राजकीय रेलवे निर्वाह निधि के लेखे में सरकारी अंशदान और उस पर सूद की रकम है, जिन्होंने निर्वाह निधि के बदले पेंशन-योजना अपनायी है।

११. साधारण संचालन व्यय का संशोधित अनुमान २७४·२२ करोड़, अर्थात् २६८·३५ करोड़ के बजट अनुमान से ५·८७ करोड़ रुपये अधिक है। इसमें करीब एक करोड़ रुपये कोयले की कीमत बढ़ जाने के कारण है। कोयले की कीमत १७ मई १९५८ से ७५ नये पैसे बढ़ायी गयी और १७ अक्टूबर १९५८ से यह बढ़ती घटा कर ४१ नये पैसे कर दी गयी। इसके अलावा बिक्री-कर के बकाये के भुगतान (जिसकी बजट में व्यवस्था नहीं की गयी थी), सामान की लागत में अनुमान से अधिक बढ़ती, पुलों पर पहरा, पुल और रेल-पथ के पुनःस्थापन और अनुरक्षण (रिहैबिलिटेशन एंड मेन्टिनैन्स) आदि सुरक्षा के काम पर अधिक खर्च और रेल कारखानों और शेडों में अधिक चल-स्टाक की मरम्मत के कारण भी खर्च बढ़ा है।

१२. राजस्व लेखे में दूसरी कमी-बेशी का लेखा-जोखा करने के बाद १९५८-५९ में १३ करोड़ रुपये शुद्ध बचत का अनुमान है। इसमें चालू लाइन काम पर राजस्व लेखे के खर्च में २·६ करोड़ की बचत भी शामिल है। यह बचत विकास निधि में डाली जायेगी।

१३. चालू वर्ष में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक का संशोधित अनुमान अब २४५·२५ करोड़ रखा गया है जो बजट अनुमान से १४·७५ करोड़ कम है।

१४. अब मैं विभिन्न निधियों की स्थिति के बारे में थोड़ा ज़िक्र करूंगा। ३१ मार्च, १९५९ को मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि और राजस्व आरक्षित निधि में से हर एक में लगभग ५० करोड़ रुपये के भारी अवशेष की सम्भावना है। सामान्य राजस्व को लाभांश देने के बाद १९५७-५८ में शुद्ध रेलवे बचत घट कर १३·३८ करोड़ रुपये रह गयी थी जिसके फलस्वरूप १ अप्रैल, १९५८ को विकास निधि में सिर्फ १·८५ करोड़ रुपये रह गये थे। इस निधि में केवल वर्ष की शुद्ध बचत से आमदनी होती है, और चूंकि चालू वर्ष में भी थोड़ी बचत (१३ करोड़) का अनुमान है, इसलिए यह निधि और भी घट जायेगी। रेलवे योजना में विकास निधि से लगभग कुल ९२ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था है। चूंकि विकास निधि में लगातार दो वर्षों से केवल १३ करोड़ रुपये डाले जा रहे हैं, इसलिए विकास निधि के खर्च को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से कर्ज़ लेना अनिवार्य हो गया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि विकास निधि में रेलवे बचत से आमदनी होती है और इससे यात्रियों और दूसरे रेल उपयोक्ताओं की सुविधा और २५,००० रुपये से अधिक लागत के कर्मचारी-हित के काम के अलावा सिगनल-व्यवस्था में सुधार, गाड़ी-नियंत्रण के उपस्कर, सुरक्षा के दूसरे काम, इंजनों में पानी देने की व्यवस्था में सुधार आदि परिचालन-सम्बन्धी सुधार के काम किये जाते हैं। वास्तव में १९५४ की रेलवे अभिसमय समिति का भी अनुमान था कि ऐसा अवसर आ सकता है जब विकास निधि से होने वाले कामों का खर्च इस निधि के साध ों से पूरा न हो सके। इसके लिए समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसी स्थिति में सामान्य राजस्व अस्थायी कर्ज़ दे सकता है। खर्च कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, फिर भी चालू वर्ष में ११ करोड़ रुपये का कर्ज़ लेना ज़रूरी है और इसका प्रबन्ध कर लिया गया है।

१५. इसके पहले कि मैं बजट वर्ष के प्रस्तावों का जिक्र करूं, मैं वर्तमान अभिसमय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा जो रेलवे वित्त और सामान्य वित्त पर लागू है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि वर्तमान अभिसमय की अवधि ३१ मार्च, १९६० तक है। साधारणत: मैं सदन से प्रार्थना करता कि एक दूसरी अभिसमय समिति नियुक्त की जाये और उससे कहा जाये कि वर्तमान अभिसमय के काम की समीक्षा करे और अगले पांच वर्षों (१९६०-६५) के लिये अपने सुझाव दे। लेकिन काम शुरू करने से पहले समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह अगले कुछ वर्षों में रेलवे की वित्तीय स्थिति, उत्तरदायित्व और बचत के साधनों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी कर ले। चूंकि हर पंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में इस तरह की जानकारी की जाती है, इसलिए यदि भविष्य में रेलवे अभिसमय और योजना की अवधि साथ-साथ चलती रहे, तो इससे बड़ी सुविधा होगी। वर्तमान अभिसमय को एक वर्ष, अर्थात् ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ा कर यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। १ अक्तूबर, १९५८ से भाड़े की नयी दरें लागू की गयी हैं। यदि इस समय अभिसमय समिति नियुक्त की जाये, तो तर्क संगत और सही आधार पर अगले कुछ वर्षों में रेलवे की आमदनी आंकने के लिए भाड़े की संशोधित दरों के पूरे वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना सम्भव न होगा। इसी तरह खर्च की तरफ वेतन कमीशन की रिपोर्ट का भी इन्तज़ार है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति का वास्तविक अनुमान एक वर्ष के बाद ही लगाया जा सकेगा। वास्तव में १९५४ की अभिसमय समिति ने भी कहा था कि योजना पर अमल करने के फलस्वरूप रेलवे की गतिविधियां बढ़ रही हैं और इन्हें ध्यान में रख कर रेलवे की वित्तीय स्थिति की हर पांचवे वर्ष की समीक्षा की जाये। वर्तमान अभिसमय को एक वर्ष, अर्थात् ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ाने के लिए मेरा जो सुझाव है, उसकी पुष्टी इससे हो जाती है। सदन के अनुमोदन के लिए मैं जल्द इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखूंगा।

१९५९-६० का बजट अनुमान

१६. अब मैं १९५९-६० के बजट अनुमान का जिक्र करूंगा। १९५८-५९ में यात्री यातायात में जो गिरावट आयी उसका अनुमान पहले नहीं लगाया जा सका था। लेकिन पिछले महीनों से यातायात का झुकाव बढ़ती की ओर है। काफी सोच विचार के बाद १९५९-६० में यात्री यातायात की आमदनी का अनुमान ११८·३० करोड़ लगाया गया है जो चालूवर्ष के ११६·३० करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से केवल २ करोड़ अधिक है। पार्सल यातायात में सम्भावित कमी को ध्यान में रख कर पार्सल आदि के मद में २४ करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान है जो चालू वर्ष के २४·४५ करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से ४५ लाख रुपये कम है। ४५ लाख की कमी इसमें इसलिए की गयी है कि शायद पार्सल यातायात कुछ गिर जाये।

बजट वर्ष में माल-यातायात से आमदनी का अनुमान २७२·५८ करोड़ रुपये है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से २६·७५ करोड़ रुपये अधिक है। इसमें ५ करोड़ रुपये की बढ़ती भी शामिल है जो १ अक्टूबर १९५८ से भाड़े की नयी दरें लागू करने के फलस्वरूप बजट वर्ष में होगी। माल यातायात की आमदनी का अनुमान इस सम्भावना के आधार पर लगाया गया है कि अगले वर्ष रेलवे को १४० लाख टन अतिरिक्त माल ढोना पड़ेगा। इस तरह कुल माल-यातायात लगभग १,५१० लाख टन होगा। १४० लाख टन की बढ़ती में लगभग ३० लाख टन बढ़ती सामान्य माल-यातायात में, ३० लाख टन कोयला और लगभग ८० लाख टन इस्पात कारखानों के लिए कच्ची धातु, कोयला और तैयार माल के परिवहन में होगी। सामान्य औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ जाने की सम्भावना है, इसलिए अनुमान है कि सामान्य माल-यातायात में ३० लाख टन की बढ़ती होगी। यह बढ़ती खास तौर पर इस्पात कारखानों में उत्पादन, चालू वर्ष में अनाज की अधिक उपज और मोकामा में गंगापुल पर यातायात शुरू होने के बाद असम, उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल यातायात में सम्भावित बढ़ती के कारण है। इस्पात कारखानों के सम्बन्ध

[श्री जगजीवन राम]

में ८० लाख टन अतिरिक्त यातायात का जो अनुमान लगाया गया है उसमें टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, राउरकेला और भिलाई और कुछ हद तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का यातायात भी शामिल है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में अप्रैल १६५६ तक पूरा उत्पादन होने लगेगा और बजट वर्ष के अन्त में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में भी उत्पादन शुरू हो जायेगा।

१६५६–६० में फुटकर आमदनी का अनुमान ८·४० करोड़ रुपये है। यातायात अवर्गित में सामान्य बढ़ती का अनुमान चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ४० लाख अधिक है। इसका लेखा-जोखा करके १६५६–६० में यातायात से कुल आमदनी का अनुमान ४२२·०३ करोड़ रुपये रखा गया है।

१७. १६५६–६० में साधारण संचालन-व्यय का बजट अनुमान २८३·७१ करोड़ रुपये है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ६·४६ करोड़ रुपये अधिक है। यह बढ़ती इन मदों में हुई है :— कर्मचारियों के वेतन में सालाना तरक्की और उनमें हेर-फेर पर लगभग २ करोड़, कर्मचारी-हित के कामों पर लगभग १ करोड़ और मरम्मत की लागत पर लगभग २.५ करोड़ अधिक खर्च की व्यवस्था। मरम्मत के मद में १६५८–५६ और १६५६–६० की नयी परिसम्पत्तियों (अर्थात् नयी लाइनों, चल-स्टाक आदि) का खर्च भी शामिल है। लगभग ४ करोड़ की व्यवस्था यातायात की सम्भावित बढ़ती को सम्हालने के लिए परिचालन (कर्मचारी, ईंधन आदि) के मद में है। खर्च पर रोक-थाम के लिए पूरी कोशिश जारी है।

१८. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने कोयला-विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की चर्चा की थी। पिछले अगस्त में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। कोयले की लागत और उसके भाड़े में बढ़ती के कारण रेलों में ईंधन का खर्च बढ़ रहा है। समिति ने इस स्थिति का विश्लेषण किया है और उसे मालूम हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों से कोयले की खपत आमतौर पर कम रही है। फिर भी, समिति ने कोयले की खपत और उसका खर्च घटाने के लिये कई सुझाव दिये हैं, जिनमें कोयले की किस्म में सुधार और कोयले की चोरी, नुकसान और बरबादी रोकने के लिये निगरानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। समिति ने कोयले की किस्म में सुधार करने पर विशेष जोर दिया है और यह सुझाव रखा है कि रेलवे जो कोयला खरीदे उसका ठेका सीधे कोयला खानों को दिया जाये और कोयले की जांच में अधिक सख्ती बरती जाये। कमेटी की सिफारिशों पर इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय से बातचीत की जा रही है क्योंकि कोयले की सप्लाई और जांच का काम उसी मन्त्रालय के नियन्त्रण में है।

१६. चालू वर्ष में राजस्व खाते से चालू लाइन कार्यक्रम पर कम खर्च की व्यवस्था की गयी है क्योंकि शुद्ध राजस्व घट गया है। फिर भी, १६५६–६० में इस मद पर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ३ करोड़ अधिक खर्च करने का विचार है क्योंकि निर्माण कार्य का झुकाव बढ़ती की ओर है। निर्माण पर पूंजी से अधिक खर्च होगा जिसकी वजह से सामान्य राजस्व को चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग ४·५ करोड़ रूप में अधिक लाभांश देना होगा। बजट वर्ष में राजस्व के मद में लगभग २११६ करोड़ की वचत का अनुमान है जिसे विकास निधि में डालने का विचार है। इस बचत के बावजूद भी १६५८–५६ की तरह बजट वर्ष में भी सामान्य राजस्व से कर्ज लेना पड़ेगा।

२०. पिछले वर्ष बजट भाषण में मैंने कहा था कि पूर्वोत्तर रेलवे में हावड़ा से मोगल सराय तक और दक्षिण-पूर्व रेलवे में आसनसोल से टाटानगर-राउरकेला-राजखरसवां-बड़ाजमदा तक बिजली से गाड़ी चलाने का काम दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा हो जायेगा। इस काम की तात्का-

लिक आवश्यकता, तकनीकी जटिलताओं और इसके सम्पर्क के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, इस योजना के संचालन के लिये जून, १९५८ में एक जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर के अधीन एक अलग प्रशासन स्थापित किया गया। लाइन पर विस्तृत काम के अलावा, बिजली की सप्लाई और दूर-संचार-व्यवस्था में फेर-बदल के काम हो चुके हैं और दुर्गापुर-गया, आसनसोल-सीनी, टाटानगर-राउरकेला राजखरसवां-डंगोआपोसी और कांदरा-गोमहरिया सेक्शनों के लिये बिजली के ऊपरी उपस्कर की सप्लाई और उसे लगाने के लिये आर्डर दे दिये गये हैं। बाकी सेक्शनों से पर भी काम शुरू करने के लिये कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए ऊपरी उपस्कर आदि देश में तैयार करने के उद्देश्य से देशी कारखानों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने में सहायता दी जा रही है। कोयला-क्षेत्र और सियालदह डिवीजन के कलकत्ता उपनगरी सेक्शनों में यातायात की तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है और उसी के अनुसार कामों का क्रम बदला जा रहा है। जिन सेक्शनों में बिजली लगाने का काम तीसरी योजना में जारी रहेगा, उन पर पटरी घिसकाने और रुकावटों को दूर करने जैसे सिविल इंजीनियरिंग के प्रारम्भिक काम भी शुरू किये जा रहे हैं।

दक्षिण में मद्रास-विल्लुपुरम सेक्शन में बिजली लगाने के बारे में मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अब इस काम को आगे बढ़ाना सम्भव है क्योंकि बिजली मिलने का आश्वासन मिल गया है।

२१. चालू वर्ष में ज़रूरी सामानों की सप्लाई प्रायः सन्तोषजनक रही जिसकी वजह से निर्माण-कार्यों पर खर्च की तेज़ी समान रूप से कायम रही। पुल के गर्डरों के मिलने में जो कठिनाई थी और जिसका ज़िक्र मैंने पिछले बजट-भाषण में किया था, वह अब कुछ हल हो गयी है क्योंकि गर्डर मिल रहे हैं।

२२. विभिन्न योजनाओं पर पूरी तेज़ी से काम हो रहा है। इस साल विभिन्न स्तरों पर लगभग १५०० इंजीनियर और इंजीनियरिंग सुपरवाइजर और लगभग २ लाख मजदूर रेल योजनाओं के काम में लगे रहे हैं। इसमें उन कारीगरों की तादाद शामिल नहीं है जो पटरी के बदलाव और रेलवे के दूसरे सामान्य काम के लिए रखे जाते हैं। योजना के तीसरे वर्ष में रेलों का निर्माण कार्य बहुत अधिक बढ़ गया। कुल १,८४८ मील नयी लाइनें बिछाने और लाइनों को दोहरा करने का काम चालू है, जिसमें से ४२३ मील लम्बी लाइनें (अर्थात् १७३ मील नयी लाइनें और २५० मील दोहरी लाइनें) चालू वर्ष में यातायात के लिए खोली जा चुकी हैं। ५२५ मील नयी लाइनों का निर्माण हो रहा है जिनमें ये सेक्शन शामिल हैं :—चन्द्रपुरा-मुरी-रांची-हतिया, बोंडामुंडा-डुमारो भिलाई-देवरझाल, बाराबिल-पम्पोश गोर्ज, बोंडामुंडा-नवांगांव-पूर्णपाणि, दामोदर-कालीपहाड़ी, बिजुरी-करोंजी, जरंगडीह और कर्णपुरा कोयला-क्षेत्रों में, गीड़ी-सोंडा-बछरा शाखा लाइनें, कुमेदपुर-बरसोई, राबर्टसगंज-गढ़वारोड, गाज़ियाबाद-तुगलकाबाद जिसमें दूसरा यमुना पुल भी शामिल है, खण्डवा-हिंगोली का बाकी १३० मील लम्बा टुकड़ा और बारासत-हसनाबाद सेक्शन। इनके अलावा ९०० मील लम्बी दोहरी लाइन बिछाने का काम भी चालू है। इसमें से ४३० मील दक्षिण-पूर्व रेलवे में, १९० मील दक्षिण रेलवे में, १०० मील पश्चिम रेलवे में, ९० मील उत्तर रेलवे में, ४० मील मध्य रेलवे में और ५० मील पूर्वोत्तर रेलवे में है।

उत्तर-रेलवे में रोहतक-गोहाना सेक्शन ३१ अक्टूबर, १९५८ से माल यातायात और २९ दिसम्बर, १९५८ से यात्री यातायात के लिए फिर खोल दिया गया।

२३. आसाम रेल-लिंक को मज़बूत करने का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। १९५७–५८ में काम के पहले मौसम में १७ पुलों को फिर से बनाने का काम पूरा हो चुका है। बांधों और पुलों

[श्री जगजीवन राम]

को अधिक सुरक्षित और मज़बूत बनाने के लिये भी काफी काम किया गया है। काम के चालू मौसम में २० दूसरे पुलों को फिर से बनाने और दूसरे छोटे-मोटे काम को पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

२४. आशा है कि मोकामा में गंगापुल इस साल अप्रैल में यातायात के लिए खोल दिया जायेगा वास्तव में यह एक प्रशंसनीय कार्य होगा।

२५. ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण की प्रगति भी सन्तोषजनक है। पत्थर साइडिंग बिछायी जा चुकी है, बेस कैम्प और निर्माण कारखाना बन चुके हैं। दो कूप-स्तम्भों को गलाने का काम हो रहा है।

२६. बजट वर्ष में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का अनुमान २३५ करोड़ रुपये है। इस तरह योजना के अन्तिम वर्ष के लिए लगभग २११ करोड़ रुपये बेच रहते हैं। २३५ करोड़ के पूंजी बजट में लगभग ८० करोड़ रुपये चल-स्टाक के लिये ५ करोड़ रुपए मशीन और संयंत्र के लिए, ४७ करोड़ रुपये नयी लाइन बिछाने और उखाड़ी हुई लाइनों को फिर से बनाने के लिए, ३७ करोड़ रुपये पटरियों के बदलाव के लिए और लगभग ६६ करोड़ रुपये दूसरे चालू-लाइन काम आदि के लिए रखे गये हैं।

२७. नयी लाइनों पर काम शुरू करने में कम से कम समय लगे, इसके लिये यह तय किया गया है कि तीसरी योजना में जो नयी लाइनें बनायी जायेंगी, उनमें से कुछ पर अभी काम शुरू कर दिया जाय। तीसरी योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में यह पहला कदम होगा। ये नयी लाइनें या तो ऊंचे-नीचे इलाकों से होकर गुजरेंगी या इनके बनाने में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिन्हें हल करने में समय लगेगा—जैसे जमीन की खरीद, लाइन बनाने के लिए ज़मीन की तैयारी और पुल के सम्बन्ध में बड़े काम। इस तरह की नयी लाइनों की लम्बाई ५०० मील है और इनमें ये सेक्शन शामिल हः—उदयपुर-हिम्मतनगर, झुंड-कांडला, तिलडांगा-फर्रुखा, खजुरियाघाट-माल्दा, दिल्ली परिहार लाइन और माधोपुर से रावी पार जम्मू और काश्मीर रियासत में रेल का विस्तार। गुना-उज्जैन और बख्तियारपुर-राजगिरि लाइन बनाने का काम भी इसी वर्ष शुरू हो जायेगा। बजट वर्ष में ११५ मील लम्बी सम्बलपुर-टिटिलागढ़ और बिमलागढ़-किरिबुरु लाइनें भी शामिल हैं। इन लाइनों से विशाखापत्तनम बन्दरगाह होकर २० लाख टन लोहा बाहर भेजने में सहायता मिलेगी।

तीन नयी लाइनों के निर्माण की सम्भावना पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। जिनके नाम ये हैं:— मंगलुरु-हस्सन, दीवा-दसगांव और पथरकांडी-धर्मनगौर लिंक। इन पर सक्रिय विचार हो रहा है। इसके अलावा हिन्दूमल कोट और श्री गंगानगर के बीच एक बड़ी लाइन बनाने के लिये राजस्थान पंचायत संघ ने मिट्टी आदि के काम के लिए श्रमदान का वचन दिया है। हिन्दूमल कोट उत्तर रेलवे में बड़ी लाइन का एक सीमान्त स्टेशन है और श्री गंगानगर मीटर लाइन का स्टेशन है। यह देखने के लिए कि श्रमदान की बात व्यवहार में कहां तक सच उतरती है, इस लाइन पर काम शुरू करने के सवाल पर भी विचार किया जा रहा है। इस परीक्षण पर शुरू में बहुत थोड़ी रकम लगायी जायेगी।

दक्षिण रेलवे में गुडिवाडा-भीमावरम-विजयवाड़ा-मचिलीपट्टणम सेक्शन की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के दूसरे चरण और राजमुंड्री-सामर्लकोट सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने के लिए भी १९५९–६० में व्यवस्था की गयी है।

इन दोनों योजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः ३ और १·३२ करोड़ रुपये है। इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर दक्षिण रेलवे की लाइन-क्षमता बढ़ जायेगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यातायात की प्रत्याशित बढ़ती को सम्हाला जा सकेगा।

२८. चालू वर्ष में पटरी, स्लीपर आदि अधिक मात्रा में मिलने के कारण रेलपथ के नवी-करण का काम काफी बढ़ा है और आशा है कि बजट वर्ष में इस काम की प्रगति जारी रहेगी।

२९. बजट वर्ष में भी रेल-उपयोक्ताओं की सुविधा के काम के लिए लगभग ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कर्मचारियों के लिए मकान और उनकी सुविधा के काम के लिए १० करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

३०. चालू वर्ष में तीन नयी लाइनों के सर्वे की मंजूरी दी गयी थी। इनमें से पहला सर्वे कोरापुट होकर बैलाडिल्ला से कोट्टवलासा तक २५० मील लम्बी लाइन के लिए है जो बंगाल के विस्थापितों के पुनर्वास की दंडकारण्य योजना से सम्बन्धित है। दूसरा सर्वे किरिबुरु-बिमलागढ़ और तीसरा कोरिया कोयला-क्षेत्र के लिए बिजुरी-करोंजी लाइन के बारे में है।

पिछले वर्षों में ९०० मील लम्बी नयी लाइनों के सर्वे का जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसमें से लगभग ६०० मील लम्बी योजनाओं का सर्वे पूरा हो चुका है :—

इन योजनाओं के नाम ये हैं :—

कोसीकलां-भरतपुर, उरई-जालौना, कुरुडवाडी-मिरज-कोल्हापुर	मध्य रेलवे
निमतीता-तिलडांगा	पूर्व रेलवे
दोमोहानी-अलीपुरद्वार . .	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
जगाधरी-चंडीगढ़, उना-नांगल और तुगलकाबाद-गाज़ियाबाद	उत्तर रेलवे
मौड़िग्राम-डानकुनी और सम्बलपुर-टिटिलागढ़	दक्षिण-पूर्व रेलवे
मुजफ्फरपुर-दरभंगा .	पूर्वोत्तर रेलवे

३१. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने कहा था कि भारतीय रेलों में पुराने सामान के बदलाव, आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था और विस्तार-कार्यों के लिए विश्व बैंक से ९ करोड़ डालर का कर्ज मिला है। कर्ज़ की पूरी रकम ली जा चुकी है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इस कर्ज़ के अलावा विश्व बैंक से ८ करोड़ ५० लाख दूसरा कर्ज भी मिल गया है और अमरीका की विकास ऋण निधि के अधिकारी भी हमें ४ करोड़ और ३ करोड़ ५० लाख डालर के दो कर्ज़ देने को राजी हो गये हैं। इन कर्ज़ों के अलावा भारत-अमरीका तकनीकी सहयोग कार्यक्रम और कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत भी हमें आर्थिक सहायता मिली है। उड़ीसा की कच्चा लोहा-योजना के लिए भी अमरीका से २ करोड़ डालर और जापान से ८० लाख डालर का कर्ज़ मिला है। इस योजना को पूरा करने के लिए रेलवे, बन्दरगाह और खान अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

३२. भाप-इंजन, सवारी और माल डिब्बे और डिब्बों के निचले ढांचे देश में ही तैयार किये जा रहे हैं। इस दिशा में आत्म-निर्भरता की ओर क्रमशः प्रगति हो रही है। बजट वर्ष (१९५९–६०) में चल-स्टाक के लिए ८० करोड़ की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से ६८ करोड़ का सामान देश में खरीदा जायेगा और केवल लगभग १२ करोड़ का सामान विदेशों से। विदेशों से सामान खरीदने के लिए जितनी रकम रखी गयी है, उसमें उन सामानों का समुद्री भाड़ा भी शामिल है। चालू वर्ष में देश में दो नये कारखानों ने माल डिब्बे बनाना शुरू किया है। लोहा और इस्पात नियंत्रक, माल डिब्बों के लिए जितनी चद्दरें हमें देशी साधनों से सप्लाई नहीं कर सकेंगे, रेलवे मन्त्रालय उतनी चद्दरें बाहर से मंगायेगा।

पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों में जो देशी कारखाने बिजली-इंजन के यांत्रिक पुर्ज़े सप्लाई कर रहे हैं उनसे कहा गया ह कि वे इन पुर्ज़ों को क्रमशः अधिक तैयार करें और शुरू में क्षतिग्रस्त इंजनों की

[श्री जगजीवन राम]

मरम्मत का काम हाथ में लें। शुरू-शुरू में बिजली के देशी इंजनों के पुर्जे बाहर से मंगाने पड़ेंगे। लेकिन आगे चल कर ये पुर्जे भोपाल में बिजली के भारी सामान के कारखाने में तैयार होने लगेंगे। डीज़ल इंजन भी देश में बनाने की तैयारी की जा रही है।

३३. चल-स्टाक और इनके पुर्जों के अलावा रेलवे की जरूरत के दूसरे उपस्करों के देशी उत्पादन में भी प्रगति हुई है। रेलवे बोर्ड की विकास शाखा ने उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की उद्योग विकास शाखा के साथ मिल कर देशी उत्पादन-क्षमता को और अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यांत्रिक सिगनल के सामान, थर्मिक साइफन, प्रेशर कास्टिंग, सिगनलों के शीशे और वैकुअम और स्टीम प्रेशर गेज आदि महत्वपूर्ण रेल उपस्कर अब देश में अधिक मात्रा में तैयार किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ चीजें तो पहली बार ही हमारे देश में तैयार की गयी हैं। बहुत सी चीज़ें बाहर से मंगानी बिल्कुल बन्द कर दी गयी हैं। सिर्फ खास-खास रेल उपस्कर बाहर से मंगाये जाते हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। यांत्रिक सिगनलों के सामान रेलवे कारखानों और प्राइवेट कारखानों में काफी मात्रा में तैयार हो रहे हैं। इससे इन सामानों के मिलने में जो कठिनाई होती थी, वह दूर हो गयी है। इसका ज़िक्र मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी किया था। भारतीय रेलवे केन्द्रीय उपस्कर सलाहकार समिति और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की क्षेत्रीय समितियां व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों से मिल कर उनकी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में उन्हें उपयोगी सलाह देती रहीं।

३४. १९५७-५८ में चितरंजन रेल इंजन कारखाने में १६४ इंजन तैयार हुए थे। आशा है कि चालू और अगले वर्ष में भी वहां १६८ इंजन तैयार होंगे। इस कारखाने में एक इस्पात ढलाई कारखाना खोला जा रहा है, जिसकी उत्पादन-क्षमता ७ हज़ार टन होगी।

३५. टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी ने १९५७–५८ में हमारे लिए ८५ इंजन तैयार किये। इस कम्पनी से हमें चालू वर्ष में १०० इंजन और बजट वर्ष में भी इतने ही इंजन् मिलने की आशा है।

३६. सवारी डिब्बा कारखाने में १९५७–५८ में बिना साज-सामान के २२२ सवारी डिब्बे तैयार हुए थे। चालू वर्ष में इस कारखाने में इस तरह के २९५ डिब्बे तैयार होने का अनुमान है। आशा है कि इस कारखाने में प्रति वर्ष ३५० डिब्बे तैयार करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह अगले वर्ष पूरा हो जायेगा। अभी इस कारखाने में अभी सिर्फ एक पारी में काम होता है। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जल्द दो पारियों में काम शुरू किया जायेगा। बिना साज-सामान के सवारी डिब्बों के उत्पादन की औसत लागत भी क्रमशः घट रही है। १९५७–५८ में यह लागत १.२१ लाख रुपये प्रति डिब्बा थी। चालू वर्ष में यह लागत घटकर ९५ हजार रह जायेगी। इस कारखाने की अस्थायी फर्निशिंग यूनिट में नवम्बर, १९५८ तक १७८ सवारी डिब्बों में साज-सामान लगाये गये। आशा है कि इस अस्थायी यूनिट की जगह एक स्थायी यूनिट वहां जल्द खोली जायेगी जहां इस कारखाने में तैयार सब सवारी डिब्बों में साज-सामान लगाये जायेंगे।

३७. देश में चल-स्टाक का उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है। १९५६–५७ में २३४ भाप इंजन और १५,९८५ माल डिब्बों की तुलना में १९५७–५८ में रेलों को २४९ भाप इंजन और १७,७३१ माल डिब्बे मिले। चालू वर्ष में हमें २६८ इंजन मिलेंगे और १९५९–६० में २६८ इंजन और १७,९०० माल डिब्बे मिलेंगे। जहां तक सवारी डिब्बों का सवाल है, १९५७–५८ में बड़ी लाइन के ४७४, मीटर लाइन के १८५ और छोटी लाइन के ३८ तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बे तैयार किये गये

और चलाये गये। इसके अलावा बड़ी लाइन के १८६, मीटर लाइन के १९५ और छोटी लाइन के ३१ मिले-जुले सवारी डिब्बे और तैयार किये गये जिनमें तीसरे दर्जे की भी जगह है। चालू वर्ष में अक्टूबर, १९५८ के अन्त तक बड़ी लाइन के २७७, मीटर लाइन के १७५ और छोटी लाइन के ४ समूचे तीसरे दर्जे के डिब्बे और छोटी लाइन का १, मीटर लाइन के १८३ और बड़ी लाइन के ९० मिले-जुले डिब्बे तैयार करके चलाये गये। १९५७–५८ में १,२४८ सवारी डिब्बे मिले थे और चालू वर्ष में १,५३८ सवारी डिब्बे और १९५९–६० में २,००८ सवारी डिब्बे और १०४ बिजली-गाड़ी के डिब्बे मिलने का अनुमान है।

देश में अधिक चल-स्टाक तैयार करने के प्रसंग में मैं बताना चाहता हूं कि अनुरक्षण की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी रेल कारखानों ने प्रगति की है। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद ने उत्पादन बढ़ाने के लिए जो आन्दोलन शुरू किया है उसके अनुसार अभी हाल में रेलवे बोर्ड में एक उत्पादन शाखा खोली गयी है। आशा है कि इस शाखा के प्रयत्नों के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ेगा।

३८. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नवम्बर, १९५८ में राजधानी के बाल-भवन में मनोरंजन गाड़ी का उद्घाटन किया गया। मनोरंजन गाड़ी का सुझाव प्रधान मंत्री ने दिया था, इसलिए उनके जन्म-दिवस पर इसका उद्घाटन सर्वथा उपयुक्त था। इस गाड़ी का संचालन बाल-भवन बोर्ड को सौंप दिया गया है। इस गाड़ी से राजधानी के बच्चों का मनोरंजन होगा और साथ ही उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा।

३९. पिछले वर्ष रेलवे जांच और अनुसन्धान केन्द्र ने नये इंजनों के काम का परीक्षण किया जिनमें एल्को डीज़ल बिजली-इंजनों का परीक्षण उल्लेखनीय है। इसके अलावा भारत में तैयार खाके के अनुसार निर्मित ८० टन के बोगी माल-डिब्बे और कई तरह के सवारी डिब्बों की विशेषताओं का परीक्षण भी किया गया। थामस स्टील की पटरियों की सविस्तार जांच के बाद उन्हें भारतीय स्थिति के अनुकूल पाया गया। कोयले की राख की उपयोगिता के बारे में भी जांच की गयी। भाप के इंजनों से हर साल लगभग १० लाख टन कोयले की राख निकलती है। इसके अलावा कांक्रीट स्लीपरों के निर्माण, इंजनों में इस्तेमाल होने वाले पानी का भारीपन और कण आदि दूर करने के लिए भारतीय मिश्रणों के इस्तेमाल, और देशी सामान से रंग-रोगन और बिट्यूमिनस एमल्शन तैयार करने के सम्बन्ध में भी जांच की गयी। देशी सामान से बिट्यूमिनस एमल्शन तैयार करने का पेटेंट ले लिया गया है। यह एमल्शन इस्पात को जंग से बचाने का सस्ता साधन है। अनुसंधान केन्द्र द्वारा तैयार दूसरे सामानों और उपस्करों के लिए आठ और पेटेंट भी लिये गये हैं।

४०. मैं पहले भी कई अवसरों पर कह चुका हूं कि भारतीय रेलों में भीड़ दूर करने में कुछ कठिनाइयां हैं। फिर भी जिन क्षेत्रों में अधिक भीड़ होती है, वहां इसे कम करने के लिए जो कुछ सम्भव है, वह किया जा रहा है। भीड़ दूर करने के लिए जो साधन रेलवे के पास उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल इस ढंग से किया जा रहा है कि भीड़ विभिन्न रेलवे क्षेत्रों या एक रेलवे के अलग-अलग क्षेत्रों में बंट जाय। रेलों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अधिक चल-स्टाक खरीदना सम्भव नहीं है, फिर भी चल-स्टाक का अधिक से अधिक उपयोग करके भीड़ दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि गतायु इंजनों, डिब्बों आदि की भी मरम्मत करके उनसे काम लिया जा रहा है। भीड़ कम करने के लिए जो विशेष उपाय किये जा रहे हैं और जैसे-जैसे चल-स्टाक मिलेगा, उसके आधार पर आशा है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बड़ी और मीटर लाइनों में स्थान-मील क्षमता लगभग २४ प्रतिशत बढ़ जायेगी।

[श्री जगजीवन राम]

१६५७–५८ में ७१ नयी सवारी गाड़ियां चलायी गयीं—३८ बड़ी लाइन में, ३१ मीटर लाइन में और २ छोटी लाइन में। चालू वर्ष में १ दिसम्बर, १६५८ तक बड़ी लाइन में ४५ और मीटर लाइन में १३ नयी गाड़ियां चलायी गयीं। १६५७–५८ में बड़ी लाइन की १८, मीटर लाइन की ३६ और छोटी लाइन की २ गाड़ियों का और चालू वर्ष में बड़ी लाइन की १६ और मीटर लाइन की २८ और गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया। कुछ क्षेत्रों में कई उपनगरी गाड़ियां भी चलायी गयीं। १६५७–५८ में बड़ी लाइन में ६२ और चालू वर्ष में १ दिसम्बर, १६५८ तक बड़ी लाइन में ५२ नयी उपनगरीय गाड़ियां चलायी गयीं। इसके अलावा इस साल ३६ उपनगरी गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है; १६५७–५८ में १६ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया था। इनके अलावा १ दिसम्बर, १६५८ तक पूर्व रेलवे में बिजली की २८ उपनगरी गाड़ियां चलायी गयीं और ८ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया; १६५७–५८ में ८ उपनगरी गाड़ियां चलायी गयी थीं। १ अक्टूबर, १६५८ से दिल्ली और अहमदाबाद के बीच हफ्ते में तीन बार जनता एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गयी। इन नयी गाड़ियों के चलने और कुछ गाड़ियों के चालन-क्षेत्र बढ़ जाने से १६५७–५८ और १६५८–५६ की अवधि में दैनिक गाड़ी-मील लगभग १५,००० मील बढ़ गया होगा।

अभी हाल हम ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में शिविर यानों की व्यवस्था की है, जहां लोग अक्सर छुट्टी बिताने जाया करते हैं। कुछ दूसरे स्टेशनों पर भी शिविर यानों की व्यवस्था करने का विचार है जहां विश्रामालय नहीं हैं।

४१. विभागीं खान-पान व्यवस्था की लोकप्रियता बढ़ रही है। आमतौर पर यात्रियों ने इसके भोजन और प्रबन्ध की सराहना की है। खान-पान व्यवस्था में और सुधार के लिए एक विशेष जांच शुरू की गयी है।

४२. विभिन्न स्तरों पर जो रेल-उपयोक्ता सलाहकार समितियां बनायी गयी हैं, वे रेलवे के काम में सुधार के लिए रेल प्रशासनों को बहुमूल्य सहयोग और सहायता देती रहीं। समय-सारणी समिति, उपनगरी रेल उपयोक्ता समिति, यात्री-सुविधा समिति, खान-पान अवेक्षक समिति, पुस्तक दुकान समिति आदि सहायक समितियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में उपयोगी काम किया।

४३. खतरे की जंजीर के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जनता में बराबर प्रचार किया जा रहा है और चुने हुए कर्मचारी, पुलिस की मदद से इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इन कोशिशों के बावजूद भी जंजीर खींचने की घटनाएं अब भी अधिक हो रही हैं। यह बराबर चिन्ता का कारण बना हुआ है। बिना टिकट सफर एक दूसरी बुराई है, जो बढ़ती जा रही है और जिससे रेलवे की आमदनी का नुकसान हो रहा है। यह स्पष्ट है कि ये दोनों बुराइयां जनता के सक्रिय सहयोग के बिना पूरी तरह दूर नहीं की जा सकतीं। माननीय सदस्य देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। इसके नाते मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि अपने निर्वाचन-क्षेत्र में व्यापक द्वारा खतरे की जंजीर के दुरुपयोग और बिना टिकट सफर के विरोध में जन-मत को जागृत करें और इन बुराइयों को दूर करने में अपना पूरा सहयोग दें।

४४. खोये या क्षतिग्रस्त माल की क्षतिपूर्ति के दावों की तादाद कम करने और दावों के जल्द निबटारे के लिए बराबर कोशिश जारी रही। यद्यपि १६५६–५७ की तुलना में, १६५७–५८ में दावों की तादाद कुछ बढ़ गयी, फिर भी क्षतिपूर्ति की जो रकम दी गयी, उसमें कुछ कमी हुई है। चाल वर्ष में दावों के सबसे बाद के जो आंकड़े मिले हैं, उनसे पता लगता है कि इस वर्ष भी दावों की

स्थिति संतोषप्रद रही। ढोये गये माल की बढ़ती को ध्यान में रखते हुए, इन आंकड़ों से दावा निरोध-संगठन और पुनर्गठित रेलवे सुरक्षा दल के काम की सफलता का पता लगता है। मार्च १९५७ के अन्त में बिना निबटाये हुए दावों की तादाद ५६,८९१ थी, जो मार्च १९५८ के अन्त में घट कर ४४,८३७ रह गयी और संभव है कि चालू वर्ष के अन्त तक इस तरह के दावों की तादाद और भी घट जाय। दावों के निबटारे में औसतन जितना समय लगता है उसमें भी कमी हुई है। मैं यह जानता हूं कि दावों के निबटारे के सम्बन्ध में हमारी जो रफ्तार है उसे संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थिति को और अधिक सुधारने में कोई कसर उठा नहीं रखी जायेगी।

४५. अपने पिछले बजट भाषण में मैंने कहा था कि भाड़े की दरों के संशोधन के सम्बन्ध में रेल भाड़ा-दर-जांच समिति की सिफारिशों की जांच प्रायः पूरी हो गयी है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि इन सिफारिशों पर सरकार के फैसले की घोषणा सदन में १८ अगस्त, १९५८ को कर दी गयी और संशोधित भाड़े की दरें १ अक्टूबर, १९५८ से लागू कर दी गयीं। भाड़े की संशोधित दरों का कितना असर पड़ा है, इसका पूरा अनुमान कुछ समय बाद ही लगाया जा सकता है।

परिवाहक के रूप में रेलवे की ज़िम्मेदारी से संबन्धित वैधानिक व्यवस्था में संशोधन के लिए रेल-भाड़ा-दर-जांच समिति ने जो सिफ़ारिशें की हैं, उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। चूंकि समिति की इन सिफारिशों का प्रभाव बहुत व्यापक होगा, इसलिए उनके बारे में फैसला करने में समय लगेगा। स्वयं समिति ने भी यह कहा है कि उसकी सिफारिशों की जांच में जल्दी न की जाय।

४६. माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय निर्यात बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। इसे ध्यान में रख कर कई तरह की चीजों के भाड़े की दर घटाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है। ९ चीजों पर भाड़े की दर में काफ़ी छूट दी गयी है। रेलवे मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना कमीशन, सम्बन्धित मंत्रालयों, के वरिष्ठ अधिकारियों की एक छोटी स्थायी समिति बनाने का भी फैसला किया गया है। यह समिति निर्यात यातायात पर भाड़ा घटाने के सवाल और उससे सम्बन्धित दूसरी ज़रूरी बातों पर विचार करेगी।

देश के भीतर यातायात के लिए भाड़े की दर में कमी का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं जिसके बारे में संभव है, माननीय सदस्य जानना चाहेंगे। बम्बई शहर और उसके आस-पास बहुत बड़ी मात्रा में गोबर बरबाद हो रहा था, क्योंकि खाद बनाने के लिए उसे देश के उत्तरी भागों में भेजने के लिए उपयुक्त दर नहीं थी। इसके लिए बम्बई सरकार के सुझाव पर बम्बई से कुछ स्टेशनों को गोबर भेजने के लिए भाड़े में ५० प्रतिशत की कमी की गयी है।

४७. अब मैं दुर्घटनाओं के बारे में कुछ कहूंगा जिनके बारे में सभी लोग चिन्तित हैं। संसद् के पिछले अधिवेशन में, पिछले २० साल के आंकड़ों पर आधारित दुर्घटनाओं की वास्तविक समीक्षा (ए फैक्चुअल रिव्यू आफ एक्सीडेन्ट्स) नाम की एक पुस्तिका संसद् के हर सदस्य को दी गयी थी। इन आंकड़ों से प्रकट है कि दुर्घटनाओं में कमी हो रही है। दुर्भाग्यवश टक्कर लगाने और पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं कुछ समय से थोड़ी बढ़ गयी हैं। मेरा कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि रेल संचालन के इस पहलू की गंभीरता को कम किया जाय, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय हम असामान्य परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। ट्रंक लाइनों के लम्बे-लम्बे टुकड़ों पर लाइन की क्षमता बढ़ाने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से रेल-संचालन

[श्री जगजीवन राम]

की स्थिति असामान्य हो गयी है। साथ ही, इन सेक्शनों में यातायात भी तेज़ी से बढ़ा है और अधिकतर सेक्शनों पर यातायात चरम सीमा तक पहुंचा गया है। इन असाधारण परिस्थितियों में बराबर दबाव और खिचाव की स्थिति का बना रहना अनिवार्य है और दुर्भाग्यवश, इसी वजह से कभी-कभी कर्मचारियों से गलती हो जाती है।

हम इस समस्या की गम्भीरता को पूरी तरह महसूस करते हैं और रेल दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए कुछ शिक्षात्मक, मनोवैज्ञानिक और दण्ड-सम्बन्धी उपाय शुरू करने के सम्बन्ध में रेल-प्रशासनों को हिदायत दी गयी है। आशा है कि इन उपायों से कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना प्रबल होगी। साथ ही, कर्मचारियों की मदद के लिए बढ़िया तकनीकी साधनों की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया गया है। हर रेलवे में सुरक्षा संगठन और अनुसंधान कक्ष खोले गये हैं। इन में दुर्घटनाओं के कारणों की छान-बीन की जायेगी ताकि वास्तविक परिचालन में कर्मचारियों का ध्यान उन कारणों पर दिलाया जा सके। सविस्तार निरीक्षण के साथ-साथ, ये अनुसंधान कक्ष इस बात का भी इत्मीनान करेंगे कि हर सम्बन्धित कर्मचारी सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह पालन करता रहे।

तोड़-फोड़ रोकने के उपायों के बारे में गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो की सलाह से कई योजनाओं की छान-बीन की गयी जिसके फलस्वरूप राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे लाइन के आस-पास के गांवों में की जनता में तोड़-फोड़ रोकने के उपायों का प्रचार करके हमारी सहायता करें। तोड़-फोड़ की गुप्त बातों का पहले से पता लगाने के लिए रेलवे पुलिस की व्यवस्था में सुधार, बदनाम क्षेत्रों में अधिक गश्त, राज्य की खुफिया पुलिस द्वारा सभी गंभीर रेल-दुर्घटनाओं के अध्ययन के अलावा रेल कर्मचारियों और राज्य के पुलिस अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए समय-समय पर बैठकों के आयोजन का भी सुझाव दिया गया है। रेल प्रशासनों को भी आदेश दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क बनाये रखें।

गाड़ी संचालन से सम्बन्धित सभी तरह के कर्मचारियों के लिए प्रारम्भिक ट्रेनिंग और पुनश्चर्या की व्यवस्था पर भी काफी ज़ोर दिया जा रहा है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेल-दुर्घटनाओं की समस्या को हल करने के लिए बराबर पूरी सतर्कता के साथ कोशिश जारी रहेगी। इसके लिए मैं हर सम्बन्धित व्यक्ति से सहयोग की अपेक्षा करता हूं, ताकि परिचालन के काम में अधिक संख्या में जो कर्मचारी लगे हुये हैं उनमें सुरक्षा के प्रति सतर्कता की गहरी भावना भरी जा सके।

४८. माननीय सदस्य सुरक्षित रेल-यात्रा और रेलवे की सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के बारे में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, वह स्वभाविक है। रेलों में पुलिस की व्यवस्था वैसे तो राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन रेल-मंत्रालय रेलवे सुरक्षा दल के द्वारा उनसे निकट सम्पर्क बनाये रखता है ताकि रेल-यात्रा अधिक से अधिक सुरक्षित रहे और जनता जो माल रेलवे को सुपुर्द करती है, उसे नुकसान और चोरी से बचाया जाय। रेलवे सुरक्षा दल ने अपनी हथियारबन्द शाखा के जरिये इस समस्या के सुलझाने में अच्छा काम किया है। मैं ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात की थी। उन्होंने भी इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

४९. रेलवे में भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने के सक्रिय प्रयत्न जारी हैं। चौकसी संगठन (विजिलेन्स आर्गनाइज़ेशन) का काम तेज़ किया गया है और भ्रष्टाचार की रोक-थाम के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। रेलवे बोर्ड की केन्द्रीय जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार और दूसरे गैर-कानूनी कामों के २०० मामलों की जांच की। विभिन्न रेलों में भी इस वर्ष इस तरह के ३,५००

से अधिक मामलों की जांच की गयी। भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी सजाएं दी गयीं। १६५७–५८ में १,३०१ मामलों में विभागी कार्रवाई की गयी ; पिछले वर्ष ५११ मामलों में विभागी कार्रवाई की गयी थी। चौकसी संगठन न केवल भ्रष्टाचार का पता लगाने और भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा दिलाने में सफल रहा, बल्कि इसने उन ईमानदार कर्मचारियों की भी रक्षा की है जो नियमों के पालन में किसी तरह की छूट नहीं देते, लेकिन सम्बन्धित व्यक्ति उन्हें बदनाम करते हैं।

इस बुराई को दूर करने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है। इससे इसे दूर करने में सहायता मिलती है। मैं माननीय सदस्यों और राज्यों के विधान मण्डल के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस मामले में पूरा सहयोग दें और जनता में इसके प्रति जागरूकता पैदा करें, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना यह बुराई दूर नहीं की जा सकती।

५०. अब मैं रेल-प्रशासन के दूसरे पहलुओं की चर्चा करूंगा। रेल-कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए इलाज और कल्याण की सुविधाएं बराबर बढ़ रही हैं। चालू वर्ष में रेलवे में अस्पतालों में ३३७ अतिरिक्त खाटों की व्यवस्था की गयी है। इस तरह खाटों की कुल संख्या अब ४,२८७ है। जिन कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को तपेदिक की बीमारी है, उन के इलाज के लिए विशेष सुविधा दी गयी हैं। अपने घर में रह कर तपेदिक के रोगियों के इलाज के लिए चेस्ट क्लिनिक खोल गये हैं। १६५७–५८ के अन्त तक तपेदिक के मरीजों के लिए ६८७ खाटें आरक्षित थीं। चालू वर्ष में २११ खाटों की व्यवस्था और की गयी है और जल्द ही ४० अतिरिक्त खाटों की व्यवस्था की जायेगी। कुछ अस्पतालों में अंशकालिक डाक्टर रखकर दांत के रोगों के इलाज का भी प्रबन्ध किया गया है। रेल-कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रमुख रेलवे अस्पतालों में प्रसिद्ध और योग्य अवैतनिक रूप में रखे गये हैं। छोटे स्टेशनों और शहरों से दूर के सेक्शनों में काम करने वाले कर्मचारियों के इलाज के लिए चलते-फिरते दवाखानों की संख्या ६ से बढ़ाकर १७ कर दी गयी है।

५१. रेल-कर्मचारियों के लिए अधिक मकान बनाने के प्रश्न पर रेल-प्रशासन बराबर ध्यान देते रहे हैं। योजना के पहले दो वर्षों में लगभग २५,००० मकान बनाये गये। चालू वर्ष में ११,००० और बजट वर्ष में ६,००० नये मकान बनने की सम्भावना है। इसके अलावा पुराने मकानों में अच्छे ढंग के रोशनदान, बिजली, टट्टीघर और रसोई की व्यवस्था करके उनमें सुधार किया गया है।

५२. कर्मचारियों की भलाई के लिए रेल-प्रशासन बड़ी तादाद में कई तरह के स्कूल चलाते हैं। जहां कहीं ज़रूरत हुई, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ायी गयीं। मुझे खासतौर पर यह बात महसूस हुई है कि रेल कर्मचारियों के बच्चों और उनके आश्रितों की शिक्षा के लिए और अधिक प्राइमरी स्कूल खोलने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने आदेश दिया है कि कम खर्च पर ५०० प्राइमरी स्कूल खोले जायं। आशा है, ये स्कूल अगले स्कूल सेशन, अर्थात् जून, १६५६ से पहले खूल जायेंग। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि रेलवे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चे सादे ढंग की वर्दी पहनें। इससे इन बच्चों में अनुशासन और समानता की भावना फैलेगी। २०० रु० से कम वेतन पाने वाले रेल कर्मचारियों के बच्चों को वर्दी मुफ्त दी जायेगी।

पढ़ाई के लिए बच्चों को अपने सदर मुकाम से दूर भेजने में कर्मचारियों को जो कठिनाई होती थी, उसे कम करने के लिए प्रमुख भाषा-क्षेत्रों में १३ होस्टल खोलने की योजना मंजूर की गयी है। इन होस्टलों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। हम चाहते हैं कि चाहे इमारत तैयार हो या न हो, ये होस्टल अगले स्कूल सेशन से खुल जायं। इसलिए जहां तक सम्भव है, निवास स्थान

के लिए दूसरे प्रबन्ध किये जा रहे हैं। इन होस्टलों में आगे चलकर १,५०० विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था करने का विचार है। जिन रेल-कर्मचारियों का मासिक वेतन ३०० रुपये से अधिक नहीं है, उनके आश्रितों को इन होस्टलों में रियायती दर पर रखा जायेगा। ३०० रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों से खाने का पूरा खर्च लिया जायेगा। जो रेल कर्मचारी इस योजना से लाभ उठायेंगे, उनको वर्तमान नियमों के अनुसार मिलने वाली शिक्षा-सम्बन्धी सहायता नहीं दी जायेगी।

५३. १ अप्रैल, १९५८ से कर्मचारी हित-निधि में अंशदान की रकम प्रति कर्मचारी २ से बढ़ाकर ४ रुपये कर दी गयी है। इससे वज़ीफ़ों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा किया जा सकेगा। ये वज़ीफ़े हर सार रेल कर्मचारियों के योग्य बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए दिये जाते हैं। १९५६–५७ में तकनीकी वज़ीफ़ों के लिए लगभग १६०० अर्ज़ियां आयीं और ९९८ वज़ीफ़े दिये गये। इन वज़ीफ़ों पर कर्मचारी हित-निधि से २.६५ लाख रुपये खर्च किये गये। १९५७-५८ में वज़ीफ़ों के लिए १,४०० से अधिक अर्जियां आयीं और ६२१ वज़ीफे दिये गये। इनमें वे ६२८ वज़ीफ़े शामिल नहीं हैं जो १९५६–५७ से मिल रहे थे। इस तरह १९५७–५८ में इन वज़ीफ़ों पर ४ लाख से कुछ अधिक खर्च हुआ। चूंकि आमदौर पर पाठ्यक्रम ४ वर्ष का होता है, इसलिए किसी न किसी समय वज़ीफ़ों की तादाद बढ़कर ३,००० तक हो जायेगी।

५४. जैसा कि पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में कहा था, चौथे दर्जे के क्रर्मचारियों की तरक्की और उनसे सम्बन्धित दूसरे मामलों की जांच के लिए तपासे समिति नियुक्त की गयी थी। मार्च, १९५८ में समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। समिति की कई सिफारिशों पर आदेश दिये जा चुके हैं और दूसरी सिफारिशों पर तत्परता के साथ विचार किया जा रहा है।

५५. विभिन्न कोटि के नये रेल कर्मचारियों की समुचित ट्रेनिंग और पुराने कर्मचारियों की पुनश्चर्या की आवश्यकता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। भुसावल में एक नया ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है। आशा है कि यह स्कूल अक्टूबर, १९५९ तक बनकर तैयार हो जायेगा। इसमें ६५० कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। झांसी के तकनीकी संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार से ले लिया गया है। मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल अप्रैन्टिसों की ट्रेनिंग के लिए इस संस्थान की क्षमता ३२ से बढ़ाकर १५० कर देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है। बंगलूरु और लखनऊ के अस्थायी तकनीकी स्कूलों को स्थायी बनाया जा रहा है। अनुमान समिति की सिफारिश पर रेलवे के विभिन्न मरम्मत कारखानों और शेडों में बुनियादी ट्रेनिंग केन्द्र खोल गये हैं या खोले रहे हैं। कई वर्तमान ट्रेनिंग स्कूलों की क्षमता बढ़ायी गयी है और कुछ दूसरे स्कूलों के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के लिए एक नया ट्रेनिंग स्कूल बलसार में खोला गया है और खड़गपुर में जो स्कूल बन रहा है उसके जल्द तैयार हो जाने की आशा है। पूना में एक सेन्ट्रल एडवान्स परमानेन्ट वे स्कूल खोलने का प्रबन्ध हो चुका है और आशा है कि इस स्कूल में ट्रेनिंग जल्द शुरू हो जायेगी। इस स्कूल में 'इकाफे' देशों के लोगों को भी ट्रेनिंग दी जायेगी।

५६. सदन को ज्ञात है कि तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर छुट्टी घर खोले गये हैं। इन छुट्टी घरों में ठहरने का खर्च बहुत कम रखा गया है।

मैंने देखा है कि भारत के दूर-दूर स्थानों से रेल कर्मचारी काश्मीर में छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं। रेल कर्मचारियों में काश्मीर की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसलिए मैंने यह तय किया

है कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए काश्मीर में दो छुट्टी घर खोले जायं—एक श्रीनगर में और दूसरा पहलगाम में—इन छुट्टी घरों में सब रेलों के कर्मचारी ठहर सकेंगे। काश्मीर के प्रधान मंत्री के सौजन्य से जम्मू और काश्मीर की सरकार ने पहलगाम और श्रीनगर में इसके लिए मुफ्त ज़मीन देना स्वीकार कर लिया है। साथ ही, पहलगाम में एक उपयुक्त इमारत वास्तविक लागत पर रेलवे को बेच देने की बात भी मान ली गयी है। यह इमारत अभी बन रही है। छुट्टी घर की व्यवस्था कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक बड़े महत्व की बात है। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने इसमें जो गहरी दिलचस्पी दिखायी है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

५७. रेलों के सहकारिता आन्दोलन में कर्मचारियों का सहयोग बढ़ रहा है। लगभग ६० प्रतिशत रेल कर्मचारी सहकारी उधार समितियों के सदस्य हैं। इन समितियों की चालू पूंजी ३१ मार्च, १९५८ को २३.३७ करोड़ रुपये थी। इन समितियों के अलावा रेलों में लगभग १२० उपभोक्ता सहकारी समितियां भी हैं जिन्होंने १९५७–५८ में लगभग ८० लाख रुपये का काम किया।

५८. रेल कर्मचारियों के साथ पूरे साल अच्छे सम्बन्ध बने रहे। रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय रेल-कर्मचारी राष्ट्रीय संघ (नेशनल फ़ेडरेशन आफ़ इंडियन रेलवे मैन) और रेलवे बोर्ड के बीच नियमित बैठकें हुईं। दो मुद्दों पर रेलवे बोर्ड और संघ के बीच समझौता न हो सकने के कारण उन्हें तदर्थ अधिकरण को सौंप दिया गया। इन मुद्दों का फैसला करने के लिए अधिकरण की बैठकें फिर शुरू हुईं। अधिकरण ने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय रेल-कर्मचारी राष्ट्रीय संघ और अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के बीच एकता लाने के प्रयत्न में अधिक प्रगति नहीं हुई है। सदस्यों की सूची की छान-बीन, चुनाव कराने और दोनों संघों के बीच सभी सम्भव मतभेदों के निबटारे आदि के संबंध में जो समझौता हुआ था, उसको अमल में लाने के उद्देश्य से संघ की सहायता के लिए मैंने एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में हाईकोर्ट के एक सेवा-निवृत जज को पंच नियुक्त किया। सरकार इसके लिए चिंतित है कि रेल कर्मचारी स्वयं अपनी भलाई के लिए एक संघ बनायें। मुझे अब भी आशा है कि निकट भविष्य में दोनों संघों में एकता कायम हो जायेगी। इसी बीच में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ इस बात पर बराबर ज़ोर दे रहा है कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाय कि संघ अपनी मांगों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से बातचीत कर सके। संघ और रेलवे बोर्ड के बीच दो बैठकें हो चुकी हैं।

५९. भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि अपने काम के सामान्य क्षेत्र से बाहर खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में रेल कर्मचारियों ने इस वर्ष भी विशेष योग्यता दिखायी। हॉकी, वालीबाल, वेट लिफ्टिंग और कबड्डी में रेल कर्मचारियों ने राष्ट्रीय चेम्पियनशिप हासिल की है। कुछ कर्मचारियों ने खेल-कूद में भी कुछ अच्छा काम दिखाया है। पर साल रेलवे सप्ताह के उपलक्ष में नयी दिल्ली में जो हस्त और चित्रकला प्रदर्शनी हुई थी, उसमें सभी वर्ग के कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों ने इस बात का परिचय दिया कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी वे प्रतिभा सम्पन्न हैं। दिल्ली और दूसरे रेलवे केंद्रों में नृत्य, नाटक और संगीत समारोहों का जो आयोजन किया गया था उस से भी यही बात प्रकट होती है। इन समारोहों से कर्मचारियों को अपने रोज़ के काम से राहत तो मिलती ही है, इसके अलावा सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक

दूसरे के निकट आने का अवसर भी मिलता है जिससे पूरे देश में फैले हुये रेल-कर्मचारियों के विशाल परिवार में भाई-चारे का भाव पैदा होता है ।

६०. अन्त में, जिस लगन और निष्ठा से आमतौर पर रेल-कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की है, मैं उसकी सराहना करता हूं । मुझे विश्वास है कि रेल कर्मचारी अपनी पिछली सफलता पर ही संतोष नहीं करेंगे । आज देश की आर्थिक प्रगति के लिए पंच वर्षीय योजनाएं बनायी जा रही हैं । इन कठिन परिस्थितियों में रेल कर्मचारियों को बहुत महत्वपूर्ण काम करना है जिसके लिए पूरी जागरूकता की जरूरत है । इसलिए उन्हें बढ़ना है और सफलता की उस चोटी पर पहुंचना है जो अब तक की सफलताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । कठिन परिस्थितियों में रेल-कर्मचारियों ने जो काम कर दिखाया है, उससे देखते हुए आगामी वर्ष और भविष्य में उनकी सफलता के लिए मैं शुभ कामना करता हूं । मेरा विश्वास है कि इस शुभ कामना में माननीय सदस्य भी मेरे साथ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बजट पत्रों की प्रतियां लॉबी से प्राप्त की जा सकती हैं ।

राष्ट्रपति क अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री कासलीवाल और श्री जोकीम अल्वा द्वारा १३ फरवरी, १९५७ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा होगी :

> "कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने ९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं । उन्होंने देश की स्थिति का अत्यन्त व्यापक और सही चित्रण किया है । उनके अभिभाषण की यह विशेषता है कि सर्वत्र आशा की झलक होते हुये भी उसमें कठिनाइयों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है । इस आशाजनक भाषण से जनता को देश के लिये त्याग करने का प्रोत्साहन मिलेगा ।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में २००० करोड़ रुपये लगे और दूसरी योजना में ४५०० करोड़ रुपये । तीसरी योजना में इससे भी अधिक व्यय होने का अनुमान है । राष्ट्रपति ने कहा है कि तीसरी योजना के अन्त तक उद्योगों, कृषि-उत्पादन और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में भावी उन्नति के लिये पक्की नींव पड़ चुकेगी ।

खाद्य और उसके भावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्व है । अभाग्यवश हमारी खेती प्रकृति-जन्य आपत्तियों का शिकार रहती है । सरकार इन आपत्तियों पर विजय प्राप्त करने की आशा रखती है । खाद्य के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने से ही देश की आर्थिक समस्या हल हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति ने कहा है कि आयोजन के प्रत्येक प्रक्रम में समस्त राष्ट्र के सहयोग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि जनता राष्ट्रपति की इस अपील का स्वागत करेगी। हमें इन पंच वर्षीय योजनाओं को निर्धनता, अशिक्षा, अकर्मण्यता आदि बुराइयों के बिरुद्ध युद्ध समझना चाहिये जो भारत की प्रगति में बाधक हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने आपसी मतभेद भुला कर सरकार से सहयोग करना चाहिये।

आगामी सात-आठ वर्षों में बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि वर्तमान पीढ़ी कुछ त्याग कर सके तो आगामी पीढ़ियां उसका लाभ उठायेंगी। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इन सात वर्ष की अवधि के बाद भी हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे वरन उसकी एक निश्चित मंजिल तक ही पहुंचेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उस मंजिल पर पहुंच जाने पर हमें दूसरे राष्ट्रों की सहायता की आवश्यकता न रह जायेगी और एक स्वर्ण युग का सूत्रपात होगा।

हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हो रही है। देश के विभिन्न भागों में बड़े-बड़े उद्योग शुरू हो रहे हैं। उनका चालन ठीक तरह हो सके इसके लिये सरकार ने अनुशासन नियमों की नियोजकों और श्रमिकों के समस्त केन्द्रीय संगठनों द्वारा परिपुष्टि करा ली है। हमारे पारस्परिक सहयोग से ही योजना सफल हो सकती है, वर्ग-संघर्ष से नहीं।

राष्ट्रपति की इस घोषणा से समस्त देश को प्रसन्नता होगी कि आयुध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और उसके सम्बन्ध में कुछ वैज्ञानिक गवेषणा भी की गई है। इससे प्रति-रक्षा सामग्री का देश में उत्पादन करने में सहायता मिली है।

इस प्रकार देश में रक्तहीन क्रांति के सुखान्त नाटक के लिये रंग-मंच तैयार हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि भारत की जनता उस नाटक की सफलता के लिये पूर्ण सहयोग देगी।

अन्त में मैं विरोधी दल के सदस्यों द्वारा बम्बई राज्य के विभाजन के सम्बन्ध में प्रकट किये गये उद्‌गारों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र से उनका तात्पर्य वर्तमान बम्बई राज्य के समस्त मराठी भाषी जिलों से है। यदि यह ठीक है तो मैं बता देना चाहता हूं कि विदर्भ के आठ जिले संयुक्त महाराष्ट्र में नहीं शामिल होना चाहते। वे एक पृथक् विदर्भ राज्य चाहते हैं जिसकी राजधानी नागपुर हो। इसलिये यदि बम्बई राज्य का विभाजन हो तो तीन राज्य बनाये जायें—विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि यह जो प्रगति हो रही है वह केवल भौतिक है। भारत की आध्यात्मिक पृष्ठ भूमि को देखते हुये मुझे संदेह है कि उसकी आत्मा इस भौतिकवाद में कैसे पनप सकेगी।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा): राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की सफलताओं का उल्लेख किया है और यह बताया है कि आगामी वर्ष में क्या किया जायेगा। सरकार अपनी सफलताओं के लिये बधाई की पात्र है परन्तु उसकी नीतियों के सम्बन्ध में मुझे कुछ मत व्यक्त करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामी रेड्डी]

सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनमें सब क्षेत्रों का ध्यान रखा जाना चाहिये । आन्ध्र प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है । वह उद्योगों की स्थापना की मांग कर रहा है ताकि अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके । परन्तु अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है । वहां उर्वरकों की बहुत आवश्यकता है इस लिये एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये । आन्ध्र प्रदेश सरकार इसके लिये बहुत समय से कह रही है परन्तु इस सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की । जब सरकार की यह घोषित नीति है कि प्रादेशिक सन्तुलन का ध्यान रखा जायेगा तो आन्ध्र प्रदेश की उपेक्षा क्यों की जा रही है ?

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है समस्त देश उनके बढ़े हुये भावों से चिन्तित है । सरकार भावों को कम करने का प्रयत्न कर रही है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जब भाव बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न किया जाता है परन्तु जब भाव गिरने लगते हैं तब उनको नहीं रोका जाता जिससे किसान की हानि होती है । मैं चाहता हूं कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये जायें जिससे किसानों का हित सुरक्षित रहे। ऐसा करने से किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन भी मिलेगा । किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये यह भी आवश्यक है कि उनकी आवश्यकता की वस्तुयें उन्हें सुलभ हों । सब चीजों के भाव बढ़ जाने से उत्पादन व्यय बढ़ गया है अस्तु नियंत्रण के भाव निश्चित करते समय इसका ध्यान रखा जाय ।

जहाँ तक शासन के विकेन्द्रीयकरण और पंजायतों की स्थापना का प्रश्न है आन्ध्र बहुत आगे बढ़ा हुआ है । वहां समस्त जिलों में पंचायत समितियां स्थापित हो चुकी हैं । और जिला परिषदों की स्थापना भी शीघ्र हो जाने की आशा है ।

सहकारिता के मामले में भी आन्ध्र प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है परन्तु यह सरकार उसे प्रोत्साहन नहीं दे रही है। साढ़े तीन वर्ष पूर्व वहां पांच सहकारी समितियां स्थापित की गई थीं परन्तु उन्हें अभी तक लाइसेंस नहीं दिये गये हैं। कभी विदेशी मुद्रा का बहाना कर दिया जाता है कभी और कोई। यदि सरकार वास्तव में सहकारिता चाहती है तो उसे प्रत्येक कमी का प्रबन्ध करना चाहिये ।

जहां तक हिन्दी के प्रश्न का सम्बन्ध है इस बात से प्रायः सभी सहमत हैं कि वह राजभाषा बन। दक्षिण में बहुत से लोग अभी हिन्दी का विरोध कर रहे हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वह हिन्दी बिल्कुल नहीं चाहते। उनका विरोध केवल जल्दबाजी से है। मैं चाहता हूं कि सरकार अभी कुछ समय के लिये ठहर जाये ।

फिर मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कड़पा और अनन्तपुर क्षेत्र प्रायः दुर्भिक्ष-ग्रस्त रहते हैं। इस वर्ष भी वहां की स्थिति ऐसी ही है । अस्तु तिहाई जनता उस क्षेत्र को छोड़ जाने का विचार कर रही है। मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में तुरन्त सहायता पहुंचाई जानी चाहिये ताकि जनता वहीं बनी रहे।

इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिये तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर परियोजना तैयार की गई है जिसमें लगभग २२ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। अब ज्ञात होता है कि सरकार उसकी मंजूरी दो प्रक्रमों में देना चाहती है । यदि ऐसा किया गया तो कड़पा जिले के

लोगों को सात आठ वर्षों तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि समस्त परियोजना की मंजूरी दे दी जाय ताकि कड़पा की जनता को भी लाभ हो सके।

†**श्री मट्टियंगाडन** (कोट्टयम) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की समस्त समस्याओं का उल्लेख संभव नहीं हो सकता। इस लिये यदि कोई विषय छूट गया है तो उसके आधार पर हमें अभिभाषण की आलोचना नहीं करनी चाहिये।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केवल आगामी एक वर्ष को ही ध्यान में नहीं रखा है वरन् तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक का समय लिया है। राष्ट्रपति ने गत वर्ष की सफलताओं का उल्लेख किया है और भविष्य के सम्बन्ध में भी आशाजनक चित्र उपस्थित किया है। इस दृष्टि से यह अभिभाषण प्रेरणायुक्त है क्योंकि उससे जनता के मस्तिष्क में यह भावना उत्पन्न होती है कि हमें अपने प्रयत्न अधिक उत्साह के साथ जारी रखने चाहिये।

विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है उनके नेता के भाषण से ऐसा मालूम होता है कि वह गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को सर्वथा समाप्त कर देना चाहते हैं। दूसरी ओर पिछले दिन उनके दल के साथियों ने यह मत प्रकट किया था कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहियें। मैं इस मतभेद को समझने में असमर्थ हूं।

इस सम्बन्ध में केरल की साम्यवादी सरकार की औद्योगिक नीति का उल्लेख करना असंगत न होगा। राज्य सरकार की नीति उन समस्त उद्योगों को प्रोत्साहन देना है जो राज्य के आर्थिक विकास में सहायक हों। इसी नीति के कारण केरल सरकार ने बिड़ला के साथ एक लुग्दी का कारखाना खोलने के लिये करार किया था। इस प्रकार केरल में लगे साम्यवादी सरकार की नीति गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में सरकारी पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहन देने की है परन्तु यहां यह कहा जाता है कि उसे पनपने ही नहीं देना चाहिये।

जहां तक अनुशासन नियमों का सम्बन्ध है साम्यवादी दल का यह रवैया है कि केरल में तो उन्हें मानने को तैयार है पर अन्य राज्यों में नहीं। केरल की ट्रेड यूनियन कांग्रेस परिषद् के नीति सम्बन्धी वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि उसकी सफलता खर्च की राशि से नहीं आंकी जानी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि वास्तव में कार्य क्या हुआ है। मैं चाहता हूं बड़ी राशियों के व्यय पर नियंत्रण होना चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद् में राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद देने की प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित होने का यह मेरा पहला ही अवसर है। इसमें दो प्रकार के मैंने क्रम देखे। एक तो राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिये और एक उन व्यक्तियों को जो कि कुर्सी पर विराजमान होते हुये सदस्यों को बोलने का समय देते हैं। वह आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी कि कृपा से आज इस स्वस्थ वातावरण में हम अपने देश की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं जब कि हमारे देश के चारों ओर क्रान्ति के इस प्रकार के बादल घुमड़ रहे हैं और कहीं कहीं हलकी हलकी और थोड़ी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

थोड़ी वर्षा भी करते जाते हैं। मैं इस रूप से इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्रान्ति के बादल जो इस देश की चहारदीवारी पर घुमड़ कर हमारे लिये प्रश्नवाचक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी यह योजनायें, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना को हम पूरा कर चुके हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना अभी हमारी चालू है और तीसरी को हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं यह हमारी योजनायें कहीं फूटे हुये घड़े साबित न हों? कि ऊपर से हम उन्हें भरने का प्रयास करते रहें लेकिन भ्रष्टाचार, अनैतिकता और करप्शन के छिद्र जिनको कि खाली करते चले जायं और वे कभी भर ही न पायें। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण इस संसद् के समक्ष समय समय पर प्रस्तुत होते रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो सदन में चर्चा हुई है और हो रही है उसमें भी वे आए हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इन योजनाओं के लिये अत्यन्त आवश्यक बात यह है कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को रोकना है तो उसके लिय फिर हमको अपनी दंड व्यवस्था को कठोर करना होगा। सुना जाता है कि चीन में भ्रष्टाचार की परम्परा हमारे देश से भी कहीं अधिक मात्रा में भरी हुई थी लेकिन उन्होंने अपने देश में इस पर प्रतिबंध लगाया और इस दंड व्यवस्था को बहुत कठोर किया। अभाग्यवश हमारे अपने देश में और समाज में कुछ ऐसे अवांछनीय और असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं जो कि इस देश के व्यापार और शासन पर अपनी छाया डाले हुये हैं और उसका दुष्परिणाम यह है कि चाहते हुये भी हम अपने देश से भ्रष्टाचार को जितनी शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं, उतनी शीघ्र भ्रष्टाचार हमारे देश का समाप्त नहीं हो रहा है।

दूसरी एक आवश्यक चीज़ जिसके कि सम्बन्ध में हमारे प्रत्येक सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है, उस पर अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करते हुये इस देश की खाद्य समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस समय उन बातों की विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा जिनकी कि यहां पर चर्चा हो चुकी है।

परन्तु हमारे देश की खाद्य समस्या से सम्बन्धित हमारा एक मूक प्राणी भी है जिसकी कि ओर इस संसद् का और विशेष कर राष्ट्रपति महोदय का ध्यान जाना चाहिये था। जब भी देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की चर्चा होती है तो हमारा सब का ध्यान किसानों की ओर जाता है, मजदूरों की ओर ध्यान जाता है और थोड़ा बढ़ करके खेती और हल की ओर ध्यान चला जाता है लेकिन जिसके कि कंधे पर यह सारी परम्परा ठहरी हुई है, मेरा अभिप्राय उस पूज्य प्राणी से है जिसको कि यह देश गऊ माता कह कर पुकारता है, और जिसके कि कंधे पर हमारे देश की सारी कृषि व्यवस्था निर्भर करती है, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है और निरन्तर गोवंश का ह्रास होता चला जा रहा है। हमारा ध्यान अपने पशुधन की रक्षा करने की ओर जितना दिया जाना चाहिये नहीं दिया जा रहा है। बैलों द्वारा खेती कराने के जो आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किये गये उनके अनुसार एक बैल के कंधे पर १३ एकड़ भूमि का बोझ आकर पड़ता है जब कि प्रथम श्रेणी के बैलों की जोड़ी अधिक से से अधिक साढ़े १० एकड़ भूमि का भारही अपने कंधों पर ले सकती है। इससे आगे जो धरती रह जाती है उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिये ट्रैक्टरों की और दूसरे प्रकार की योजनायें हमारे देश में बनाई गई हैं लेकिन वे योजनायें इस भारत भूमि को देखते हुए इतनी अनुपयोगी हैं जिसका परिणाम यह है कि हम खाद्य समस्या की ओर ध्यान देते हैं और अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जितनी शीघ्रता से उत्पादन को बढ़ाना चाहिय, उतनी शीघ्रता से बढ़ नहीं रहा है। उस मूक

प्राणी का जैसे मैंने पहले निवेदन किया उत्पादन बढ़ाने से घनिष्ट सम्बन्ध है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि उसका वोट नहीं है नहीं तो हमारे शासन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सकता था और राजनैतिक प्राणियों का भी उधर ध्यान जा सकता था। यदि इस मूक प्राणी को हम इसी तरीक़े से उपेक्षा का विषय बनाये रहेंगे तो हमारी खाद्य समस्या सदा ही जटिल बनी रहेगी। हम यह नारे तो बहुत लगाते रहते हैं कि अधिक अन्न उपजाओ और अधिक अन्न उपजाओ लेकिन हम देखते हैं कि हमें वांछित परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है। क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आख़िर इसका कारण क्या है? आख़िर हमारी धरती का दिमाग़ तो पाकिस्तानी नहीं हो गया है? खेत वही हैं, उनको जोतने वाले किसान वही हैं और हल भी वही हैं फिर हमें क्यों नहीं सफलता मिल रही है तो इस सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारा ध्यान अपने देश के पशुधन को सुरक्षित करने की ओर नहीं जाता है और हमारे गोवंश का निरन्तर ह्रास हो रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में घी, दूध आदि की अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है और इस सम्बन्ध में जो हमारी सरकार की उपेक्षणीय नीति रही है उसमें यह कमी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश में घी और दूध की पैदावार बढ़ाने के स्थान पर हमारी सरकार अधिक मछली उपजाओ, अधिक अंडे उपजाओ और अधिक मुर्गी और बकरियां पालो, इन चीज़ों की ओर ध्यान दे रही है और यह देश जो कि सदा से एक शाकाहारी देश रहा है उसको यह सरकार मांसाहारी देश बनाती जा रही है। देश की जो अपनी पुरातन परम्परायें हैं, शाकाहारी होने आदि की, उनको बढ़ाने की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस देश की खाद्य समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिये इस मूक प्राणी की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और गोवंश की उन्नति करनी चाहिये।

तीसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं वह पाकिस्तान के सम्बन्ध में है। पाकिस्तान बनने के पश्चात् इस देश के अन्दर जो लोग रह गये थे उनके सामने यह एक आशा की किरण आई थी कि यह जो संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग द्वारा ज़हरीले प्रचार के फलस्वरूप हिन्दू मुसलिभ मतभेद उग्र हो चले थे और आये दिन हिन्दू मुस्लिम समस्यायें हमारे सामने उपस्थित होती रहती थीं, उनको यह आशा होने लगी थी कि पाकिस्तान बन जाने के बाद यह मुसीबतें हमारे सामने से टल जायेगी। लेकिन पाकिस्तान बनने के पश्चात् हुआ क्या? जिस दिन से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है न तो वह स्वयं चैन से सोया है और न हम भारतवासियों को चैन की नीद सोने देता है। आज पाकिस्तान को बने ११ वर्ष होने को आये लेकिन यह पाकिस्तान अभी तक हिन्दुस्तान की छाती में कांटे की तरह लगा हुआ है और उसने पिछले ११ वर्षों में हमको मज़े और आराम की नींद सोने नहीं दी है। जिस सुख और चैन की नींद का स्वप्न हम देखते थे वह हम इस पाकिस्तान के कारण अभी तक नहीं ले सके हैं।

पास्कितान निरन्तर हमारे शासक दल और देशवासियों के लिये सिरदर्द और चिन्ता का विषय बना हुआ है। उनकी ओर से लगातार और योजनाबद्ध हमारी सरहदों पर हमले होते रहते हैं। आये दिन इस तरह की घटनायें हमारे सीमा के प्रदेशों में होती रहती हैं। अभी कल संसद् के अन्दर इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित हुआ था जिसमें सरकार का ध्यान करीमगंज के ऊपर पाकिस्तानी हमले की ओर दिलाया गया था और करीमगंज पर उनके द्वारा इतना भयंकर हमला हुआ है जिसको कि माननीय प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया। अब हमारी सरकार की इस सम्बन्ध में नीति यह रही है कि जब कभी इस देश की सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा हमले होते हैं तो उनके विरुद्ध पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजे जाते हैं। मेरी समझ में अब तक बहुत अधिक विरोध पत्र पाकिस्तान को भेजे जा चुके होंगे अगर कोई महत्वपूर्ण घटना

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

हो जाती है तो हमारी सरकार की ओर से उसके लिये कड़ा विरोध पत्र भेज दिया जाता है और जब कोई एक मामूली घटना घटित होती है तो उस के लिये सरकार की ओर से हमें यह जवाब मिल जाता है कि हमने पाकिस्तान सरकार के पास इसके लिये विरोध पत्र भेज दिया है । मेरा अनुमान है कि अब तक हमारी ओर से जितने विरोध पत्र भेजे गये हैं उनकी रद्दी को अगर बेच लिया जाये तो उस रुपये से एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है । अभी तक हमने यही देखा है कि इन हमारे विरोधपत्रों का कोई परिणाम सामने नहीं आया है और हमलों में कोई कमी नहीं हुई है । अलबत्ता उधर से हमारे विरोधपत्रों के जवाब में उनके विरोधपत्र भी हमारी सरकार के पास आते हैं और दुनिया की आंखों में धूल झोकने के लिये वे काफी तादाद में हमारे पास आते हैं जिनमें तरह तरह के हमारे ऊपर आक्षेप और दोषारोपण किये जाते हैं । पाकिस्तान के अखबार भी आये रोज़ भारत विरोधी प्रचार करने में अपने कालम के कालम रंगते रहते हैं और पता नहीं कहां कहां की बे सिर पैर की बातें लोगों को भड़काने के लिये अपने अख़बारों में लिखते रहते हैं । जब भी हमारे देश में कोई होली आदि का त्योहार आने को होता है तो पाकिस्तान के अख़वार पहले से उसके लिये अपने कालम सुरक्षित रखते हैं और अगर देश के किसी भाग में कहीं बिल्कुल मामूली सी भी कोई अप्रिय घटना हो गई तो उसको ले कर वे ख़ूब शोर मचाते हैं । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने की बात है कि इन कुछ अप्रिय घटनाओं के कारण भी वे पंचमार्गी लोग हैं, पाकिस्तान के जासूस हैं जो कि इस तरह की कहीं पर गड़बड़ करवा कर भारत को सारे संसार में बदनाम करना चाहते हैं । वहां के अख़बार लिख मारते हैं कि इस साल होली पर भारत में अमुक अमुक स्थानों पर भीषण दंगे हुये और जिनमें कि इतने हज़ार बेकसूर मुसलमान जान से मारे गये और इतने घायल हुये आदि । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय बात है कि एक आदमी ने इन पाकिस्तानी अख़बारों में छपे आंकड़ों पर विचार करके बतलाया कि जितने मुसलमान हिन्दुस्तान में हैं अगर वे चार बार जन्म ले कर मरें तब कहीं जा कर पाकिस्तानी अख़बारों में दी हुई फ़ीगर्स सही हो सकती हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि उधर इस प्रकार का हमारे खिलाफ़ गलत और झूठा प्रोपेगंडा चल रहा है । अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान की फ़ौजें हमारे देशवासियों पर जो कि देश की सीमा के प्रदेशों पर आबाद हैं उन पर गोलियां बरसाती हैं लेकिन यदि भारत की सेना के द्वारा कहीं पर कोई कड़ा जवाबी ऐक्शन ले लिया जाता है तो उससे हमारे प्रधान मंत्री महोदय को कष्ट होता है । हमारे नीतिशास्त्र ने एक स्थल पर लिखा है कि कभी कभी अधिक उदारता को शत्रु हमारी दुर्बलता समझने लगता है और हमारे नीति शास्त्र म इस बात को लिखा है ।

" पादाहतं पदुत्थाय मूर्धानमंधिरोहति ।

स्वस्थादेवावमानेऽपि देहिनस्तद् वरं रजः ।।"

जिस समय शिशुपाल भरी सभा में भगवान श्रीकृष्ण को गालियां देने लगा तो भगवान श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को यह चेतावनी दे दी कि जिस समय तेरी १०१ गालियां जमा हो जायेंगी, उस समय मेरे हाथ में तेरे लिये सुदर्शन चक्र आ जायेगा । जिस समय शिशुपाल ने ९९वीं गाली उनको दी और पास म बैठे हुये किसी सज्जन ने उनको कहा कि यह तो आपको निरन्तर गालियां देते ही चला जा रहा है तो उस समय भगवान ने कहा कि इसकी मति मारी गई है और यह मूर्ख जो बकता जा रहा है उसे बकने दो लेकिन अन्त में भगवान श्रीकृष्ण ने जब धैर्य की हद हो चुकी तो उन्होंने उसका संहार किया । कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपना देर तक निरादर होते नहीं देख सकता । रास्ते की धूल को ही देखिये कि जब कभी कोई आदमी उस पर ज़ोर से चलता है तो वह धूल उस

आदमी के सिर पर उड़ कर पहुंचती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देनी चाहिये और यह उचित नहीं है कि जिस तरह वह पिछले ११ वर्षों से पाकिस्तान द्वारा अपमानित होता चली आयी है, आगे भी वह होती रहे ।

इसके अतिरिक्त जो एक बड़ी गम्भीर समस्या हमारे सामने उपस्थित है वह है पूर्वी पाकिस्तान से यहां पर भाग कर आये हुये शरणार्थियों की समस्या । आज प्रश्नोत्तरकाल में इसका ज़िक्र आया और यहां पर बतलाया गया है कि सन् १९५० से हज़ारों की संख्या में हिन्दू शरणार्थियों को पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में खदेड़ा जा रहा है । उस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने पीछे यह स्वीकार किया था कि एक महीने के अन्दर ४० हज़ार के लगभग आदमी इस समय पास्कितान से बराबर निकल रहे हैं । जब बड़ी तीव्रता के साथ पाकिस्तान से लोग निकल कर यहां आ रहे थे । उस समय हमारे माननीय गृह-मंत्री सरदार पटेल यह दृश्य देखने गये थे, और उन्होंने पाकिस्तान के सामने यह बात रखी कि पाकिस्तान बनने के साथ हिन्दुस्तान को यह गारंटी दी गयी थी कि पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक बन कर रहेंगे और पाकिस्तान को यह गारंटी दी गयी थी कि हिन्दुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक बन कर रहेंगे और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी । सरदार पटेल ने पाकिस्तान से कहा कि अच्छा तो यही है कि उन लोगों को अपने अपने घरों में रहने दो और चैन से रोटी खाने दो, लेकिन अगर निकालते ही हो तो जितने हिन्दुओं को इधर भेजते हो उतने मुसलमानों को यहां से लेने के लिये तैयार रहो ताकि हम उन हिन्दुओं को यहां पर बसा सकें । तीसरी बात सरदार पटेल ने पाकिस्तान से यह कही कि अगर तुम अपने यहां हिन्दुओं को रखने के लिये भी तैयार नहीं हो और उनके बदले में यहां से मुसलमानों को लेने के लिये भी तैयार नहीं हो तो तीसरी विकल्प यही है कि जिन आदमियों को तुम यहां भेज रहे हो उनके लिये हमको ज़मीन दो ताकि उनको बसाया जा सके । लेकिन आश्चर्य है कि सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् किसी के सामने यह बात नहीं रही । मैं शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो डेढ़ करोड़ हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान में रह गये हैं वे आज निकल निकल कर यहां आ रहे हैं । मैं अभी उधर गया तो मैं ने सियालदाह स्टेशन पर हजारों लोगों को जो कि ठठरियों के रूप में थे वहां पड़ा देखा । उस समय श्री मेहर चन्द खन्ना जी भी वहां उपस्थित थे ।

हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एक बार अमरीका गये थे । उसके बाद यहां पर अमरीका के उपराष्ट्रपति आये थे । उन्होंने सियालदाह के स्टेशन पर हजारों की तादाद में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये हिन्दुओं को ठठरियों के रूप में पड़े देखा था । उस समय उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था जो कि कलकत्ता के स्टेट्समैन अखबार में प्रकाशित हुआ था । उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अमरीका जाने से पहले अमरीका के राष्ट्रपति, जो कि उस समय श्री ट्रयूमैन थे, अपनी आंखों से सियालदाह स्टेशन को देख लेते तो वह यह बात सोचते कि पंडित नेहरू का हवाई अड्डे पर स्वागत करने जायें या नहीं । यह अमरीका के उपराष्ट्रपति का वक्तव्य था जो कि उन्होंने उस समय सियालदाह स्टेशन पर लोगों की हालत को देख कर दिया था । आज भी वही अवस्था है । ग्यारह साल हो गये लेकिन यह समस्या हल नहीं हो रही है । सरकार अपना पुनर्वास विभाग बन्द करने जा रही है पर यह समस्या अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है । इसको हल करने का एक ही उपाय है और वह यह है कि जितने आदमी पाकिस्तान से हमारे यहां आ रहे हैं उनके लिये पाकिस्तान से धरती की मांग की जाये । इसमें शासन के सामने किसी प्रकार का संकोच नहीं उपस्थित होना चाहिये ।

एक और आवश्यक बात है जिसकी ओर हमारे महाराष्ट्र परिषद् के मित्रों ने शासन का ध्यान खींचा है और जिसकी ओर महागुजरात के माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान

आकर्षित किया है और हमारे नवीन सदस्य श्री बापूजी अणे जी ने भी किसी रूप में उधर संकेत किया है । उनके साथ ही कल यहां पर श्री प्रताप सिंह दौलता ने भी पंजाबी सूबे की मांग की है। जिस समय श्री दौलता ने अलग पंजाबी सूबे की मांग की तो मैं अवाक् रह गया । अभी तक हम यह देखते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अकाली पार्टी को जो कि पंजाबी सूबे की मांग करती थी सम्प्रदायवादी और कम्युनल नामों से पुकारते थे । पहले मास्टर तारासिंह ही पंजाबी सूबे की मांग करते थे लेकिन आज हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट सदस्य श्री दौलता भी अलग पंजाबी सूबे की मांग कर रहे हैं । जब मास्टर तारासिंह ने अलग पंजाबी सूबे की मांग की थी तो सरदार ज्ञानी करतार सिंह ने जो कि उनके दायें हाथ थे यह कहा था कि पंजाबी सूबा अलग किसके लिये मांग कर रहे हो क्योंकि इस भभाग का ३५ पर सेंट हिस्सा तो नम हो चुका है और बाकी हिस्सा भी नम होने वाला है । तो क्या अलग पंजाबी सूबा लेकर लोगों को फाकाकशी कराओगे । आज जब पंजाब के बहुत से सिख इस मांग का विरोध कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री दौलता यह मांग ले कर सामने आते हैं। पर हमें इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये क्योंकि साम्यवादी पार्टी की नीति यह मालूम पड़ती है कि "जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे "। हमें सन् १९३९ की बात याद है जब कि कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी कि गांधी जी के व्यक्तिगत सत्या-ग्रह से क्या आजादी मिल सकती है । किन्तु जब उन्होंने सन् १९४२ में करो या मरो का नारा लगाया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि अभी देश तैयार नहीं था । सुभाष बोस के आन्दोलन को कभी उहोंने कहा था कि यह कौम के साथ गद्दारी हो रही है क्योंकि उस समय चर्चिल और रूजबैल्ट के स्टालिन से अच्छे सम्बन्ध थे । लेकिन जब जर्मनी के विभाजन के प्रश्न पर उनमें आपस में मतभेद हो गया और इस प्रश्न पर चर्चिल रूजबैलट का स्टालिन से विवाद हो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नीति को बदल दिया । अब कम्युनिस्ट पाटी ने देखा कि मास्टर तारा सिंह कह रहे हैं कि अकाली सीधे चुनाव लड़ेंगे और हमारा कांग्रेस का साथ नहीं रहेगा तो सहानुभूति प्राप्त करने के लिये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अलग पंजाबी सूबा बनाने की मांग करने लगे हैं ।

पंजाब तो इस प्रदेश का नाम तब था जब कि इसमें पांच नदियां बहती थीं, रावी झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास। आज तो इसमें केवल दो ही नदियां बहती हैं। इसलिये आज तो पंजाब को दोआब कहना चाहिये। अगर आज मास्टर तारासिंह उन तीन नदियों के प्रदेश को भी जो कि पंजाब से अलग कर दिया गया है मिलाकर एक पंजाबी सूबा बनाने की मांग करें तो हम उसका समर्थन करने को तैयार हैं। अगर आज हमारे प्रधान मंत्री उस तीन नदियों के प्रदेश जो पंजाब से अलग कर दिया गया है फिर से मिलाने के लिये अपनी तोपों का मुंह लाहौर की तरफ मोड़ें और अगर उनकी तोपों में बारूद न रहे तो हम बारूद की जगह अपने सिपाहियों को दे कर उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वह कल्पना ही नहीं । आज तो दोआब के लिये लड़ाई हो रही है ।

मैं एक दूसरी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आज पंजाब में कुछ समय से चल रही है और वह भाषा की समस्या है । मुझे खेद है कि इस प्रश्न को ले कर इस आन्दोलन के नेता को बदनाम किया गया । यहां पर हिन्दी के प्रश्न को एक दक्षिण भारत के माननीय सदस्य ने उपस्थित किया था । लेकिन उन्होंने उस प्रश्न को राष्ट्र-भाषा के रूप में उठाया था । उस प्रश्न पर तो राजभाषा आयोग की रिपोर्ट आने पर विचार

किया जायेगा। आज पंजाब में यह राष्ट्रभाषा का प्रश्न नहीं है। वहां पर तो यह मातृ-भाषा का प्रश्न है। राष्ट्रभाषा और चीज है और मातृभाषा और चीज है। जब हम पंजाब में हिन्दी की भाषा की मांग करते हैं तो हम कोई नये अधिकार की मांग नहीं करते। हम तो अपने पुराने अधिकार को अक्षुण्ण रखने की ही मांग करते हैं, उस अधिकार की जो कि हमें सिख राजा रणजीत सिंह ने समय में प्राप्त रहा, और पोने दो सौ साल के अंग्रेज शासन में भी प्राप्त रहा। हम तो अपने पुराने अधिकार को चाहते हैं, हम कोई नये अधि-कार की मांग नहीं कर रहे हैं। हिन्दी सत्याग्रह के नेताओं को यह कह कर बदनाम किया गया है कि वे हिन्दू और सिखों के अन्दर तनाव पैदा करना चाहते हैं। लेकिन यह हिन्दू और सिखों में तनाव पैदा करने की बात नहीं है। आप देखें कि इस सत्याग्रह में सिख लोगों ने भी भाग लिया।

सिख गुरुओं को जितनी मान्यता सिख देते हैं हम उससे अधिक मान्यता और आदर उनको देते हैं। हम उनके सामने नत मस्तक हैं क्योंकि उन्होंने बड़े कठिन समय में हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति की रक्षा करने में अपना बलिदान किया था। उस समय जब कि चारों ओर से हिन्दू धर्म पर हमले हो रहे थे। तो हमारा सिखों से कोई झगड़ा नहीं हैं। मैं केवल यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि संविधान में जब ३३ प्रतिशत वाली भाषा को संरक्षण प्राप्त है फिर पंजाब में हिन्दी को जो कि ४७ प्रतिशत लोगों की भाषा है वह संरक्षण क्यों प्राप्त न हो। आन्दोलन के बन्द होने के बाद हमारे माननीय गृहमंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने चंडीगढ़, लुधियाना और करनाल के अपने भाषणों में हमको आश्वासन दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरु ने ९ नवम्बर को चंडीगढ़ में कहा कि ९० प्रतिशत मांग तो स्वीकार कर ली गयी है और जो १० प्रतिशत रह गयी है वह भी आपस में तै कर ली जायेगी। इस आश्वासन पर श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने जो कि एक गांधी वादी नेता हैं और जो उस आन्दोलन का संचालन कर रहे थे उसको बन्द करवा दिया। लेकिन अगर आज हमारे गृह मंत्री यह समझते हों कि उन्होंने अपनी चतुरता और कुशलता से इस आन्दोलन को दबा दिया और वह आन्दोलन हमने कमजोरी के कारण बन्द कर दिया तो मैं कहना चाहूंगा कि यह उनकी भूल है। मैं उन नग्न शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता और न मैं उस भाषा को दुहराऊंगा जिसको कि यहां पर एक माननीय सदस्य ने उपयोग किया था कि अगर बम्बई सम्बन्धी महाराष्ट्र की मांग को यहां संसद् में तै नहीं किया जायेगा तो उसको बम्बई की गलियों में तै किया जायेगा। मैं इतनी हलकी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन मैं निम्न शब्दों में यह निवेदन जरूर करूंगा कि अगर हमारे अधिकार की उपेक्षा की गयी, तो पंजाब में ऐसी घटनायें हो सकती हैं जिनकी कि अभी हमारे मन में कल्पना की भी सम्भावना नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रकार की अकल्पनीय सम्भावना के अस्तित्व में आने से पहले ही हमारे न्यायोचित अधिकार को हमें दे दिया जाये और उसकी अधिक उपेक्षा न की जाये। जिस तरह से कि बम्बई तथा आन्ध्र में द्विभाषी राज्य बना है उसी तरह की व्यवस्था पंजाब में भी होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे अपने अधिकार से एक दो निमट का अधिक समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सभा में दो मांगें उठाई गई हैं। एक मांग में कहा गया है कि देश के सामने जो आज समस्या है उसका समाधान करने के लिये एक राष्ट्रीय सरकार की

† मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलन सिंह]

स्थापना की जायें। किन्तु इस मांग से मैं सहमत नहीं हूं। आज से दो वर्ष पूर्व देश ने मतदान दे कर यह राय दे दी है कि देश का प्रशासन किस प्रकार हो—चाहे वह कांग्रेस दल की नीति से हो अथवा किसी अन्य दल की नीति से। पिछले दो वर्षों से कांग्रेस सरकार विरोधी दलों की सद्भावना और उनके सहयोग के आधार पर कार्य कर रही है। लेकिन अब उन लोगों को इस सरकार में सम्मिलित कर के सरकार का कार्य चलाना संभव नहीं होगा, जिनको कि देश पिछले चुनाव में नापसंद कर चुका है। किन्तु उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस बात को देखें कि देश का कार्य सुचारू रूप से तथा जनता की भलाई को दृष्टिगत रख कर हो रहा है। और इसी के लिये हमारे प्रधान मंत्री हमारे दल के नेता ने सदैव ही उन से सहयोग देने की मांग की है।

दूसरी मांग यह की गई है कि हमारे खाद्य मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे। लेकिन मैं कहूंगा कि यह मांग उचित नहीं है। उन्होंने खाद्य समस्या को हल करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। किन्तु इस बात को कोई क्या करे—कि कभी प्रकृति हमारे विरूद्ध हो जाती है तो कभी परिस्थितियां हमारा साथ नहीं देती। किन्तु इतना आवश्यक है कि खाद्य समस्या को हल करने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है। हमारे सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां हैं जिन्हें हम तथा विरोधी दल के सभी सदस्य भली प्रकार जानते हैं। लेकिन यह बात दूसरी है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों अथवा स्थानीय कारणों के आधार पर उनसे त्यागपत्र देने की मांग की जाये। किन्तु देश की भलाई की दृष्टि से उनके त्यागपत्र बिल्कुल ही अनावश्यक, अवांछित एवं अन्यायिक है। यह सभा मंत्रियों का निर्वाचन नहीं करती। प्रधान मंत्री ही मंत्रियों की छांट करते हैं और जब तक उनमें प्रधान मंत्री का विश्वास है तब तक वे काम करते हैं अतः यहां सभा में त्यागपत्र देने के लिये मांग करना न्यायोचित नहीं है।

यह ठीक है कि खाद्य समस्या बड़ी विकट समस्या है। किन्तु जहां तक नीति की बात है—इसका दायित्व तो मंत्रिमंडल पर है। मंत्रिमंडल ही नीति के बारे में तै करता है। कोई मंत्री अपने व्यक्तिगत आधार पर नहीं। इसलिये उनसे त्यागपत्र की मांग करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि उनके त्यागपत्र से किसी के दिल को शांति मिल जाये किन्तु इतना सत्य अवश्य है कि उससे देश की भलाई नहीं होगी।

इन बातों को दृष्टिगत रख कर मैं सभा का ध्यान राष्ट्रपति के भाषण की कंडिका ८, ९ और १० की ओर आकर्षित करता हूं जिनमें उन्होंने कहा है कि खाद्य समस्या देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि अब की बार हमारे यहां चावल की फसल बड़ी अच्छी हुई है और उसके मूल्य में भी कमी हुई है। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे यहां फसल भी अच्छी हुई है, दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात भी हो रहा है, खाद्यान्न का व्यापार राज्य सरकारें भी कर रही हैं और करने वाली हैं किन्तु फिर भी खाद्यान्न का मूल्य इतना बढ़ गया है जो साधारण व्यक्तियों की सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसलिये खाद्य मंत्री से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे इस की जांच करें। और इस बात का कारण मालूम करें कि यह सब कुछ इस प्रकार क्यों हो रहा है।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में "राज्य व्यापार" का उल्लेख किया है। मैं इस योजना से सहमत हूं और आशा है कि सभी प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति इससे सहमत होंगे हालांकि अभी इस योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी इस योजना के रास्ते में अभी से बहुत सी कठिनाइयां आ गई हैं। खाद्यान्न के मूल्य ही नहीं बढ़ रहे बल्कि

बाजार से खाद्यान्न ही बिल्कुल उठ गया है । लोगों को बाजार में चावल बिल्कुल ही नहीं मिलता । इस कठिनाई की जानकारी मालूम करने पर हमें बताया जाता है कि सरकार "राज्य व्यापार" योजना को लागू करने वाली है । मेरा निवेदन यह है कि यह योजना शीघ्र ही चालू की जायें । सरकार को चाहिये कि वह जनता की कठिनाइयों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करें । अतः अन्त में मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दुबलिश (सरधना) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को जब आजादी मिली और उसके बाद यह रिपब्लिक बना, उस वक्त दुनियां में दो प्रकार की प्रणालियां थीं । एक तो वैस्टर्न डैमोक्रेसीस थीं और दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज थे जिन में सोवियत रशिया प्रधान था । बाद में दूसरे देश भी इन में शामिल हुए । हमने वैस्टर्न डैमोक्रेसीस से राजनैतिक ढांचा किया जिस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, अपना समाज बनाने की स्वतंत्रता थी, अपनी पोलिटिकल पार्टीस बनाने की स्वतंत्रता थी, प्रेस की आजादी थी । पार्लियामेंट का तारीका था, एडल्ट सफ्रेज की बिना पर चुनावों का तरीका था । चूंकि इन सब तरह की आजादियों को हमने पसन्द किया इसलिये इनको हमने अपने विधान में रखा । कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो यह तरीका है कि वहां एक ही पोलिटिकल पार्टी हो सकती है और उसको हटाया नहीं जा सकता है लोगों की राय से और वह एक तरह से परमानेंट पार्टी है और जो कुछ भी वह करे उसके बारे में अपने विचार जाहिर करने का किसी को मौका नहीं है और उससे भिन्न पार्टी जहां भी हो, उसको मारकाट के जरिये से, हिंसा के जरिये दबाया जाये और अपनी ताकत को बनाये रखा जाय, यह जो तरीका था यह हमें बिल्कुल पसन्द नहीं आया । लेकिन साथ ही साथ कम्युनिस्ट देशों का जो आर्थिक ढांचा है, जो समाजवादी ढांचा है, उसकी बहुत सी बातें हमको पसन्द आईं और इसीलिये हमने अपने देश में यह तय किया कि हम राजनीतिक ढांचा तो वैस्टर्न डैमोक्रेसीस से लेंगे और आर्थिक ढांचा सारे का सारा न सही लेकिन बहुत कुछ हम उन देशों से लेंगे जो कम्युनिस्ट कंन्ट्रीस में है और हमने डैमोक्रेटिक सोशलिज्म का एक नया तरीका निकाला । अभी तक जिन देशों में समाजवाद कायम हुआ था वहां पर वह डिकटेटरशिप के जरिये से हुआ, मार काट के जरिये से हुआ । लेकिन इतिहास में हमारा यह पहला देश है जिस ने इस बात का दावा किया है और अब भी कर रहा है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम यहां पर सोशलिज्म कायम करेंगे और हम कर सकते हैं । इसको मैं मानता हूं हमने नारा तो बुलन्द किया और बहुत से काम भी किये जैसे पब्लिक सैक्टर में बड़े बड़े बांध बांधना, कारखाने कायम करना, बड़े बड़े स्टील प्लांट बनाना इत्यादि जोकि यहां पर समाजवाद की स्थापना में काफी मदद देंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब काम उस वक्त भी हो सकते हैं यदि हम समाजवाद के आर्थिक ढांचे को स्वीकार न करें ।

मेरा निवेदन है कि हमारे देश में सब से बड़ा पब्लिक सैक्टर रेलवे है जो उस वक्त भी था जब कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था । मेरा तो यह विचार है कि हम लोग समाजवाद की स्थापना की बात तो करते हैं लेकिन कुछ गम्भीरता कुछ सीरिएसनेस समाजवाद को लाने की दिखाई नहीं देती है । जो समाजवाद यहां पर हम लाना चाहते हैं, वह मेरे विचार में, इसलिये हम नहीं ला पा रहे हैं कि हम इसको क्रान्तिकारी आन्दोलन का रूप नहीं दे रहे हैं जोकि हमें देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं चीन की तरफ देखता हूं जोकि समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, चाहे वह दूसरे ही तरीके से करना चाहता हो, तो मैं पाता हूं कि वहां के नेतागण चाहे वहां लोगों से जबर्दस्ती ही कुर्बानी चाहते हों और ले रहे हों, लेकिन वह बड़ी तेजी से

इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है । जिस समाजवाद की हम अपने देश में स्थापना कर रहे हैं, उसका चीन के समाजवाद से मुकाबला जब हम करते हैं, तो बहुत ही निराशा होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी हालत में हमारे देश में समाजवाद की स्थापना कभी नहीं हो सकेगी। आप चीन को लें । उसने अपनी आबादी को तीस तीस हजार के कंम्यूंस में बांट दिया है और उन कंम्यूंस में रहने वालों की तमाम जमीन, उनके रहने के मकान और यहां तक कि उनके कपड़े और उनके बरतन उनकी दूसरी जो हाउसहोल्ड प्रापर्टी है उस सब को इकट्ठा कर दिया । एक काम और उसने किया। वे लोग किसानों को कारखानों में भेजते हैं ताकि जमीन के साथ उनकी मुहब्बत न रहे। व्यापारी और दूसरे लोग जो हैं उन्हें खेती करने के लिए भेजते हैं ताकि उनको अपनी चीजों से मुहब्बत न रहे। इस तरह से तमाम जनता से उन्होंने त्याग करवाया है और यह सब काम जबर्दस्ती कराया है । उन्होंने सब को कह दिया कि एक सा कपड़ा उनको मिलेगा, खाना भी एक सा मिलेगा इत्यादि। वहां पर तो इतनी बड़ी एफर्टस हो रही है, जबर्दस्ती से हो रही है लेकिन हमारे यहां पर इसके मुकाबले में जरा जरा सी बात को ले कर, जरा जरा सी चीज को ले कर झगड़े खड़े हो जाते हैं अगर कहीं कमी हो जाती है, या कोई और बात हो जाती है तो शोर मच जाता है और अधिकारों की दुहाई दी जाने लग जाती है और कहने लग जाया करता है कि उनका हनन हो गया है और यह सुविधा नहीं दी जाती है और वह सुविधा नहीं दी जाती है । चीन की ७० करोड़ की आबादी है और आप देखें कि उनको कितनी कम सुविधायें मिली हुई हैं। उन्होंने हर एक आदमी की जो उसकी कंजम्पशन की चीजें थी, कंज्यूमर गुड्स थीं दो रुपये या चार रुपये मासिक फी आदमी के हिसाब से घटा दिया। मान लीजिये दो रुपये अगर घटा दिया तो एक मास में १४०० मिलियन रुपये उनके पास हो गये। उस रुपये से वे जो चीजें बना रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं और विदेशी सिक्का वगैरह लेने के लिये इन चीजों को कास्ट-प्राइस से दो आना या चार आना रुपया कम पर वे बाहर भेज रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की मार्किट है, उस पर चीन धीरे धीरे अपना कब्जा जमाता जा रहा है। आगे चल कर इसका क्या नतीजा होगा? आज जापान में प्राइवेट सैक्टर हैं और वह किसी भी तरह का नुक्सान बरदाश्त नहीं कर सकता है । साथ ही साथ जापान बिना उद्योग और व्यापार के जिन्दा नहीं रह सकता है। इसलिये अगर वह मुल्क नुक्सान बरदाश्त नहीं कर सकता है तो बहुत जल्दी वह वक्त आ रहा है जबकि जापान में या तो कम्युनिज्म होगा या फिर मिलिट्री डिकटेटरशिप वहां कायम होगी। ऐसी हालत में वह ठहर ही नहीं सकता है । अपने देश की बात को अगर हम लें तो जो मैनुफैक्चर्ड चीजें हम बाहर भेजने की स्थिति में हैं उनमें भी हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।

ऐसी सूरत में मेरा खयाल है कि जब तक हम समाजवाद को एक क्रान्तिकारी आन्दोलन का रूप नहीं देंगे, तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है । हमारी लेजिस्लेचर्ज में, हमारी पार्लियामेंट में जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीस हैं देश की, उनके कम से कम ९० परसेंट जो लेजिस्लेटर्स हैं वे उन पार्टियों की टिकटों पर चुन कर आये हैं जो समाजवाद को स्वीकार कर चुकी हैं । इसलिये कोई वजह नहीं है कि हम अपने देश के अन्दर समाजवाद का एक क्रांतिकारी आन्दोलन न चला सकें या उसको रूप न दे सकें। चूंकि समय कम है, इस वास्ते जो बातें मेरे दिमाग में हैं उनको मैं बिना व्याख्या के एक एक कर के आपके सामने रखना चाहता हूं ।

सब से पहला काम जो हमको करना होगा वह हमारे विधान में फंडेमेंटल राइट्स जो हैं उनमें हमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन इस तरह से करना पड़ेगा कि फंडेमेंटल राइट्स तो रहेंगे लेकिन एक शर्त बढ़ानी होगी कि अनलेस दे मिलिटेट अगेंस्ट दी नैशनल आब्जैक्टिव आफ सोशलिज्म । हम पहले भी जमींदारियों को खत्म कर चुके हैं, उनको एबालिश कर चुके हैं और उनको खत्म करते वक्त हमने जमींदारों से नहीं पूछा। इसके अलावा हमने और भी कई काम किये हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक इन फंडेमेंटल राइट्स में इस तरह का संशोधन आप नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाजवाद के लक्ष्य को एक क्रांति-कारी रूप नहीं दे सकेंगे।

दूसरा सजैशन जो मैं देना चाहता हूं वह प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर्स के बारे में है। हर एक आदमी जानता है कि सोशलिज्म क्या है। लेकिन अगर मींस आफ प्रोडक्शन कम से कम जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनका सोशलाइजेशन नहीं होता तब तक काम नहीं चल सकता है। आज हमारे यहां पब्लिक सैक्टर भी है और प्राइवेट सैक्टर भी । मैं मानता हूं कि हम आज इस पोजिशन में नहीं हैं कि प्राइवेट सैक्टर को खत्म कर दें । लेकिन हम यह तो कह ही सकते हैं और इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि आखिर में जितना भी प्राइवेट सैक्टर है वह पब्लिक सैक्टर में बदल जायेगा। मेरी सजैशन है कि हम को ऐसा ऐलान कर देना चाहिये कि आज जितना भी प्राइवेट सैक्टर है, जितने भी बड़े बड़े मींस आफ प्रोडक्शन हैं, वे सब एक मुद्दत से आगे—जो कि २० साल की या २५ साल की हो सकती हैं—पब्लिक सैक्टर में बदल जायेगा। साथ ही साथ आप यह भी घोषणा कर सकते हैं कि आगे जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्टरियां आदि बनेंगी उन्हें भी इसी शर्त पर लाइसेंस दिया जायेगा कि इस पीरियड के बाद या २०–२५ साल के बाद वे आटोमैटिकली पब्लिक सैक्टर का रूप धारण कर लेंगी। साथ ही साथ जो डिप्रिसिएशन वगैरह हैं उसका भी हमें ध्यान रखना होगा जिससे आखिर में जा कर हमें टूटी फूटी हालत में चीजें न मिलें।

किसी भी समाज में जो मिडिल क्लास होती है वह बैकबोन आफ सोसाइटी होती है। मिडिल क्लास में यह बात घर किये रहती है कि उसकी जो आमदनी है वह थोड़ी है जबकि उसको एक स्टेंडर्ड रखना पड़ता है । साथ ही साथ ये जब अपर-क्लासिस के लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि वे बड़े बड़े बंगलोस में रहते हैं, कारें उनके पास हैं, उम्दा उम्दा कपड़ा वे पहनते हैं, तो जो छोटे लोग होते हैं उनमें जलन सी पैदा होती है और उनमें कुर्बानी का जो मादा होना चाहिये वह नहीं रहता है, वह खत्म हो जाता है। मेरी सजैशन यह है कि हमारी मिलों में जितना भी कपड़ा बने वह तीन रुपया गज से अधिक का कपड़ा न बने । बाहर भेजने के लिये आप जैसा कपड़ा और जितना कीमती कपड़ा चाहें तैयार करवायें लेकिन यहां कंजम्पशन के लिये तीन रुपये गज से ऊपर का कपड़ा तैयार नहीं होना चाहिये। इसका नतीजा यह होगा कि दफ्तरों में काम करने वाला सैक्रेट्री भी वही कपड़ा पहनेगा जो कि उसके नीचे काम करने वाला पहनेगा और दोनों ही कपड़े करीब करीब एक जैसे होंगे। इस से दोनों में इक्वैलिटी की भावना आयेगी और यह नहीं होगा कि एक बहुत सुपीरियर है और दूसरा बहुत इनफीरियर।

एक सजेशन मैं यह देना चाहता हूं कि हर एक आदमी चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा, प्राइम मिनिस्टर से ले कर छोटे से छोटे आदमी तक एक हफ्ते में कम से कम पांच घंटे श्रमदान के लिये दें और इन पांच घंटों में वह जिस तरह का श्रमदान भी करना चाहे करे।

इससे हर एक आदमी में यह भावना पैदा होगी कि वह दूसरे से अधिक काम करे और साथ ही साथ उसमें यह सान्त्वना भी होगी कि जैसे वह देश के लिए काम कर रहा है वैसे ही दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं वे भी देश के लिए ही कर रहे हैं। हमको हर एक आदमी को एक्सपर्ट करना होगा एक से अधिक कामों में। लोगों को हमें यह भी महसूस कराना होगा कि देश के लिए वे जो काम कर रहे हैं वही काम बड़े से बड़े लोग भी कर रहे हैं।

साथ ही साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि रेलवे में जो एयर-कंडिशनिंग हैं, उसको खत्म कर दिया जाये। इसी तरह से जो लोग बड़े बड़े बंगलास में रहते हैं, उनको अपने मकानों में दूसरे आदमियों को रखने के लिये मजबूर किया जाये। कार वगैरह वही लोग रख सकें जिन को कि उसकी सख्त जरूरत है और उन्हीं को रखने दी जाये।

चाइना आज इतनी बड़ी सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर उसकी सैक्रिफाइस का दसवां हिस्सा भी हम नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता हमारे यहां सोशलिज्म किस तरह से आ सकता है।

†**श्री नि० वि० माईति** (घाटल) : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे निस्तेज और अस्फूर्तिवर्द्धक कहा है। किन्तु यदि गत वर्ष की सफलताओं और आगामी वर्ष में किये जाने वाले कार्यों को आप निस्तेज और अस्फूर्तिवर्द्धक कहते हैं तो पता नहीं कि आपकी दृष्टि में दृढ़ और स्फूर्तिवर्द्धक वस्तुएं क्या होंगी। गत वर्ष, कुछ असफलताओं के बावजूद भी हमने बहुत सी कठिनाइयां को पार किया है। तथा आगामी वर्ष में भी कठिनाइयों को पार करना चाहते हैं।

गत तीन दिनों से इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। चर्चा के दौरान में बम्बई राज्य के मामले को लेकर साम्यवादी दल के नेता ने एक प्रकार से धमकी देते हुए यह कहा है कि इसका विभाजन किया जाय या इसे दो भागों में बांटा जाये अन्यथा उनका दल अशांतिपूर्ण रवैये अपनायेगा। किन्तु न तो उन्होंने और न संयुक्त महाराष्ट्र दल के नेता ने ही कोई ऐसा रचनात्मक कार्यक्रम रखा है जिससे कि इस राज्य के दो भाग कर दिये जायें। उन्होंने यह नहीं कहा कि बम्बई नगर किस राज्य में रहे। प्रजा समाजवादी दल के प्रधान ने भी इस बात पर प्रकाश नहीं डाला है कि ये दो राज्य किस प्रकार बनाये जायें हालांकि दो राज्य बनाने का समर्थन उन्होंने किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह याद दिला देना चाहता हूं कि अगर इस प्रश्न को फिर से उठाया गया तो जैसा कि डा० मा० श्री अणे ने कहा है कि विदर्भ का मामला भी उठेगा क्योंकि विदर्भ महाराष्ट्र के साथ नहीं रहना चाहता। ये मामले बहुत नाजुक हैं।

गोआ का प्रश्न भी उठाया गया है। गोआ का मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है। और जब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक उस मामले को हमें आगे नहीं लाना है। इसके प्रति हमें एक ऐसा रवैया अपनाना चाहिये जो अधिक क्रियाशील न हो, और मेरा विचार है कि हम ऐसा कर भी रहे हैं।

काश्मीर का मामला भी उठाया गया है। यह मामला भी बहुत ही नाजुक मामला है और संविधान के वे भाग जो वहां लागू होने चाहिये, मैं समझता हूं कि वहां के प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद, लागू करेंगे। निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार तथा उच्चतम

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय की चर्चा भी की गई है । मैं समझता हूं कि समय आने पर और आवश्यकता पड़ने पर ये उपबन्ध भी वहां लागू होंगे ।

श्री मथाई के मामले को इस सदन तथा राज्य-सभा में बहुत महत्व दिया गया है । इस सभा ने यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है । इसलिये इस मामले को अब यहां इतना तूल देना ठीक नहीं है । क्योंकि श्री मथाई एक सरकारी कर्मचारी थे और उनके इस मामले पर हमें इस सभा के समय का अपव्यय नहीं करना चाहिये । और इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिये ।

बेरूबाड़ी के हस्तान्तरण वाले मामले को बहुत महत्व दिया गया है । नेहरू-नून करार में स्थानों के हस्तान्तरण के बारे में तै हो गया था । मैं चाहता हूं कि कच्छ बिहार के वे क्षेत्र जो पाकिस्तान को दिये जाने वाले हैं वे पाकिस्तान को दे दिये जायें और जो भाग हमें उनसे मिलने वाले हैं वे हम उनसे ले लें । यह ठीक है कि बेरूबाड़ी के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने जो सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया है प्रधान मंत्री उस पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि जिस मानचित्र के आधार पर यह निर्णय किया गया है वह गलत है अथवा सही । अतः हम धैर्य रखना चाहिये कि इसकी उचित जांच होगी ।

जहां तक खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने का प्रश्न है यह बहुत ही गम्भीर मामला है । और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने "राज्य व्यापार" योजना बनाई है जो न केवल थोक व्यापार ही करेगी बल्कि कुछ राज्यों में तो खुदरा व्यापार भी करेगी । यह एक नयी योजना है और आशा है कि इसे सफलता मिलेगी । किन्तु बड़े-बड़े व्यापारी तथा उद्योगपति इसके विरुद्ध हैं और उन्होंने ही खाद्यान्न के मूल्य इतने अधिक बढ़ा दिये हैं और जनता के सामने कठिनाई उत्पन्न कर दी है । मुझे आशा है कि यह समस्या भी सुलझ जायेगी । इस सम्बन्ध में मैं पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़ी चतुराई से वहां खाद्य स्थिति का सामना किया है ।

प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री आचार्य कृपालानी ने राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है । यह एक अहम मामला है जिसके बारे में प्रधान मंत्री द्वारा कहा जाना ठीक रहेगा क्योंकि वही उपयुक्त व्यक्ति हैं जो इसका उत्तर दे सकते हैं । इस सम्बन्ध में मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सामान्य लक्ष्य की पूर्ति की ओर वे ही दल बढ़ सकते हैं जिनका ध्येय शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक उपायों से आगे बढ़ना है और वे ही राष्ट्र के ध्येय की पूर्ति कर सकते हैं । न कि वे दल जिनके विचार ही दूसरे तरह के हैं तथा जिनका लक्ष्य ही दूसरा है ।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : अपने संशोधनों की चर्चा करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री मथाई के मामले में हमें व्यक्तिगत आधार पर उस मामले की जांच नहीं करना है बल्कि इस दृष्टि से जांच करनी है कि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा सन्निहित है और इस प्रकार अन्य बहुत से मामले भी हैं । हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने इस प्रकार के उन व्यक्तिगत मामलों के सम्बन्ध में हमारे कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया है जिनके कार्य-कलापों तथा गतिविधियों से यह प्रकट होता है कि वे इस देश के प्रति अधिक रुचि नहीं रखते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री उ० च० पटनायक]

मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि सरकार ने कुछ ऐसे मामलों में अर्थात् प्रतिरक्षा संगठन में कुछ विदेशियों की सेवाओं को, जो कि देश की प्रगति को नहीं बढ़ा रहे थे, समाप्त कर दिया है। किन्तु यह मामला देश की सुरक्षा का है अतः इस प्रकार के व्यक्ति को सेवा में लेने अथवा रखने से पूर्व उसकी जांच करनी चाहिये। इसलिये प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि किसी महत्वपूर्ण स्थान पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने से पूर्व उसकी भूतकाल की गतिविधियों की उसके कार्यकलापों की पूरी-पूरी जांच कर लेनी चाहिये। विदेशों में और विशेष रूप से अमरीका में सैनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देते समय दूसरे देशों की भाषाएं सिखाई जाती हैं ताकि वे दूसरे देशों में जाकर वहां सांस्कृतिक एवं आर्थिक कार्य कर सकें। कुछ दिन वे ठीक काम करते हैं और अपना स्थान बना लेने के पश्चात् उस देश की गुप्त बातों का पता करके अपनी सांस्कृतिक एवं आर्थिक कार्यवाहियों के द्वारा उस देश पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि किसी महत्वपूर्ण स्थान पर किसी नियुक्ति करने से पूर्व उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अच्छी तरह पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये।

श्री मथाई के बारे में मैं यह तो नहीं बता सकता कि उन्होंने कितनी हानि पहुंचाई अथवा नहीं पहुंचाई किन्तु इतना अवश्य है कि वह एक ऐसे स्थान पर थे कि शहर वालों को यह बता सकते थे कि हमारे देश में क्या हो रहा है इस देश का लक्ष्य क्या है, तथा किन-किन बातों पर देश का प्रशासन आगे बढ़ रहा है आदि-आदि। इसलिये एक भारतीय के नाते मैं यह कह सकता हूं कि महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्ति करने से पूर्व अच्छी तरह उसकी जांच कर लेनी चाहिये।

मैंने राष्ट्रपति के तीन कार्यों—अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र, हमारे प्रशासन की अन्तर्देशीय स्थिति, तथा तीसरे प्रशासन का सैनिक क्षेत्र—के बारे में तीन संशोधन रखे हैं। यह ठीक है कि हमने कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है किन्तु हमारी यह प्रगति हमारे प्रयत्नों के सदृश नहीं है।

उदाहरणार्थ विदेश नीति को ही लीजिये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों—संविधान के अनुच्छेद ५१ को हमने अपनाया है; साथ ही हम प्रधान मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने पंचशील के सिद्धान्त को निकाला जिसने बहुत से देशों के घ्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। किन्तु इस पंचशील को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करने में जहां तक कि हमारे निकटतम पड़ौसियों और निकटतम समस्याओं के मामले में काफी क्षति उठानी पड़ी है।

सीमा के मामले में भी हम देखते हैं कि पड़ौसी द्वारा दिन प्रति दिन आक्रमण किये जाते हैं और हम उनका प्रतिरोध करते हैं किन्तु कोई सुनवाई नहीं होती। बल्कि उनकी मात्रा बढ़ती ही जाती है। अगर बात खाली सीमा पर होने वाले आक्रमणों की ही होती तो कोई बात नहीं थी असली बात तो पाकिस्तान में की जाने वाली तैयारियों की है। चिंता तो उनके लक्ष्य, उनके प्रचार, और उनका भारत के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण की है। हमने कुछ दिन पूर्व पढ़ा था कि अमरीका ने यह स्वीकार कर लिया है कि पश्चिमी पाकिस्तान में उनका, "क्षेपास्त्रों का एक अड्डा" है। हमें इस प्रकार के अड्डों से सतर्क रहना चाहिये। क्योंकि कौन जाने इस प्रकार के अड्डे वहां एक ही है अथवा

बहुत से हैं और न मालूम कब वे इनका प्रयोग हमारे विरुद्ध कर बैठें । इसके अलावा आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का भी सवाल है जो अमरीका ने पाकिस्तान तथा गोआ को दिये हैं । जम्मू में भी वायुयान घूमते रहते हैं जो शायद वहां हमारी स्थिति का पता लगाने में संलग्न हैं । इस प्रकार की घटनाएं हमारी सीमा पर हो रही हैं । यह तो ठीक है कि हम पंचशील मानते हैं और उसको व्यवहार में भी ला रहे हैं किन्तु सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी **पंचशील** को मानता है । और पता नहीं कि इस प्रकार की घटनाओं का क्या परिणाम निकलेगा ।

हमारे वित्त मंत्री अमरीका गये और वहां से ऋण ले आये किन्तु यह कोई नहीं जानता कि वे ऋण किस प्रकार के हैं और उनका कितना भुगतान हमें करना होगा । इसके अतिरिक्त हमारे मंत्रिगण सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक आधार पर अमरीका जाते हैं और वहां दोनों देशों की मित्रता की बात करते हैं । हमें अमरीका को यह बताना चाहिये कि अमरीका अपना वह सम्मान खो रहा है जो उसके प्रति हमारा था क्योंकि वह पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है और इस कारण हमें अपने प्रतिरक्षा विभाग पर अधिक से अधिक व्यय करना पड़ रहा है ।

मैं मानता हूं कि हमारी सरकार को पाकिस्तान में होने वाली सभी बातों की जानकारी है किन्तु उसकी कार्यवाहियां उस रूप से नहीं हो रही जिस रूप से कि हममें से बहुत से व्यक्ति चाहते हैं । हमने अमरीका से कुछ अस्त्र-शस्त्र लिये किन्तु वे बेकार ही पड़े । एक दूसरा खतरा हमने उस समय लिया जब हमने स्विटजरलैंड की एक ऐसी सार्थ से करार किया जो कि अस्त्र शस्त्र बनाना ही नहीं जानती थी । एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा जांच करने से ज्ञात हुआ कि वह ऐसी सामग्री थी जिससे कि हमारी बन्दूकों तथा हमारे कर्मचारियों को हानि पहुंचती । हालांकि प्रधान मंत्री ने पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में और जांच की जायेगी किन्तु अभी तक किसी समिति की नियुक्ति नहीं हुई है । सुना है कि विधि उपमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति होने वाली है ।

स्विटजरलैंड की सार्थ से कुछ विमान आदि क्रय करने का काम कुछ पदाधिकारियों को सौंपा गया उन्होंने उन सार्थों से करार किये । कहते हैं कि उन्होंने इन करारों से कुछ लाभ उठाया । इन सार्थों से वायुयान, **लड़ाकु जलयान** आदि खरीदे गये जिनके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ने को सूचना मिल जाती है किन्तु जब यहां इस सभा में इनके बारे में प्रश्न करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी जायेगी । साथ ही यह भी देखते हैं कि विदेशों से बेकार की अनुपयोगी वस्तुओं का क्रय किया जाता है जो हमारे लिये हानिकारक भी है किन्तु उसकी स्वीकृति इस संसद् से नहीं ली जाती जो कि सर्वोच्च सत्ता है । जब कभी कोई आपत्ति आती है तो संसद को सूचित नहीं किया जाता और न उसमें चर्चा ही की जाती है । बड़ी बड़ी धनराशियों के क्रय किये गये किन्तु उनका हवाला संसद् में इस रूप में न आकर किसी दूसरे ही रूप में आया । मैं यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इनको क्रय करने की स्वीकृति किस प्रकार दी गई तथा इस धन को किस प्रकार व्यय किया गया । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय खरीद बेच के मामलों में देश की राय लेनी चाहिये । और देश का विश्वास प्राप्त करना चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि हमारे यहां एक असैनिक प्रतिरक्षा संगठन होना चाहिये जिससे कि प्रतिरक्षा के मामलों में असैनिक व्यक्तियों को सहयोग देने का

अवसर मिले । इससे तीन लाभ होंगे । सर्वप्रथम सैनिक व्यय में कमी होगी दूसरे सैनिक मामलों के सम्बन्ध में नागरिकों को उत्साह मिलेगा तीसरे नागरिकों का सहयोग हर देश में सैनिक आघात के लिये औषधि सदृश है । पश्चिमी देशों में सैनिकों की अपेक्षा राजनैतिक व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर रहे हैं । हमें भी उसी दृष्टि से सोचना चाहिये ।

मेरा यही कहना है कि जब हम असनिक संगठनों की बात करते हैं तो मेरा अभिप्राय यह होता है कि आप उन्हें इस दृष्टि से संगठित करें कि वे आपातकाल में प्रतिरक्षा का कार्य कर सकें और सामान्य दिनों में देश का निर्माण कर सकें ।

खाद्यान्नों का हम आयात कर रहे हैं किन्तु उनका मूल्य निरंतर बढ़ता जा रहा है । कपड़े की भी यही दशा है । आयात के मामले में हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में मतभेद है । वाणिज्य मंत्रालय अधिक मूल्य पर हमारे यहां सैनिक सामान भरता जा रहा है जब कि प्रतिरक्षा मंत्रालय उसका विरोध कर रहा है । हम ऋण के बाद ऋण लिये जा रहे हैं किन्तु पता नहीं कि किस प्रकार और कब इनका भुगतान होगा अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर हमारे आयात की भी जांच होनी चाहिये ।

अंत में एक बात और कहूंगा । हम आस्ट्रेलिया से स्लीपर मंगाते हैं जिनका मूल्य ३० प्रति स्लीपर होता है । जबकि हमारे देश में १८ प्रति स्लीपर के मूल्य पर साल लकड़ी के स्लीपर मिलते हैं जो विदेशी स्लीपरों की अपेक्षा अधिक स्थायी और टिकाऊ हैं । हमारे यहां काफी मात्रा में साल की लकड़ी पाई जाती है किन्तु हमारे यहां कृषि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में जो साल की लकड़ी उत्पादन करते हैं सहयोग नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मैं केवल पांच बातों तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा और अपनी बात संक्षेप में ही कहने का प्रयत्न करूंगा । राष्ट्रपति ने कहा है कि नाहर कटिया में काफी तेल प्राप्त हुआ है, परन्तु शोधनशाला की स्थापना वहां नहीं की गयी । एक वर्ष हुआ ७५० लाख टन की क्षमता वाली शोधनशाला आसाम में स्थापित करने का निर्णय हुआ था। पता नहीं लग सका कि एक शोधनशाला आसाम में और अन्य बरौनी में स्थापित करने का क्या लाभ होगा । विशेषज्ञ समिति ने यह मत प्रकट किया था कि सीलीघाट पर शोधनशाला स्थापित की जाये और यह इस दिशा में सबसे उत्तम स्थान रहेगा । परन्तु इस समिति से बार बार यह कहा जा रहा है कि वह पुनः इस मामले का परीक्षण करे और गोहाटी और अमीनगांव के बीच किसी स्थान का सुझाव दे । इन्हीं बातों में समय नष्ट कर साधनों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा । रूमानिया के कर्जे के बारे में भी चर्चा है और उसके वापिस किये जाने की भी तिथि निकट आ रही है। अतः हमें इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई निर्णय करना चाहिए ।

प्राकृतिक गैस के निक्षेपों का भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा उल्लेख किया गया है । यह नाहर कटिया में है । परन्तु आज उस गैस का कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा, और वह व्यर्थ ही जा रही है। काफी गैस जल चुकी है और बहुत थोड़ी सी मात्रा का आसाम तेल

---

†मूल अंग्रेजी में

कम्पनी फायदा उठा रही है । यहां पर उर्वरक संयन्त्र स्थापित करके गैस का उपयोग करना चाहिए । इससे गैस का भी उपयोग होगा और चाय बागों को उर्वरक प्राप्त हो सकेगा ।

नागाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है । नागा शासन को आसाम प्रशासन से अलग कर दिया गया है । परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिशा में सुधार के जो भी पग उठाये जायें, वे नागा पहाड़ियों में रहने वाले लोगों की भावनाओं के अनुरूप होने चाहिऐं ।

सीमा दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार कुछ करती तो है नहीं केवल विरोध पत्र और प्रार्थनायें पाकिस्तान सरकार को प्रस्तुत करती रहती है । इस संबंध में लोगों का मत यह है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं द्वारा पाकिस्तान अपने विवादों को जीवित रखना चाहता है और इसके साथ ही आसाम को हड़प भी करना चाहता है । आने वाले कुछ वर्षों में आसाम की मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जायेगी और पाकिस्तान उसकी मांग करने लगेगा । हमें सचेत रहना चाहिए । मैं प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं को समुचित कार्यवाही करने को प्रार्थना करूंगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : राष्ट्रपति के भाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इन जातियों को गत आठ वर्षों से विशेषाधिकार भी प्राप्त है परन्तु हमारी सुविधायें और सफलताएं सन्तोषजनक नहीं है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर भी कभी ही सदन में चर्चा होती है । १९५० से उपरोक्त जातियों के लिए कन्द्रीय तथा अन्य सेवाओं में स्थान सुरक्षित है, परन्तु उनके उम्मीदवार हमेशा अयोग्य घोषित कर दिये जाते हैं । रेलवे तथा अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी के स्थानों पर भी उन्हें नहीं लिया जाता, जहां कि केवल शारीरिक योग्यतायें अपेक्षित होती हैं । प्राप्त छात्रवृत्तियां का भी ये लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के अन्त में मिलती हैं और तब तक लोग आर्थिक दबाओं से तंग आ कर स्कूल और कालिज छोड़ जाते हैं ।

मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना कर इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि इन जातियों ने किस सीमा तक प्रगति की है । यह बोर्ड यह भी सुझाव दे कि इनके लिए जो निधि निर्धारित की जाती है उसका वे किस प्रकार उपयोग करें । इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में बहुमुखी परियोजनाओं के कारण बहुत से लोगों को अपने स्थान से उठा कर बेघर कर दिया गया है, उनके पुनर्वास का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । उनको भूमि इत्यादि दी जानी चाहिए । इस बात का प्रभाव बहुत से परिवारों पर पड़ रहा है ।

भाषा आयोग के प्रतिवेदन पर शीघ्र ही सदन में चर्चा होगी । परन्तु मैं इस बात पर जोर दूंगा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को लागू करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि नागा क्षेत्र में स्थिति ठीक है । यह अच्छी बात है, परन्तु यह और भी अच्छा होगा कि स्थिति को नियमित रूप में नियन्त्रण में रखा जाये । इसी प्रकार नेहरू-नून समझौते के बावजूद पाकिस्तान की ओर से बराबर सीमा पर झगड़े हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : बेरुबाड़ी को पाकिस्तान को दिये जाने पर पश्चिमी बंगाल में काफी प्रबल आंदोलन चल रहा है। यह प्रश्न खाद्य समस्या से कम महत्व का नहीं है। मेरे राज्य के प्रमुख विधि नेताओं का यह मत है कि यह बात संसद के अधिकार के बाहर की है, और हमें इस मामले में अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की सम्मत्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

बेरुबाड़ी का क्षेत्र हमेशा हमारे कब्जे में रहा है। प्रधान मंत्री महोदय ने इस मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार या उसके पदाधिकारियों की राय जानने का प्रयत्न नहीं किया। यह चीज पश्चिमी बंगाल की सरकार वहां की विधान सभा में कहती रही है। अगर यह बात ठीक है तो मैं कहूंगा कि प्रधान मंत्री ने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। मुझे नहीं पता कि यह खबर ठीक है या गलत क्योंकि मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री संबंधित अधिकारियों से बिना पूछे ऐसे कर सकते हैं। कम से कम पश्चिमी बंगाल सरकार तो यही बात फैलाती है। इस मामले में छानबीन करके हमें बताना चाहिये कि सचाई क्या है। हमें यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने यह कहा है कि वहां के किसी अधिकारी से इस बारे में सलाह नहीं ली गई।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं प्रश्न. का विस्तार से उत्तर तो देना नहीं चाहता। परन्तु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श के बिना इस प्रकार के मामले का निपटारा नहीं हो सकता। एसा करना अनुचित होगा। परन्तु जब हमने पश्चमी बंगाल सरकार के मुख्य अधिकारियों को बुलाया था तो परामर्श के लिये ही बुलाया था। परन्तु शायद कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। यह मामले महीनों और सालों से चल रहे हैं। इस खास विषय के लिये भी उनको यहां बुलाया गया था और उनसे सलाह ली गई थी। मैं यहां यह नहीं कह रहा कि मुख्य सचिव ने जो कहा है वह गलत है या ठीक। जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं इसी ख्याल में हूं कि उनसे परामर्श कर लिया गया था। हो सकता है कि मैं गलत हूं।

†**श्री बिमल घोष**: अच्छा है कि माननीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, परन्तु पश्चिमी बंगाल में यही विचार है कि पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों से परामर्श नहीं किया गया। मैं बंगाल की प्रतिक्रिया बताना चाहता हूं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस क्षेत्र के विकास में बहुत सा धन व्यय किया है। भारत सरकार ने शरणार्थियों को इस क्षेत्र में बसाया। सीमाओं पर रहने वाले लोग अपने भविष्य के संबंध में अनिश्चित हो गये हैं। पाकिस्तान किसी भी समय किसी क्षेत्र का विवाद प्रस्तुत कर दे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यह एक गलत परम्परा का निर्माण हो रहा है। और आम धारणा यही है कि यह पाकिस्तान को प्रसन्न करने की चाल है, इससे काफी लोग उखड़ कर पुनः पश्चिमी बंगाल में आ जायेंगे। इस संबंध में पश्चिमी बंगाल विधान सभा में माननीय सदस्यों और मंत्रियों ने भी इसी प्रकार के मत व्यक्त किये हैं।

श्री पद्म देव (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने दोनों सदनों के सदस्यों के सामने जो सूत्र रूप में भारत के वर्तमान, भविष्य और भूत के ऊपर अपना अभिभाषण दिया, उसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे यहां राष्ट्र को विष्णु माना है और विष्णु के चार बड़े साधन हैं—शंख, चक्र, गदा और पद्म—पब्लिसिटी, यातायात के साधन, युद्ध की सामग्री और वैभव की चीजें। आज के संसार में कोई भी राष्ट्र न अकेले तौर पर जी सकता है, न पृथक रह सकता है, न अपने पड़ौसी राष्ट्रों के साथ लड़-झगड़ कर शांति से रह सकता है और न ही किसी पड़ौसी के घर में आग लगी देख कर खुश होकर अपने घर को बचा सकता है। इन सब बातों को देखते हुये हमारे राष्ट्र

†मूल अंग्रेजी में

के नेताओं ने सारे संसार के साथ मैत्रीपूर्ण भाव अपनाया है। इस के लिये दूसरे देशों में दूतावास खोले गये और हमारे प्रधान मंत्री, हमारे राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति विदेशों में गये, वहां पर अपने देश की नैतिकता और अपने देश के उसूलों और सिद्धांतों का प्रचार किया और साथ ही उन देशों के नेताओं को अपने यहां आमंत्रित किया, ताकि वे अपनी आंखों से देखें कि उन उसूलों अ.र सिद्धांतों के अनुसार हमारे यहां आचरण हो रहा है या नहीं। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज इस संसार में विष्णु का शंख--अपने राष्ट्र की दुंदभी सर्वत्र बज रही है और जिस अहिंसा के साधन से हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, आज उसी उसूल को संसार के सामने रख कर संसार का पथ-प्रदर्शन भी यह देश कर रहा है। कोई माने या नहीं, लेकिन वास्तविकता यही है। और आज उस का नतीजा है कि संसार का कोई भी ऐसा बड़ा राष्ट्र नहीं है, जो हम से मैत्री नहीं करना चाहता, हमारी सहायता नहीं करना चाहता, सहायता के रूप में या ऋण के रूप में खुले दिल से हमारी मदद नहीं करना चाहता। पाकिस्तान को भी निस्सन्देह सहायता मिल रही है, लेकिन जिस तरह हम पहलवान को बादाम खिलाते हैं, ताकि वह कुश्ती के लिये तैयार रहे, उसी तरह लड़ाई के लिये सामान और उनके देश में बेस बनाये जा रहे हैं। भले ही इस बात से हमें रोष हो, लेकिन एक तरफ संतोष भी है कि उसको उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है, जैसे कि पहले हमारे यहां नार्थ-वैस्ट्रन फ्रंटीयर प्राविन्स को अंग्रेजों ने रख रखा था।

विष्णु का दूसरा साधन है चक्र। हमारे देश में यातायात के साधनों में--जल में, स्थल में और आकाश में--पूरी प्रगति हो रही है। जो आदमी चलता है, वह गिरता भी है। जो लड़ता है वह हार भी खाता है। इस सदन में बार बार रूलिंग पार्टी की गल्तियों का जिक्र किया जाता है। इस में कोई शक नहीं कि जब देश का भार उन के कन्धों पर है, तो काम करते हुये वह बहुतेरी गल्तियां भी कर सकते हैं और गल्तियां करते हैं, तो मानते भी हैं और उसमें किसी प्रकार का हठ नहीं करते हैं।

हमारे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विनाशकारी आयुद्धों की ओर भी संकेत किया है और उसके साथ साथ इस बात का भी संकेत किया है कि अपने देश में पर्याप्त संख्या में आर्डिनेंस फैक्टरियां काम कर रही हैं। इस वक्त हम सारी चीजों के लिये दूसरों के ऊपर आधारित नहीं हैं। अपने देश में भी हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं, जैसा कि नीति में कहा गया है --

संदीपते भवनेतु कूपखन्नम् प्रत्येद्यमः क्विदशः

घर में आग लग जाये, तो कुंआ खोदने की बात नहीं है, बल्कि पहले ही से पूरी तैयारी की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि अगर समय पड़ता है, तो हमारे वीरों ने इस बात का परिचय आज के ज़माने में भी भली-भांति दे दिया है कि जहां उनके सुपुर्द किसी मुल्क की ज़िम्मेदारी पड़ी, तो उसको उन्होंने बड़ी सुन्दरता के साथ निभाया है और उसकी प्रशंसा के पत्र हमारी सरकार के पास पहुंचे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग दूसरे देशों को बचा सकते हैं, दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, उनके बल पर किसी को भी किसी प्रकार का भी सन्देह हो तो उनको यह जान लेना चाहिये कि अगर दूसरे देशों के लिये कुछ कुर्बानी की जा सकती है या ज्यादा कुर्बानी की जा सकती है तो अपने देश के लिये तो अपना सर्वस्व ही कुर्बान किया जा सकता है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है, उस पर २५३ संशोधन लाये गये हैं और ये संशोधन तकरीबन ७० विषयों की तरफ संकेत करते हैं। इनके अन्दर गोआ, काश्मीर, पाकिस्तान इत्यादि का भी ज़िक्र किया गया है। यह भी कहा गया है कि हमारी हदों पर छोटी मोटी हमले की वारदातें हो जाती हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिये। इसमें कोई शक

नहीं है कि कभी कभी ऐसा विचार हमारे दिलों में जरूर आता है कि जो कभी दुष्टता करता है और जिस वक्त करता है उसी वक्त और उस स्थान पर तो कुछ न कुछ उसका जवाब दिया जाना ही चाहिये। यह भी ख्याल आता है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दो चार थप्पड़ तो हमें जरूर उसको मार देने चाहियें ताकि आइंदा किसी को थप्पड़ मारने की हिम्मत ही न रहे। हम सत्य और अहिंसा के भी पुजारी रहे हैं लेकिन जहां तक राष्ट्रीयता का प्रश्न है या आत्म-रक्षा का प्रश्न है, वहां हमको अपनी रक्षा खुद करने के काबिल होना चाहिये। द्रौपदी ने भीमसेन को झिड़कते हुये कहा था :—

व्रजन्ति ने मूढ़धिया पराभवम् न भवन्ति ये माया विषु मायाविन :।

यानी वे मूर्ख लोग दुनिया के अन्दर अपमान को पाते हैं जो दुष्टों के साथ उस वक्त दुष्टता नहीं करते। अगर सांप आयेगा या बिच्छू आयेगा और हम अहिंसक रहेंगे तो वे जरूर काटेंगे। सत्य और अहिंसा हमेशा अच्छे लोगों के लिये, अच्छे मुल्कों के लिये, अच्छे पड़ोसियों के लिये होते हैं। यह भी होता है कि कभी कभी सत्य और अहिंसा अपने अनुकूल नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं और हमारे प्रधान मंत्री जी भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज के जमाने में अगर छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई का एलान कर दिया जाये तो बिना बुलाये अपने देश के ऊपर आपत्ति आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई ऐसा मौका आता है तो कुछ न कुछ तो थोड़ा सा ही सही, बल-प्रदर्शन जरूर होना चाहिये।

चौथी चीज मैंने विष्णु के पद्म के बारे में बताई थी और वह पद्म लक्ष्मी है। देश के अन्दर लक्ष्मी न हो तो देश कहां जाएगा ? वह बिक सकता है, किसी के आगे झुक सकता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसकी उपेक्षा भी नहीं की। इस चीज को हमेशा ही उन्होंने अच्छी तरह से देखा है। पहली चीज खुराक की है। आज़ाद होने के बाद इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं और खाद, अच्छे बीज, बैल इत्यादि की तरफ काफी ध्यान दिया गया है लेकिन बद-किस्मती की जो थोड़ी सी बात है वह यह है कि जहां पर हमारे राष्ट्र के नेता इस तरफ सोचते हैं वहां पर जो देश की बढ़ती हुई आबादी है उसकी तरफ भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। हर साल हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और फैमिली प्लानिंग पर समय समय पर विचार भी होता है और यह सोचा जाता है कि अगर इसी तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाए तो देश को कितना खतरा पैदा हो सकता है। खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये जहां परमात्मा की तरफ से नाना प्रकार की विपत्तियां जैसे बाढ़ इत्यादि आती रही हैं वहां पर मुल्क भी अपने प्रयत्नों में कभी पीछे नहीं रहा।

अभी जर्मान के संबंध में कानून बनाने की बात चल रही है। अनाज के प्रशासकीय व्यापार का जिक्र किया गया है। इस तरह की बहुत सी बातें चल रही हैं जिनसे खुराक का मसला हल हो जायेगा। लेकिन एक बात जरूर है और माननीय प्रधान मंत्री इस बात को मानेंगे कि जो व्यापारी गेहूं को दस रुपये मन के हिसाब से बेचता है वह हमेशा इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि मुल्क पर कब विपत्ति आए, कब संकट आए और कब उसका गेहूं तीस रुपया मन बिके। जो लोग काश्मीर पर हमला करने वालों के लिये यह कहते हैं कि उनका सामना गोली से किया जाये या जो देश की तरफ टेढ़ी आंख से देखता है उसकी आंख फोड़ देनी चाहिये, वहां इन समाज के गद्दारों के बारे में कोई नीति नहीं बनी है। इनके लिये कौन सी गोली तैयार की गई है। हमारी सरकार हर एक बात को बड़ी शांति के साथ सोचती है लेकिन कभी कभी उसकी शांति की इस नीति को गलत समझ लिया जाता है और इसको नपुंसकता की निशानी मान लिया जाता

है। लोगों में यह धारणा बनती चली जाती है कि जो मर्जी है करते चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका नतीजा यह है कि अनाज न मिलने के कारण लोग कभी कभी भूखों मरने लग जाते हैं। हां हमारे नेतागण निहायत ईमानदारी के साथ प्रयत्न कर रहे हैं और देश के निर्माण के कार्य भी हो रहे हैं।

आचार्य कृपलानी जी ने बहुत सी कुर्बानियां की हैं देश के लिये, इसलिये जब वह पिछली बार इलैकशन के लिये खड़े हुये थे तो कांग्रेस ने उनका मुकाबला नहीं किया।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : करने से डरते हैं।

श्री पद्म देव : उन्होंने कल अपने भाषण में कहा था कि यह रूलिंग पार्टी हमारा सहयोग कहां लेती है। मैं कहना चाहता हूं कि कई क्षेत्र हैं जो लोग सहयोग प्रदान कर सकते हैं जैसे कोआप्रेशन है, पंचायतें हैं या दूसरी ऐसी और चीजें हैं। मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट भी, कम्युनिस्ट भी,इन क्षेत्रों में रूलिंग पार्टी के साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जब अनाज की कमी आती है तो ये सब हड़तालें करवाने लग जाते हैं, लोगों को भड़काने लग जाते हैं। आज जब हम चीनी का निर्यात करना चाहते हैं तो ये लोग किसानों को कहते हैं कि तुम हड़ताल कर दो और गन्ना मिलों को देना बन्द कर दो। जब हम कपड़ा बाहर भेजना चाहते हैं तो मजदूरों को हड़ताल करने के लिये भड़काना शुरू कर दिया जाता है। यही वक्त था जब कि उनको मदद करनी चाहिये थी। लेकिन असल बात यह है कि जो उसूल जो नियम सरकार सामने रखती है उनका हमेशा ही विरोध किया जाता है। कोआप्रेशन का एक ऐसा फील्ड है जिसमें सहयोग प्रदान किया जा सकता है, पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं, उनमें सहायता दी जा सकती है और अगर दी जाये तो कितने ही अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन आज होता यह है कि रोटी, रोज़ी कपड़ा इत्यादि के नारे लगाये जाते हैं और रोटी कमाने वालों को कहा जाता है तो तुम यह काम मत करो, कारखानों में काम करने वालों को कहा जाता है कि तुम कारखानों में मत जाओ और उत्पादकों से कहा जाता है कि तुम मिलों को गन्ना देना बन्द कर दो। यह ठीक नहीं है।

यहां पर बहुत से लोगों ने चीन, जापान, जर्मनी इत्यादि देशों का ज़िक्र किया है। वहां पर सब काम अच्छी तरह से चल रहा है। वहां पर इस बात का झगड़ा नहीं होता कि मजदूर आठ घंटे काम करें या सात घंटे या छः घंटे। वहां पर तो सवाल यह होता है कि काम होना चाहिये, मुल्क के अन्दर ज्यादा से ज्यादा उपज होनी चाहिये। लेकिन यहां पर तो कानूनी गवर्नमेंट है, उसने ऐसे लोगों के लिये कोई कानून नहीं बनाया है जो इस तरह से लोगों को बहकाते हैं, इस तरह से लोगों को भड़काते हैं ताकि उनको अनुशासन में रखा जाये। मैं समझता हूं कि अपने पिछले ग्यारह बरसों में दो चीज़ों में बड़ी तरक्की की है और इन दो चीज़ों का मैं पहले भी इसी पार्लियामेंट में ज़िक्र कर चुका हूं और वे हैं अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता। हम काम करना नहीं चाहते हैं, अनुशासन के अन्दर रहना नहीं चाहते हैं। स्कूलों और कालेजों के अन्दर हड़तालें, कारखानों के अन्दर हड़तालें, किसानों के अन्दर हड़तालें, इत्यादि होती रहती हैं और ऐसा लगता है कि यह सारा मुल्क हड़ताल-स्वरूप ही हमने बना दिया है।

जो समस्यायें हमारे सामने हैं, उनको हल करने के लिये सहयोग तो हर वक्त चाहिये लेकिन सहयोग के लिये लोग आगे नहीं आते हैं। आज निर्यात बढ़ाने और आयात को कम करने की आवश्यकता है। अगर जितनी भी योजनायें इस समय देश के अन्दर चल रही हैं वे पूरी हो जायें तो मुल्क का स्वरूप ही बदल जायेगा। आप अगर पिछले दस वर्षों की तरक्की को देखें और उसका जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि कितना निर्यात हमने बढ़ा दिया है और आयात

[श्री पद्म देव]

कितना कम कर दिया है। हम मुल्क को बराबर उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। लोहा, ताम्बा, तेल, पैट्रोलियम इत्यादि की खोज भी मुल्क के अन्दर चारों ओर हो रही है। बाहर से विशेषज्ञ भी बुलाये जाते हैं और उनकी इस काम में मदद ली जाती है ताकि इन चीजों की कमी को पूरा किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र में भी देश उन्नति कर रहा है। रसायनशाला भी अपने देश के अन्दर स्थापित की जा रही हैं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभि भाषण में कहा है कि टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट मद्रास में कायम हो चुकी है, युरेनियम धातु का कारखाना और इस किस्म की और चीजें मुल्क में बनाई जा रही हैं।

उन्होंने अपने अभिभाषण में तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो सिद्धान्त हमारे सामने रहेंगे वे ये रहेंगे कि राष्ट्र की आय को हम आगे बढ़ायेंगे और दूसरे देश का औद्योगीकरण शीघ्रता के साथ किया जायेगा। तीसरे लोगों में व्याप्त बेरोजगारी को कम किया जायेगा और चौथे आर्थिक विषमता को कम करने की कोशिश की जाये। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उन सभी चीज़ों का ज़िक्र किया है जिनकी मौलिक रूप से देश को ज़रूरत है और सूत्र-रूप से उनको बयान किया है। जैसे मैंने कहा ७० विषयों पर २५३ संशोधन अगर इन सारी चीज़ों का समावेश इसमें हो जाता तो कई महीने तो इसको बनाने में लग जाते और फिर उसके बाद इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम नहीं कितना समय पढ़ने में लगता। उसके ऊपर अगर हम नये संशोधन लायेंगे तो फिर तो इस सिलसिले का कहीं अन्त नहीं होता। इसलिये देश के सामने जो मौलिक सिद्धान्त हैं उन्हीं को राष्ट्रपति महोदय ने रखा। उन्हीं की तरफ संकेत किया। हमारे सामने पूर्ण रूप से देश की स्थिति और उन्नति को रखा। इसलिये मैं राष्ट्रपति जी का बहुत आभारी हूं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : राष्ट्रपति का भाषण बड़ा व्यापक है, उसमें देश की विभिन्न प्रकार की सभी समस्याओं का उल्लेख है। थोड़े से समय में सारी बातों की चर्चा करना सम्भव नहीं। मैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करूंगा। राष्ट्रीय सहयोग का उल्लेख करते हुये राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि योजना एक राष्ट्रीय उपक्रम है, इसमें सारे राष्ट्र का सहयोग और सभी लोगों का, सभी स्तरों पर सहयोग अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में मैं आचार्य कृपलानी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कर दी है। यदि कांग्रेस दल सहयोग लेना चाहे तो हम तैयार हैं परन्तु यदि ये लोग अपने से अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल किसी और को नहीं समझते तो ठीक है ये चलते चलें हमें कोई आपत्ति नहीं। इस सम्बन्ध में मैं चीन का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां ७०००लाख लोगों की जनसंख्या है और वहां के कम्यूनिस्ट दल के पास ७०० लाख प्रशिक्षित व्यक्ति हैं परन्तु फिर भी वहां संयुक्त सरकार काम कर रही है। इसलिये यह बात गलत है कि लोकतंत्र का अर्थ यही है कि दल का प्रभुत्व होना ही चाहिये। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं में हमें दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर काम करना होता है यही लोकतंत्र का यही अर्थ होता है।

आचार्य कृपलानी ने ठीक ही कहा है कि सहयोग केवल परामर्श लेने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये कार्यपालन के स्तर तक भी सहयोग चलता रहना चाहिये। उदाहरण के तौर पर सर्वदलीय खाद्य समिति का निर्माण किया गया। कई एक सर्वसम्मत सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया परन्तु जब क्रियात्मक बात का समय आया तो कुछ नहीं। हो सकता है कि इस प्रकार आप

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने लाभ के लिये कुछ विरोधी दलों के लोगों को फंसा लें परन्तु राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का लक्ष्य इससे पूरा नहीं हो सकेगा ।

अब मैं कृषि की ओर आता हूं । यह निराशा की बात है कि राष्ट्रपति के विचार में कृषि उत्पादन की प्रगति की पक्की नींव तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में ही डाली जा सकेगी । प्रथम योजना में भी कृषि पर जोर दिया गया था और कुल राशि का १३ प्रतिशत इसके लिये निर्धारित किया गया था । दूसरी योजना में भी कुल का ११.८ प्रतिशत इस उद्देश्य के लिये सुरक्षित था । परन्तु अब अवस्था यह है कि हम वहीं हैं और १२०० करोड़ रुपये का अनाज हम बाहर से मंगवा चुके हैं । इस पर भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और अब तीसरी योजना की बातें आरम्भ कर दी गई हैं । क्या यह देश से गद्दारी नहीं है । उस पर यह है कि सहकारी कृषि का विवाद आरम्भ करके लोगों का ध्यान अपनी असफलताओं की ओर से हटाने का प्रयत्न किया जाता है । आज जो स्थिति है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं । आज तो प्रश्न यह है कि प्रति एकड़ उत्पादन कैसे बढ़ाया जाये । अतः भूमि सुधार की योजना के लिये भी हमें कृषि सहकारिताओं पर विचार करना होगा । इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि गत दस वर्षों में सहकारिता के सम्बन्ध में हमने शोर काफी किया परन्तु इस दिशा में क्रियात्मक कार्य बहुत ही कम हुआ है । प्रधान मंत्री अथवा खाद्य मंत्री अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में इस दिशा में प्रयोग करके इसका परिणाम देख सकते थे । परन्तु हम तो अधिकतर बातें ही करते रहे हैं ।

चीन में यद्यपि कम्यूनिस्ट सरकार है, परन्तु उन्हें भी सहकारी खेती का वातावरण स्थापित करने के लिये आठ वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी । और इस दिशा में शनैः शनैः पग बढ़ा आज की प्रगतिशील अवस्था में पहुंच गया । अतः इस समय सहकारिता के मामले पर विवाद खड़ा करना ठीक इसके लिये हमें शनैः शनैः किसानों में जनमत पैदा करना चाहिये । सरकारी दबाव से इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी । हमें शान्ति से कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी । इस समय तो हमें प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की बात करनी चाहिये । जापान में प्रति एकड़ ३७५० पौंड चावल होता है, चीन में २,३८७ पौंड और अमरीका में ३,००० पौंड है । भारत में यह केवल ७०० पौंड है । यह गल्त है कि सहकारिता के जादू से एकदम उत्पादन बढ़ जायेगा ।

सहकारिता के बिना भी हम उत्पादन बढ़ा सकते थे, परन्तु हमने कुछ नहीं किया और उपलब्ध क्षमता का समुचित प्रयोग न कर पाये । अतः हम अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे रह गये । कृषि पर देश का बहुत कुछ निर्भर है, अतः हम सरकार पर ज़ोर देंगे कि उसे यथार्थ दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करना चाहिये, अन्यथा हम भटक जायेंगे और फिर ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं कर सकेगा ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** इस वाद-विवाद के दौरान में खान विभाग के कार्य की ओर निर्देश किया गया है और उत्तर खुर्जा कोयला खान तथा चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटना के बारे में विशेषतया चर्चा की गई । पहली खान की दुर्घटनाओं के बारे में यह कहा गया कि चूंकि उसमें आठ आदमी ही मारे गये थे इसलिये मैंन उसकी जांच नहीं कराई । ऐसा कहना ठीक नहीं है । जब दुर्घटना हुई मैं आसनसोल में था और दुर्घटना झरिया में हुई जो वहां से १०० मील दूर है । ज्यूंही खान दुर्घटना का मुझे पता लगा, मैं वहां गया और कार्मिक संघ और खान विभाग के पदाधिकारी भी मेरे साथ थे । एच० एम० एस० संघ के प्रतिनिधियों समेत, सभी व्यक्तियों की यह राय थी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

कि यह केवल एक दुर्घटना थी और इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मेरे सम्बन्ध में कही गई बातें निराधार हैं ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

चिनाकुरी खान दुर्घटना के जांच न्यायालय के अध्यक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे । सभा के सदस्य श्री सामन्त तथा एक अनुभवी टेकनीशियन, श्री वितेकर परामर्शक थे । दोनों परामर्शकों का खान अथवा खान विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था । जांच न्यायालय के समक्ष जिस किसी पक्ष ने जो भी जानकारी रखनी चाही, वह सभी रखी गई । उसमें आई० एन० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० तथा अन्य कार्मिक संघों के प्रतिनिधि थे । जो बातें अब यहां पर कही गई हैं और जो आरोप यहां पर लगायें गये हैं, वे भी जांच समिति के समक्ष रखे गये थे और समिति में सभी ने एकमत हो कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । किसी ने यह बताया कि २१६ का पता नहीं चल पा रहा है और किसी ने कहा कि ३०० व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि समिति ने इन सभी बातों पर विचार किया था और निर्णय किया था कि १७६ व्यक्ति मारे गये और उनके शवों को पहचान लिया गया । मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों का पता लगाया गया और उनको प्रतिकर दे दिया गया है । हमारे आंकड़ों तथा अन्य संघों के आंकड़ों में १२४ व्यक्तियों का अन्तर है । यदि १२४ व्यक्ति और मरे होते तो उनके रिश्तेदार हमारे पास अवश्य आते । मैं तो यही समझता हूं कि संभवतया वह उन माननीय सदस्यों के पास अवश्य आये होंगे जो यह बातें बता रहे हैं । इन १२४ व्यक्तियों के रिश्तेदार खान विभाग, औद्योगिक सम्बन्धी व्यवस्था किसी के पास नहीं गये । जो माननीय सदस्य ऐसे ग़लत सल्त वक्तव्य देते हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि उनके रिश्तेदारों को हमारे सामने लायें, जो हमें यह बतायें कि मेरा यह रिश्तेदार उस दिन उस खान में काम कर रहा था और उसका आज तक पता नहीं है। हम उनकी अवश्य सहायता करेंगे । यह कहना निराधार है कि जांच समिति का प्रतिवेदन ठीक नहीं है । इसलिये मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अब इस प्रकार के आरोप नहीं लगायेंगे । प्रतिवेदन में बताये गये १७६ व्यक्तियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति मरे हैं तो उनके रिश्तेदारों को हमारे पास वह भेजे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : गोरखपुर श्रम संगठन है ।

†**श्री आबिद अली :** गोरखपुर श्रम संगठन द्वारा भरती किये गये मजदूरों को भी प्रतिकर दे दिया गया है ।

[**श्री जयपाल सिंह** पीठासीन हुए]

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या वह प्लान इस समिति के समक्ष रखा गया था जिसमें खोये गये व्यक्तियों की संख्या २१६ बताई गई थी ?

†**श्री आबिद अली :** मैंने बताया कि संघ ने एक प्लान समिति के पास भेजा था जिसमें कहा गया था कि २१६ लोगों का पता नहीं लग पा रहा है । परन्तु जो जांच-न्यायालय कलकत्ता उच्च-न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधीन नियुक्त किया गया था, उसने बताया है कि १७६ व्यक्ति मरे हैं, जिनके रिश्तेदारों को प्रतिकर दे दिया गया है। यदि कोई और व्यक्ति मारे गये होते तो उनके रिश्तेदारों का पता तो लगता । अतः मेरा यही कहना है कि गलत बातें यहां पर नहीं कही जानी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शवों के सम्बन्ध में तथ्य प्रश्न काल में बताये जा चुके हैं। इन शवों का अन्तिम संस्कार खान विभाग अथवा श्रम मंत्रालय ने नहीं किया, अपितु पश्चिमी बंगाल पुलिस नियमों के अनुसार किया गया। हमें उनके प्रतिवेदन मिले हैं और हमें बताया गया है कि 'श्मशान' आदि के उल्लेख के बारे में आपत्ति उठायी गई है। मेरा वक्तव्य उन्हीं प्रतिवेदनों पर आधारित था।

खान मुख्य निरीक्षक श्री ग्रेवाल के बारे में बहुत सी बातें कही गईं। यह सच है कि खान विभाग में उनके कुछ रिश्तेदार हैं। परन्तु उनको नियुक्त करने के लिये उन्होंने सरकार से अनुमति ले ली थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि किसी क्षेत्र में किसी पदाधिकारी के होने से उस क्षेत्र में उसका कोई रिश्तेदार नियुक्त नहीं हो सकता। परन्तु फिर भी यदि हमें बताया जायेगा कि खान विभाग में श्री ग्रेवाल का कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना की गई है तो हम उसकी अवश्य जांच करेंगे। किसी भी प्रकार का पक्षपात किसी के लिये नहीं किया जायेगा।

रक्षा दल के बारे में भी कुछ बातें कही गईं। दिल्ली के फायर ब्रिगेड के समान ही खनिज क्षेत्रों में रक्षा दल होते हैं। चिनाकुरी दुर्घटना का उसे ज्यूं ही पता लगा वह खान में उतर गये। उनके पास गैस से बचने के यंत्र आदि सभी थे। जब उसने देखा कि वहां आग लगी हुई है तो जहां तक वह जा सकते थे वहां तक वह गये। आग के अन्दर तो वह जा नहीं सकते थे परन्तु जब और व्यक्तियों को बचाना उनके लिये असंभव हो गया, तब वह बाहर आ गये। उनके बाहर आते ही, आग भी बाहर तक आने लगी। इसके पश्चात् खान को सील कर दिया गया और वहां पानी पूरी तरह से भर गया। माननीय महिला सदस्य ने बताया कि मुख्य निरीक्षक खान के अन्दर नहीं गये। जब अन्दर आग थी और लपटें बाहर तक आ रही थीं तब कोई भी खान में किस प्रकार उतर सकता था। बचाने वाला दल जितना उसके अन्दर जा सकता था, अन्दर गया।

दुर्घटनाओं को कम करने और उनकी गम्भीरता को कम करने के लिये खान विभाग सभी संभव उपाय कर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि दुर्घटनायें बन्द हो जानी चाहियें, लेकिन जब तक खानें रहेंगी, दुर्घटनायें भी रहेंगी ही। केवल इनकी गहनता तथा संख्या में कमी की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जांच समिति, जिसके प्रधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुहा राय थे, के प्रतिवेदन को पुनः पढ़ेंगे। प्रतिवेदन सर्वसम्मति से दिया गया था। यदि जांच न्यायालय के सामने आई जानकारी के अतिरिक्त अन्य किसी बात का माननीय सदस्यों को पता लगे, जिसकी जांच अवश्य हो, तो हम उसकी जांच करने को तैयार हैं। परन्तु जो बातें जांच न्यायालय के सामने आ चुकी हैं और जिन पर निर्णय हो चुका है उनको दोहराना हम ठीक नहीं समझते।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): सब से पहले मैं अनन्तपुर ज़िले में खाद्यान्न तथा पशुओं के चारे की कमी के बारे में कुछ बताऊंगा। इस प्रश्न पर संसद् में आधे घंटे की चर्चा की जा चुकी है और इस कमी का कारण यही है कि तुंगभद्रा नहर को बनाना समय पर आरम्भ नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

केरल के चावल तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में तभी कमी की जा सकती है जब सरकार के पास इनका पर्याप्त भंडार हो और उचित मूल्य की अधिक दुकानें खोली जा सकें। आज हमारे केरल राज्य में १४० लाख आदमियों की आबादी है जिनके लिये १२ अथवा १६ औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से १४ लाख टन चावल चाहिये। परन्तु उत्पादन केवल ७ लाख टन है। इस प्रकार ७

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

लाख टन की कमी रह जाती है । इसमें से ४ लाख टन तंजौर तथा आंध्र से पूरा हो पाता है और ३ लाख टन की कमी रह ही जाती है । सरकार को इस कमी को पूरा करना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि केरल राज्य सरकार की सहायता करे क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्य पर उनको खाद्यान्न नहीं मिल पाते हैं, जब कि बाजार में चोर बाज़ारी से अधिक मूल्यों पर खाद्यान्न मिल जाते हैं ।

संसद् में एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय सरकार ने बताया था कि आन्ध्र में ६ लाख टन अधिक चावल है । परन्तु आन्ध्र सरकार ने बताया है कि उनके पास ६ लाख टन अधिक चावल है । अब हमें मालूम नहीं कि कौन ठीक है । यदि आन्ध्र सरकार की बात ठीक मानी जाये तो ६ लाख टन अधिक है जिसमें से ४ लाख टन केन्द्रीय सरकार वसूल कर लेगी और २ लाख टन का आधिक्य रह जायेगा । बस सब से मेरा यही कहना है कि सरकार ऐसा प्रयत्न करे जिससे केरल को कम से कम ३ लाख टन अथवा २$^1/_2$ लाख टन खाद्यान्न मिलना चाहिये । ऐसा नहीं कि आन्ध्र सरकार कह दे कि उनके पास २ लाख टन से अधिक चावल नहीं है ।

अब मैं उद्योगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं । उद्योगों के सम्बन्ध में भी समस्त दक्षिण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । इस समय मैं केवल अपने राज्य के उद्योगों के बारे में बताता हूं । मेरे राज्य में कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको राज्य सरकार सहायता देती है क्योंकि यदि ये उद्योग बन्द कर दिये जायें तो इनसे बनी वस्तुओं का हमें आयात करना होगा । परन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग सभी का यह कहना है कि वह उद्योग योजना के अधीन नहीं आते हैं इसलिये उन्हें सहायता नहीं दी जाये ।

रबड़ के लिये तीन लाइसेंस दिये गये थे इनमें से दो लाइसेंस बाहर वालों के पास हैं । केरल में ९० प्रतिशत रबड़ पैदा किया जाता है । एक लाइसेंस भी केरल में ऐसे आदमी को दिया गया जिसके पास उद्योग को चलाने के लिये काफी रुपया नहीं था ।

अगिया घास तेल के बारे में सभी जानते हैं कि इसका उत्पादन केरल में होता है । परन्तु फिर भी इसका कारखाना पूना में बनाया जा रहा है । बड़ी अजीब बात है कि केरल में कच्चा माल मिलता है और कारखाना केरल के बाहर बनाया जा रहा है । परिवहन के प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक था ।

जहाजन बनाने के यार्ड के सम्बन्ध में भी अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । ट्रावनकोर मिल्स क विस्तार और उसको लौह तथा अलौह धातुओं का कोटा देने का प्रश्न भी हमारे सामने है । मैं बताना चाहता हूँ कि केरल में ऐसे लोहारखाने हैं जो ऐसी मशीनों को बनाते हैं जिनका आयात किया जाता है । सरकार को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये ।

कार्य मंत्रणा समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खमम्म): मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव——(जारी)

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर): मैं राष्ट्रपति को अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने में श्री कासलीवाल और श्री जोकीम आल्वा का साथ देता हूं, परन्तु इस समय मैं सभा का ध्यान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल में ही मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पद यात्रा की थी और उसके दौरान में जो बुरी दशा मैंने देखी उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ और शर्म महसूस हुई। वहां पर बहुत से व्यक्ति भूखे मर रहे हैं, यदि उनको समय पर सहायता नहीं दी गई तो ।

१९५२ में २ अक्तूबर को हमारे प्रधान मंत्री ने दिल्ली जिले के निकट सामुदायिक परियोजना का उद्घाटन किया था। उस समय हमारा यह विचार था कि अब हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। परन्तु तब से अब तक सात वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और कहीं कुछ विशेष बात नजर नहीं आती है। यदि इन सामुदायिक परियोजनाओं के स्थानों को आप देखें तो पता लगेगा कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने का काम करने के बजाय वहां पर पदाधिकारियों के लिए नये नये बंगले बन गये हैं और खेत वैसे ही पड़े हैं जैसे पहले थे।

हाल में ही सहकारी समितियों के बारे में बहुत सी बातें कही गई इसमें सन्देह नहीं कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है और क्रान्तिकारी सुधार है परन्तु इस सुधार को करने के लिए क्रान्तिकारी उपाय ही करने पड़ेंगे। यदि हम वर्तमान सहकारी विभाग पर ही अवलम्बित रहेंगे तो इस सुधार को लागू करने में भी वही गड़बड़ी नजर आयेगी जो सामुदायिक परियोजना में आई थी। इस सहकारी सुधार को सफलता से लागू करने के लिए हमें एक आयोग नियुक्त करना चाहिए जो वर्तमान सहकारी विधि में संशोधनों का सुझाव दे। वह सुधार होने पर ही सहकारिता संबंधी सुधारों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकेगा ।

अब मैं समाचार पत्र उद्योग के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। एक समय था जब इस देश के समाचार पत्र एक लगन से काम करते थे और राष्ट्रीय संघर्ष में बराबर सहायता देते थे। परन्तु अब बात दूसरी है। आज पूर्वी तथा पश्चिमी योरुप के समाचार पत्र हमारे प्रधान मंत्री की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। परन्तु हमारे देश के समाचार पत्रों का रवैया बदल गया है। जब से हमारे प्रधान मंत्री ने कराची, लाहौर, अवाडी, हैदराबाद आदि में पारित किए गए संकल्पों को क्रियान्वित करने के लिये सख्त कदम उठाये हैं तभी से बड़े-बड़े पूंजीपति कुछ चिढ़ गये हैं और ये अपने समाचार पत्रों द्वारा प्रधान मंत्री की आलोचना करते हैं। एक और प्रकार के समाचार पत्र हैं जिनकी नीति होती है कोई जोरदार खबर छापने की, चाहे वह सच्ची हो अथवा झूठी। मैं समझता हूं कि इस सभा का यह कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार की बातों की भर्त्सना करे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिए हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि उस राज्य के कुछ क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाइयों को सैनिक शासन के अधीन पिसना पड़ रहा है। मैं चाहता था हमारे राष्ट्रपति उन्हें आश्वासन देते कि अब समय आ गया है जब वह स्वतंत्र हो जायेंगे।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): सर्व प्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आत्मतुष्टि की भावना का प्रदर्शन किया गया है। पर उसमें उस अविलम्बिता,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री खाडिलकर]

शक्ति और उत्साह को स्थान नहीं दिया गया है जिससे पता लगे कि सरकार अपनी नीतियों तथा योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। वैसे हम सभी मनुष्य हैं और गलती भी कर सकते हैं। अतः यदि अभिभाषण में इन बातों की आलोचना भी की गयी होती कि सरकार से क्या क्या गलतियां हो गई हैं और किन-किन परिस्थितियों में गलतियों से बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था तो यह अभिभाषण अधिक विश्लेषणयुक्त व समालोचनायुक्त होता ।

अब मैं श्री मसानी द्वारा कही गयी बातों को लेता हूँ। सहकारी कृषि की आलोचना उन्होंने जी भर कर की है और बहुत से कांग्रेसी सदस्य भी उनके भाषण की भूरि भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। सहकारी खेती की योजना नागपुर अधिवेशन के संकल्प के आधार पर ली गयी है। यह कोई नयी बात नहीं है। इसका आधार हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही निहित है। श्री मसानी वैसे तो बहुत बुद्धिमान व सुलझे हुये व्यक्ति हैं पर इस संबंध में उन्होंने अकारण ही कुछ पूर्वधारणा बना ली है। चीन, रूस, पोलैण्ड और यूगोस्लाविया के उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर चलने से हमारी हानि होगी। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे चाहते हैं कि हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था वैसी ही बनी रही उसमें कोई उन्नति न हो। यदि हम ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे तो हमारी योजनाओं के सफल होने की कोई भी आशा नहीं है।

पोलैण्ड और यूगोस्लाविया के संबंध में असफलता के क्या कारण थे इसका उल्लेख श्रीमती एनी मार्टिन ने अपनी पुस्तक एकनामिक्स एण्ड एग्रीकल्चर में किया है। भारत में सहकारी खेती की जो प्रस्थापना है वह हमारी पंचवर्षीय योजना के अधीन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि गांवों में कृषि की तीन प्रणाली हों--पारिवारिक कृषि, सहकारी संयुक्त कृषि तथा सामुदायिक कृषि। अतः यह कोई नयी बात नहीं है।

उत्पादन के संबंध में श्री मसानी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है; उसमें केवल आंकड़ों की कलाबाजी है जिसका कोई महत्व नहीं है। है। चीन के संबंध में मैं आपको आंकड़े देता हूं। १९५० और १९५५ के बीच वहां उत्पादन में .७१ प्रतिशत की वृद्धि हुई और अब वहां १.५२ प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। यदि इन आंकड़ों को देखा जाये तो श्री मसानी द्वारा दिये गये सारे तर्क व्यर्थ हो जाते हैं। इस संबंध में श्री रंगा ने जो रवैया अपनाया है उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। आचार्य कृपालानी ने राष्ट्रीय सरकार का सुझाव सामने रखा पर मैं उनकी बात नहीं समझ पाया हूँ।

मैसूर और बम्बई के बीच सीमा विवाद की बात भी उठाई गयी। वहां सत्याग्रह भी हो रहा है। कर बन्दी आन्दोलन भी संगठित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सभा को इस मामले पर अवश्य विचार करना चाहिए। सौभाग्य से हमारे प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को अधिकार देकर नियुक्त कर दे जो वहां जाकर स्थिति की जांच करे और अपना प्रतिवेदन दे। उसके बाद इस झगड़े को हल कर दिया जाये।

एक अन्य अवसर पर एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि बम्बई का मामला शान्तिपूर्ण ढंग से हल न किया गया तो बम्बई की सड़कों पर उसका निर्णय किया जायेगा। यह अशोभनीय बात है। श्री अणे ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं केवल यही कहूँगा,

"वृद्धास्तेन विचारणीय चरिता:" मैं उनकी बातों को कोई महत्व नहीं देता। विदर्भ राज्य की पृथक मांग करना—मेरी समझ में नहीं आता। यह मामला काफी समय से अनिश्चित अवस्था में पड़ा हुआ है। लोगों की शक्तियां विकास कार्यों में न लगकर इस संबंध में लग रही ह। जब यह संसद् देश की सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न संस्था है तो सरकार जनता को—चाहे वह बम्बई की हो या गुजरात की—क्यों आश्वासन नहीं देती कि समय आने पर हम इसका समुचित न्याय करेंगे। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किन लोगों के प्रभाव पड़ने से ऐसा निर्णय किया गया था और यह निर्णय ठीक था या नहीं। पर इस समय सरकार को चाहिए कि वह जनता को आश्वासन दे दे ताकि जनता की शक्ति का उपयोग अन्य उपयोगी विकास कार्यों में हो सक। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस समस्या का हल शीघ्र निकाला जाना चाहिए।

अन्त में, मैं सहयोग की बात कहना चाहता हूं। आप को सभी वर्गों तथा क्षेत्रों से सहयोग लेना चाहिए। मैं यह देख रहा हूँ कि हमारे यहां यह प्रवृत्ति है कि देश की अर्थ व्यवस्था का सारा नियंत्रण शासक दल क हाथों में है। फिर, आप अन्य लोगों के सहयोग की आशा कैस कर सकत हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री इस मामले में दिलचस्पी लें। और ग्राम्यस्तर से लेकर ऊंचे से ऊंचे स्तर तक की सभी योजनाओं, निश्चयों आदि के संबंध में सभी वर्गों के लोगों की सहायता व उनका सहयोग लिया जाये। इसी प्रकार चलने से हम सबका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

श्री मूल चन्द दुबे (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री कासलीवाल ने जो प्रस्ताव रखा है और जिसका अनुमोदन भी किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस बाद-विवाद में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जो कि नहीं कही जानी चाहिये थीं। कायदे को अगर हम देखें तो पता चलेगा उन बातों का यहां लाया जाना ठीक नहीं है। मैं आपकी तवज्जह आर्टिकल ८७ जिम्न २ की तरफ दिलाना चाहता हूं और साथ ही साथ रूल्स आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजिनेस की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि उन्हीं बातों पर बहस हो सकती है जो बातें कि प्रेजिडेंट साहब के एड्रेस में हैं और बातों पर, जिनका जिक्र एड्रेस में नहीं है, जिक्र नहीं आना चाहिये। बहरहाल आपने कुछ छूट दे दी जिसकी वजह से ये बातें यहां उठाई गई और इस तरह समय नष्ट हुआ और यह समय दूसरे कामों में लगाया जा सकता था।

जो जो बातें यहां कही गई हैं उन पर मैं थोड़ा-थोड़ा कहना चाहूंगा। पहली बात जो बार-बार आपके सामने आई है और लोक सभा के माननीय सदस्यों के सामने रखी गई है वह बम्बई, संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात के बारे में कही गई है। आज की भारत की स्थिति और दुनिया की स्थिति को अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि सबसे जरूरी बात जो है वह आपस में यूनिटी की और आपस में एके की है। गुजराती और महाराष्ट्री जो हजारों बरस से साथ-साथ रहते चले आ रहे हैं, आज मालूम ऐसा होता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को बरदाश्त नहीं कर सकता है, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकता है। अगर इस तरह की भावना चलती रही तो मैं समझता हूं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वे चल नहीं सकती हैं। जब पालियामेंट ने एक मसले को तय कर दिया तो उसको बार बार उठाना मुनासिब नहीं है। जब तक पालियामेंट ने तय नहीं किया था उस वक्त तक तो इस सवाल को उठाना मुनासिब था लेकिन जब पालियामेंट ने एक बात एक दफा तय कर दी तब डेमोक्रेटिक उसूल का यह तकाजा है कि उस बात को मान लिया जाए।

[श्री मूलचन्द दुबे]

सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कदम आजकल के जमाने में उठाया जाए, उसको उठाने से पहले यह सोच लिया जाए कि आया वह कदम उठाना मुनासिब है या नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे गुजराती हों, चाहे महाराष्ट्री हों, चाहे पंजाबी हों और चाहे मद्रासी हों, सभी को हमेशा यह सोच लेना चाहिये उनका जो कदम है वह देश की एकता को कायम रखने में सहायक सिद्ध होगा या नहीं और अगर नहीं होगा तो उस कदम को नहीं उठाना चाहिये । हमको सोच लेना चाहिये कि क्या हम देश की एकता कायम रखना चाहते हैं या देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, आया वह कदम एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करेगा या एक इंसान को दूसरे इंसान के नजदीक लाने में सहायक होगा। जो कदम एक इंसान को दूसरे से मिलाता हो वह कदम तो उठाया जाना चाहिये लेकिन जो एक को दूसरे से दूर ले जाता हो उसको उठाना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात हमेशा हर एक इंसान को, हर एक मैम्बर साहब को और हर एक भारतवासी को अपने सामने रखनी चाहिये। मैं मद्रासियों से, महाराष्ट्रियों से, पंजाबियों से, गुजरातियों से प्रार्थना करता हूं कि जो काम वे करें, उसको करने से पहले सोच लें कि आया उससे इंसान इंसान के नजदीक आता है या इंसान इंसान से अलग होता है। अगर इन्सान से इंसान अलग होता है किसी काम से तो वह काम देश के हित में नहीं है और किसी भी तरह से न उस काम को उठाना चाहिये और न करना चाहिये । जहां तक बम्बई, गुजरात और महाराष्ट्र का सवाल है, उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है।

दूसरा मसला, जिसके बारे में इस सभा में बहुत ज्यादा बहस हुई वह खुराक का मसला है। उसके बारे में भी बहुत सी बातें कही गईं। गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि गवर्नमेंट ने खाद्य पदार्थ का पूरी तौर पर पहुंचाने का इन्तजाम नहीं किया। उनकी कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये तो अपोजीशन पार्टीज़ ही जिम्मेदार हैं। उनकी कीमतों के बढ़ने में गवर्नमेंट का कोई भी कुसूर नहीं है। उसमें सारा कुसूर या तो कुदरत का है या फिर अपोजीशन पार्टीज़ का है। इस सम्बन्ध में जो भी आंकड़े दिये गये हैं जरा उन पर ध्यान दिया जाय। सन् १९५२-५३ में हमारे सामने जो आंकड़े थे उनसे मालूम होता है कि उस समय ५३ मिलियन टन गल्ला था। कंट्रोल हटने के बाद ५३ मिलियन टन गल्ला हिन्दुस्तान भर के खाने के लिये दिया गया। उस समय कीमतें नहीं बढ़ीं और किसी किस्म की दिक्कत पैदा नहीं हुई। उसके अगले साल ६८ मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ और उसके भी अगले साल ६३ मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ। अगर ५३ मिलियन टन गल्ला देश भर के खाने के लिये काफी हो सकता था तो कोई वजह नहीं है कि ६३ मिलियन टन गल्ला देश के खिलाने के लिये काफी न हो। यह कहना कि गल्ले की कमी थी उस वक्त, यह मैं समझता हूं कि गलत बात है । यह बात जरूर हो सकती है कि बाज-बाज प्रदेशों में कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पानी ज्यादा बरस गया और उसकी वजह से फसल का नुक्सान हुआ। लेकिन जहां पर नुक्सान हुआ वहां अपोजीशन पार्टीज ने बैलट बाक्स की तरफ नजर रखकर, चुनाव का ख्याल करके, यह कहना शुरू कर दिया कि खाने की कमी है। बावजूद गवर्नमेंट के इस कहने के हम सब को अच्छी तरह से खिला सकते हैं, वह एजिटेशन कायम रहा। कहीं पर हड़तालें हुईं, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। अब जो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कीमतें क्यों बढ़ीं, तो उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि आप याद रक्खें कि जब हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग की पार्लियामेंट से मंजूरी ली थी, तो उस वक्त किसी ने भी उस पर एतराज नहीं किया कि यह क्यों किया जा रहा है । जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है और फसल खराब होती है तो कीमतों का बढ़ना लाज़िमी है।

अगर यह बात वातावरण में फैला दी जाय, यह जाहिर किया जाय कि खाने की कमी है या किसी दूसरी चीज की कमी है तो जिस चीज की कमी कही जायेगी उसी चीज की कीमत बढ़ती जायेगी। यहां पर यह भी याद रखने की जरुरत है कि जहां पर गल्ले या गेहूं और चावल की कीमत इतनी बढ़ी है वहां दूसरी चीजों की कीमत नहीं बढ़ी है। यह केवल इस वजह से कि उन चीजों की कमी के बारे में कोई आन्दोलन नहीं हुआ, किसी ने यह नहीं कहा कि उन चीजों की कमी है जब कि गेहूं और चावल के बारे बहुत ज्यादा शोर मचाया गया। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों के पास गल्ला था, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, चाहे किसान के पास हो, चाहे रोजगारी के पास हो, सबने उसे रोक रक्खा और उसकी वजह से कीमतें बढ़ीं। तो इस तरह से कीमतों के बढ़ने की जिम्मेदारी जैसा मैंने शुरू में ही अर्ज किया अपोजीशन पार्टीज पर ही है दूसरों पर नहीं। गवर्नमेंट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालना गलत बात है और यह एजिटेशन बेकार पैदा हो रहा है। यह तो रही खुराक की बात।

दूसरी बात जो मैं थोड़े समय में कहना चाहता था वह को-आपरेटिव फार्मिंग के बारे में है। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान की आबादी ५० लाख सालाना के हिसाब से बढ़ रही है और ३०, ४० या ५० सालों में एक जमाना ऐसा आ सकता है कि अगर आबादी इसी तरह से बढ़ती रही तो हमारे लोगों के लिये खाना काफी नहीं होगा। जो भी लोग उस वक्त मौजूद होंगे उनको इसकी काफी तकलीफ होगी। इस समय जो पैदावार हमारे देश में हो रही है वह ऐसा मालूम होता है कि और देशों के मुकाबले बहुत कम हो रही है और मैं समझता हूं कि उसको बढ़ाने की तरकीब की जानी चाहिये। हमारे यहां होल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी हैं। पांच, पांच या छः छः एकड़ की होल्डिंग्स बतलाई जाती हैं। अगर यह सही है तब तो यह मानना पड़ेगा कि जो काश्तकार है, जिसके पास इतनी छोटी होल्डिंग है, वह न तो उसमें ज्यादा लागत ही लगा सकता है और न मार्डन तरीके के ऐग्रिकल्चर को ही अपना सकता है। नतीजा यह होता है कि जो अच्छी पैदावार करने का तरीका हो सकता है वह उसको नहीं अपना सकता है किसी भी तरह से। और जब तक वह मार्डन तरीका नहीं अपना सकता तब तक पैदावार की एकड़ नहीं बढ़ा सकता है। फिगर्स यह बतलाते हैं कि यहां पर आज एक एकड़ में ५५ मन तक गेहूं पैदा हो सकता अगर नये तरीके इस्तेमाल किये जायें। अगर इतनी पैदावार हो सकती है तो कोई वजह नहीं है कि ४०, ५० या ६० साल बाद भारतवर्ष में हम लोगों के लिये अन्न की कमी रहे। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सकती है उसको किया जाय। अब सवाल यह आ जाता है कि अगर इंडिविजुअल नये तरीके को इस्तेमाल करना चाहे जिसके पास पांच या छः एकड़ जमीन है तो वह इस को नहीं कर सकता है। अब दूसरा तरीका क्या रह जाता है। सिवा को-आपरेटिव फार्मिंग के कोई दूसरा तरीका नहीं है। को-आपरेटिव फार्मिंग के बारे में अक्सर एतराज किये जाते हैं और कहा जाता है कि यहां पर यह चीज काम नहीं करेगी। मिसालें दी जाती हैं पोलैंड की ओर यूगोस्लाविया की और आस्ट्रेलिया के पास के कुछ हिस्सों की कि वहां पर यह कामयाब नहीं हुई। यह मिसालें जरूर सही हैं, लेकिन इन मिसालों के होते हुए भी हमारे सामने कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम लोग पैदावार को बढ़ा सकें। जिस वक्त से काश्तकार को यह मालूम होगा कि जहां पर वह आज एक बीघा में एक या दो मन अनाज पैदा करता है वहां उसको ५५ मन फी एकड़ मिल सकता है, उस वक्त से मेरी समझ में नहीं आता कि काश्तकार इतना बेवकूफ होगा कि वह को-आपरेटिव फार्मिंग पर अमल न करे। वह जरूर इस चीज को करेगा बशर्ते उसको मालूम हो जाय कि उसकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी और उसका फायदा उसको मिलेगा। यहां पर बड़े-बड़े आदमियों ने यह बात कही है कि शायद यहां पर को-आपरेटिव फार्मिंग नहीं चल सकेगी।

[श्री मुलचन्द दुबे]

इतना सब होते हुए भी यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट न किया जाय। काश्तकार बेवकूफ या पागल नहीं हैं कि उसको फायदा नजर आये फिर भी वह को-आपरेटिव फार्मिंग में शरीक न हो।

इसी सिलसिले में यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट की गलती है और खाने की कमी है तो फूड मिनिस्टर साहब इस्तीफा दें। यह सब वाहियात बातें हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। मैं आखीर में फिर अर्ज करता हूं कि अगर गल्ले की कीमत बढ़ी है तो इसकी अपोजीशन पार्टीज के सिवा कोई और जिम्मेदार नहीं है।

†**श्री गुलाम मोहीदीन** (डिंडीगल): स्वतंत्रता प्राप्ति के ब द आज ग्यारह वर्ष व्यतीत हो गये। पर गरीबों की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। हमने बहुत से कर लगा रखे हैं पर क्या धनी लोग और पूंजीपति करों की अदायगी कर रहे हैं? नहीं। वे करों का अपवंचन अनेक उपायों से कर रहे हैं जिसका परिणाम यह है कि गरीब लोग अधिक गरीब और धनी लोग अधिक धनी होते जा रहे हैं। अतः हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि करों का अपवंचन रोका जा सके।

भूमि की अधिकतम सीमा की चर्चा सब तरफ हो रही है। समाज के समाजवादी ढांचे का समर्थक होने के नाते मैं अधिकतम सीमा का समर्थक हूँ। पर केवल भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा। मेरा सुझाव है कि अन्य बातों के संबंध में भी अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा।

हम लोग बड़ी-बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं पर स्थानीय लोगों को कुछ भी पता नहीं लगता। वे तो असंतुष्ट हैं। वे कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है उदाहरण के लिए डिंडीगल में रेल की बहुत आवश्यकता है पर उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार मदुरै जिले की कलार योजना की भी उपेक्षा की जा रही है। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं को पूरा किया जाना आवश्यक है ताकि जनता को संतोष हो कि हमारे क्षेत्र में भी कुछ किया जा रहा है। तूतीकोरिन तथा सेतुसमुद्रम के विकास की योजनायें भी विचाराधीन हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

भाषा संबंधी निर्णय के संबंध में मेरा निवेदन है कि सरकार की नीति निश्चित नहीं है। हमें अंग्रेजी को हटाना है और इसके स्थान पर किसी भारतीय भाषा को रखना है। स्थानीय योजनाओं के संबंध में हम जो राजकीय सहायता देते हैं उसमें बहुत फिज़ूलखर्ची होती है और योजनायें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि जनता का उससे कोई सहयोग नहीं होता। अतः हमें ध्यान देना चाहिए कि सरकारी अनुदान में फिजूलखर्ची न होने पाये। मद्यनिषेध के संबंध में, यह एक अजीब बात है कि दिल्ली में शराब पीने की अनुमति है पर मद्रास में इस पर प्रतिबन्ध है। क्या यह ठीक है। हम महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हैं पर उनके सिद्धान्त पर नहीं चलते। पूर्ण मद्यनिषेध के बाद ही सामान्य जनता को लाभ होगा।

डिंडीगल में चमड़े का कारबार बहुत होता है। मुझे खेद है कि चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मैं अपील करता हूं कि चमड़े के निर्यात के संबंध में कुछ प्रबंध

†मूल अंग्रेजी में

किया जाये ताकि हम विदेशी मुद्रा का अर्जन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। साथ ही हम सरकारी कर्मचारियों की नैतिकता को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर हैं।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनों में भी बड़ी असमानता है। मद्रास राज्य का एक पदाधिकारी भी यहां के एक चपरासी से कम वेतन पाता है। अतः राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए केन्द्र को चाहिए कि वह राज्यों को अधिक आर्थिक सहायता दे। तभी यह असमानता दूर हो सकती है।

श्री जगदीश अवस्थी (विल्हौर): अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा करके सदन के विभिन्न ग्रुपों के सदस्यों को बुलाया लेकिन यह कृपा उनकी सोशलिस्ट ग्रुप पर नहीं हुई। आपने सदन के बाहर एक स्थान पर यह भी कहा था कि सदन में जो माननीय सदस्य हिन्दी भाषा में बोलना चाहेंगे उनको मैं बोलने के लिए अधिक समय और अवसर दूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां आप अन्य ग्रुपों के सदस्यों को बोलने का मौका दे रहे हैं वहां आप सोशलिस्ट ग्रुप से भी एक सदस्य बुलायें।

अध्यक्ष महोदय: सोशलिस्ट प्रोग्राम मैं सदा पसन्द करता हूं लेकिन मैंने पहले ही उस ग्रुप के श्री ब्रजराज सिंह को मौका दे दया है। उस ग्रुप में कुल ८ ही तो मेम्बरान हैं।

श्री जगदीश अवस्थी: दस हैं श्रीमान्। आपका निर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैं लाचार हूं टाईम नहीं है, मैं क्या करूं।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच–बिहार): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जगदीश अवस्थी: मैं समझता हूं कि ....

†**अध्यक्ष महोदय**: उनके दल के एक व्यक्ति को—श्री ब्रजराज सिंह को—मैं पहले अवसर दे चुका हूँ। क्या वे चाहते हैं कि उनके दल को सर्वाधिक महत्व दिया जाये। यहां कांग्रेस दल के ३७५ सदस्य हैं और कुछ लोगों को तो संसद के आरंभ से अब तक भी बोलने का अवसर नहीं मिला है। मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(इसके पश्चात् श्री जगदीश अवस्थी सदन से बाहर चले गये)

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) उठे।

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): मैंने अपने संशोधनों पर बोलने के लिए अनुमति मांगी है। हमारे दल में से सिर्फ श्री ब्रजराज सिंह बोले हैं। अन्य दलों के दो–दो या तीन–तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति आपने दी है। आपको किसी दल के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं किसी माननीय सदस्य की आज्ञानुसार काम करने को तैयार नहीं हूँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ले० अचौ सिंह** : समय भी बढ़ा दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : तो मैं भी इसके विरोध में बाहर जाता हूँ।

(इसके पश्चात् श्री ले० अचौ सिंह सदन से बाहर चले गये)

†**अध्यक्ष महोदय** : विरोधी दल के सदस्यों को मैंने ४० प्रतिशत समय दिया है। विरोधी दल के छोटे-बड़े सभी समूहों को समय देने के लिए मैं प्रयत्न करता आया हूँ। जिन्हें अवसर नहीं मिला है, उन्हें भविष्य में अवसर दिया जायेगा। संसदीय लोकतंत्र में सरकार तथा विरोधी दल के बीच संघर्ष चलता ही है पर अध्यक्ष से किसी भी दल को लड़ना नहीं चाहिए। भविष्य में यदि माननीय सदस्य ऐसा आचरण करेंगे तो उन्हें दण्ड के रूप में मैं कभी भी अवसर नहीं दूंगा। माननीय सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय का विरोध नहीं कर सकते। वे आदेश नहीं दे सकते; वे निवेदन कर सकते हैं। मैं पक्षपात नहीं करता। मैं सभी समूहों को बोलने का अवसर दे रहा हूँ।

†**श्री न० रं० घोष** : राष्ट्रपति के अभिभाषण की जो कुछ आलोचना की गयी है, उसे ध्यान में रखते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण लोकतंत्र तथा समाजवादी ढांचे के आधार पर देश की उन्नति करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति का चित्र उपस्थित करता है। हमारी समाजवादी ढांचे की कल्पना के सम्बन्ध में अनेक गलतफहमियां व भ्रान्त धारणायें लोगों में हैं। स्पष्ट रहे कि हम इस सम्बन्ध में रूस, चीन या अन्य किसी भी देश का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने देश की स्थिति के अनुकूल हम एक लोक तंत्रात्मक आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे जिस में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्ण स्थान दिया जायेगा।

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने सभा में विरोध किया है। इसके पीछे कोई एकाधिकार वादी नीति नहीं है। हम किसानों को इसके लिये मजबूर नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं जिन में ठीक कृषि नहीं हो सकती। यदि उनको इकट्ठा करके सहकारी ढंग पर कृषि की जाये तो लाभ हो सकता है। इस प्रकार की सहकारी कृषि में किसानों का व्यक्तिगत अधिकार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अतः हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है कि हम चीन की प्रणाली पर संयुक्त खेती की प्रथा चलाने जा रहे हैं।

भूटान के साथ जो विशेष सन्धि की गयी है मैं उसका स्वागत करता हूं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। इस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। संसार के अन्य देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। पर, प्रत्येक प्रयत्नों के बाद भी, पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। हम शान्तिपूर्ण नीति के समर्थक हैं पर हम भारत को हानि पहुंचा कर पाकिस्तान को खुश करने की गलती नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भारत की जिस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, उसमें से वह एक इंच भी भूमि देने को तैयार नहीं है, तुकरेग्राम पर वह अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। बेरुबारी पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। जाली नकशा तैयार करके वह बेरु।री को हथियाने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किये जा रहे हैं, बेरुबारी के निवासियों को भी बाद में वे तबाह करेंगे। प्रधान मंत्री ने जो आश्वासन दिया है—कि सारे मामले पर वे पुनः विचार करेंगे—उसके लिये हम उनके आभारी हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि बेरुबारी

†मूल अंग्रेजी में

के हस्तान्तरण में हम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। सीमा सम्बन्धी सारे विवादों का हल एक साथ किया जाना चाहिये न कि अंशों या टुकड़ों में। इस विनिमय में हमारे देश को लगभग १२ वर्गमील भूमि की हानि होगी और पाकिस्तान लाभ में रहेगा।

प्रजासमाजवादी दल के नेता ने कांग्रेस के अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति की मांग—जनता सहयोग करे—के सम्बन्ध में कहा कि जब तक एक सर्वदलीय सरकार नहीं होगी सबका सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा। पर लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुसार यह संभव नहीं है। ऐसी शर्त रखना ठीक नहीं। आज हमारे सामने खाद्य संकट है। सब दल मिल कर प्रयत्न करें तो खाद्य संकट दूर किया जा सकता है। वे लोग राय दें उसका स्वागत किया जायेगा पर कार्यान्विति के स्तर पर वे क्यों चाहते हैं कि उनको भी सम्मिलित किया जाये। अतः ऐसी शर्त रखना कुछ उचित नहीं है।

सहकारी कृषि या सहकारी सेवा की प्रणाली भारत के लिये कोई नयी बात नहीं है। बंगाल में फसल बोने व कटने के समय किसान एक-दूसरे की सहायता करते हैं। हो सकता है कि कुछ सहकारी समितियां सफल न हो पाई हों। पर उनके कारणों का पता लगाया जाना चाहिये। यदि छोटे छोटे अलाभप्रद भूमि खण्डों को एकत्रित करके सहकारी कृषि की जाये तो हमारी खाद्य स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है। सामुदायिक परियोजनाओं को इस सम्बन्ध में अब अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिये।

अन्त में, देश में प्रगति हुई है पर कोई असाधारण प्रगति नहीं हुई है। लोकतंत्र में कोई असाधारण प्रगति एकाएक हो भी नहीं सकती। पर लोकतंत्र में जो प्रगति होती है वह स्थायी होती है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हम समाजवादी ढांचे की रचना करने जा रहे हैं और यह काम जनता की इच्छा से होगा न कि जबरदस्ती।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्यों ने अपने नाम भेजे थे और जिन्हें मैं इस समय भाषण देने का अवसर नहीं दे सका, उन्हें मैं आश्वासन देता हूं, कि यदि वे रेलवे आयव्ययक वाद-विवाद या बाद के वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं तो मैं ऐसे माननीय सदस्यों की एक सूची बना लूंगा और उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयत्न करूंगा।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १८ फरवरी, १६५६]

२६ माघ १८८० (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	८२१—४६
तारांकित प्रश्न संख्या	
३६५ ईराक से व्यापार करार	८२१—२३
३६६ दुर्गापुर से रांची तक पाइप लाइन . . .	८२३–२४
३६७ भारत-जापानी ढलाईघर और इंजीनियरिंग सम्बन्धी हल्की वस्तुयें बनाने का केन्द्र . . .	८२४
३६८ कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना . . .	८२४—२८
३७० अखबारों के लिये पृष्ठानुसार मूल्य-सूची .	८२८—३१
३७३ श्रमिकों के परिवारों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी लाभ	८३१—३२
३७४ चीनी उद्योग के लिये मशीनों का निर्माण . .	८३३—३६
३७५ टैगोर के जीवन सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र .	८३६—३८
३७७ रोजगार दफ्तर	८३७–३८
३७६ पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमणार्थी . . .	८३६–४०
३८२ दो सीट वाले स्कूटर	८४०–४१
३८३ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड . .	८४१—४३
३८४ नाभिकीय अस्त्रों का परीक्षण	८४४
३८५ भारतीय उच्चायोग का कार्यालय, लन्दन . . .	८४५–४६
३८८ कलकत्ता को गैस का संभरण	८४६
प्रश्नों के लिखत उत्तर . . .	८४६—८४
तारांकित प्रश्न संख्या	
३६६ पटसन की वस्तुओं का निर्यात	८४६–४७
३७१ हिन्द-चीन	८४७
३७२ टायरों की कमी . .	८४७
३७६ भारतीय चाय मिशन	८४७–४८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

३७८	इण्डियन ग्राक्सीजन एण्ड एसिटिलीन कम्पनी	८४८
३८१	गृह-निर्माण	८४८
३८६	बंगलौर में सरकारी उपक्रम	८४८—४९
३८७	वस्त्र उद्योग	८४९
३८९	हथकरघा उद्योग	८४९
३९०	एक्स-रे की फिल्मों का ग्रायात	८५०
३९१	उत्तर कोरिया से उर्वरक	८५०
३९३	कच्ची फिल्मों का ग्रावंटन .	८५०—५१
३९४	हथकरघा वस्तुओं के लिये कच्ची सामग्री .	८५१
३९५	ग्रमरीका ग्रौर बगदाद समझौते के सदस्य देशों में उभयपक्षीय करार	८५१
३९६	बोगस कम्पनियां . .	८५१—५२
३९७	मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों के लिये बजट में व्यवस्था	८५२
३९८	ग्रभ्रक का निर्यात .	८५२
३९९	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली	८५३
४००	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	८५३—५४
४०१	जूट-उत्पादन . . .	८५४
४०२	ग्रखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग परिवार ग्राय-व्ययक सर्वेक्षण	८५४—५५
४०३	पाकिस्तान में भारतीय	८५५
४०४	जूट का निर्यात .	८५५
४०५	लोह-ग्रयस्क संसाधनों का विकास	८५६
४०६	चपड़ा तथा दरदरी लाख	८५६
४०७	हज के यात्री .	८५६—५७
४०८	राष्ट्रीय ग्रौद्योगिक विकास निगम	८५७—५८
४०९	छपाई की मशीनें	८५८
४१०	जिरकोनियम कारखाना . . .	८५८
४११	ग्राकाशवाणी में भर्ती सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति .	८५९
४१२	राजौरी में पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना	८५९
४१३	ग्रयस्कों का क्रय	८६०
४१४	ग्रणु शक्ति केन्द्र . . .	८६०

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४१५ काटन मिल किशनगढ़ (राजस्थान) ८६१
४१६ पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति ८६१
४१७ पैट्रोलियम उद्योग के लिये राष्ट्रीय अधिकरण ८६१–६२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४३१ काम दिलाऊ दफ्तर . ८६२–६३
४३२ बाइसिकल के कारखाने ८६३–६४
४३३ नमक का कोटा . ८६४
४३४ उद्योगों के लिये विकास परिषदें ८६४
४३५ निर्यात संवर्धन परिषदें ८६५
४३६ बम्बई में समवाय ८६५
४३७ सोडा-ऐश कारखाने . . . ८६५
४३८ निर्यात व्यापार में पश्चिमी जर्मनी के साथ प्रतियोगिता ८६५–६६
४३९ वियत-नाम . ८६६
४४० कोयला खानों में दुर्घटनायें ८६६
४४१ दिल्ली में मकान बनाने के ऋण . . ८६६–६७
४४२ अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में कुटीर उद्योग ८६७
४४३ मध्य-पूर्वी देशों के साथ व्यापार ८६७-६८
४४४ चाय उत्पादन ८६८
४४५ काम दिलाऊ दफ्तर ८६८
४४६ प्रतिकर की अदायगी ८६८–६९
४४७ बेरोजगारी का सर्वेक्षण ८६९
४४८ गोआ की जेलों में भारतीय ८६९
४४९ नागा पर्यटक दल . ८६९–७०
४५० खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ८७०
४५१ सिलाई की मशीनें ८७०
४५२ काम दिलाऊ दफ्तर . ८७०
४५३ बिहार में औद्योगिक बस्ती . ८७१
४५४ भारतीय सूती वस्त्र व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ८७१
४५५ व्यथा निवारण प्रक्रिया . . ८७१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४५६	फ्रांस को निर्यात	८७१–७२
४५७	राउरकेला में औद्योगिक बस्ती	८७२
४५८	साइकिल की बत्तियां	८७२–७३
४५९	आवास योजनाओं की क्रियान्विति	८७३–७४
४६०	सेकसरिया काटन मिल्स, बम्बई	८७४
४६१	आकाशवाणी में सरल संगीत	८७४
४६२	खली बनाने का कारखाना	८७४
४६३	अखिल भारतीय आर्थिक सम्मेलन	८७५
४६४	राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अधीन अस्पताल	८७५
४६५	विदेशी परामर्शदाता	८७५
४६६	सिंचाई परियोजनाओं के लिये फाटक	८७६
४६७	कार्यालयों का स्थानान्तरण	८७६
४६८	अफ्रीका में भारतीय	८७६–७७
४६९	कागज और अखबारी कागज का आयात अभ्यंश	८७७
४७०	श्रीलंका से प्रव्रजन	८७७
४७१	आकाशवाणी गवेषणा विभाग	८७७–७८
४७२	प्रबन्धकों की संयुक्त परामर्शदात्री परिषद्	८७८
४७३	गोदी श्रमिक मंत्रणा समिति	८७८–७९
४७४	खनिज तेल उद्योग	८८०
४७५	साउथ ब्लाक में 'लिफ्ट' दुर्घटना	८८०
४७६	हथकरघा वस्तुओं का व्यापार	८८०
४७७	कुटीर उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात	८८१
४७८	भिक्षावृत्ति का उन्मूलन	८८१
४७९	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुदान	८८१
४८१	त्रावनकोर मिनरलज (प्राइवेट) लिमिटेड	८८१–८२
४८२	भटिंडा में औद्योगिक बस्ती	८८२
४८३	मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यों के लिये राशि	८८२
४८४	आदर्श ग्रामों के निर्माण की योजना	८८३
४८५	पेनशन पाने वाले शरणार्थी	८८३–८४
४८६	मंत्रालयों में स्थायी समितियां	८८४
४८७	काम दिलाऊ दफ्तर	८८४

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८८४-८५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६५ की एक प्रति।

(२) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १० जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६४ की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत वस्त्र (शक्ति-चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ जनवरी, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४६ की एक प्रति।

(४) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ की धारा ५६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९ में प्रकाशित दिल्ली किराया नियंत्रण नियम, १९५९ की एक प्रति।

(५) बाट तथा माप के प्रमाप अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २२ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४०३ में प्रकाशित बाट तथा माप के प्रमाप नियम, १९५८ की एक प्रति।

रेलवे आयव्ययक का उपस्थापन . . . . ८८५—९०२

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने रेलवे के सम्बन्ध में भारत सरकार के वर्ष १९५९—६० की अनुमानित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर १३ फरवरी, १९५९ को प्रस्तुत प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर और आगे चर्चा तथा कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा उसका पारित किया जाना।